लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 39, सोमवार, 8 अप्रैल, 1968/19 चैत्र, 1890 (शक)
No. 39, Monday, April 8, 1968/Chaitra 19, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय प्र० संख्या Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1107. गोहाटी तेल शोधक कारखाना	Gauhati Refinery ..	1225—1228
1109. उत्तर प्रदेश में उत्पादन शुल्क विभाग में नियुक्तियां	Appointments in Excise Department in U. P. ..	1228—1229
1111. विदेश डाकघर, नई दिल्ली	Foreign Post Office, New Delhi ..	1229—1230
1113. नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पानी और बिजली की दरों में वृद्धि	Increase in Water and Power Rates by N. D. M. C. ..	1230—1231
1116. यूरोप के सोने के संकट का भारतीय स्वर्ण बाजार पर प्रभाव	Effect of European Gold Rush on Indian Gold Market ..	1232—1233
1124. नेफ्था उर्वरक कारखानें	Naphtha Fertilizer Factories ..	1233—1235
1125. कानपुर का लूप कारखाना	Kanpur Loop Factory ..	1235—1238
1128. उर्वरक निगम के अधिकारियों द्वारा सरकार की नीति की कटु आलोचना	Adverse Criticism of Govt's Policy by Officers of Fertiliser Corporation ..	1238—1240
1130. भाखड़ा बांध का गोविन्द सागर तालाब	Gobindsagar Lake at Bhakra Dam ..	1240—1241
1135. तेल तथा उर्वरक उद्योग में भारतीय-ईरानी सहयोग	Indo-Iranian Co-operation in Oil and Fertilizer Industries ..	1241—1242
1136. परिवार नियोजन संबंधी बुनियादी नीति	Basic Policy of Family Planning ..	1243—1244

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
18. पाकिस्तान के साथ दूर संचार सम्पर्क	Tele-Communication Links with Pakistan ..	1244—1247

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1108. वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme	1248
1110. कोचीन और अलप्पी तटवर्ती क्षेत्रों में तेल के लिए सर्वेक्षण	Survey for Oil in Cochin and Alleppey Coastal areas ..	1248—1249
1112. प्रिंटिंग प्रेसों पर बिक्री कर	Sales Tax on Printing Presses	1249
1114. विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का दिया जाना	Grant of Scholarships to Disabled Students	1249
1115. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students	1250
1117. भारतीय तेल निगम	Indian Oil Corporation ..	1250
1118. कृषि आय-कर लगाना	Levy on Agricultural Income-Tax	1251
1119. दक्षिणी कमान के लिए पृथक प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय	Controller of Defence Accounts for Southern Command	1251
1120. बैंकों द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेश	General Orders Issued by Banks	1251—1252
1121. श्री तथा श्रीमती जयप्रकाश नारायण को विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Issue of Foreign Exchange to Shri and Shrimati Jayaprakash Narayan for their tour abroad ..	1252
1122. सामान्य मूल्य स्तर	General Price Level ..	1252—1253
1123. जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद में पूंजी विनियोजन	Shares invested by L. I. C. ..	1253
1126. इस्पात के आयात के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Steel ..	1253—1254
1127. सस्ते मकान	Cheap Houses ..	1254
1129. उर्वरक ऋण गारण्टी निगम	Fertilizer Credit Guarantee Corporation ..	1254

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्र० संख्या Q. Nos.		
1131. बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery ..	1254—1255
1132. बैंकों के पास गिरवी रखे हुए माल का कम मूल्याकंन	Under Valuation of Goods pledged with Banks ..	1255
1133. पश्चिम कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project ..	1255—1256
1134. बिहार में छात्रवृत्ति समितियां	Stipendiary Committees in Bihar ..	1256
ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6618. उड़ीसा के लिये अधिक धन के नियतन की मांग	Demand for higher Allocation for Orissa ..	1256
6619. उड़ीसा में सुनारों को सहायता	Relief to Goldsmiths of Orissa ..	1256—1257
6620. वर्ष 1967-68 में उड़ीसा को ऋण	Loan to Orissa during 1967-68	1257
6621. राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में माली	Gardeners in Rashtrapati Bhavan, New Delhi ..	1257—1258
6622. प्रतिजीवाणु औषध निर्माण-कर्त्ता कारखाने	Antibiotics Manufacturing Units ..	1258
6623. प्रतिजीवाणु औषध निर्माण कर्त्ता कारखाने के कर्मचारी	Officials of Antibiotics Manufacturing Units ..	1258—1259
6624. जय इन्जीनियरिंग वर्क्स लि० कलकत्ता पर आय कर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears outstanding against Jay Engineering Works Ltd., Calcutta ..	1259
6625. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को रोगियों के मामले भेजे जाना	Reference of cases to All-India Institute of Medical Sciences ..	1259
6626. भारत में सिंचित भूमि	Land under Irrigation in India ..	1259—1260
6627. राज्य बिजली बोर्डों में हानि	Losses in State Electricity Boards ..	1260—1261
6628. मीटरिंग सिस्टम पर सरकार का नियंत्रण	Control of Government on Metering System ..	1261—1262
6629. टाटा उद्योगसमूह पर आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears from Tata Group of Industries ..	1262
6630. पलाई सेंट्र ल बैंक लिमिटेड	Pallai Central Bank Ltd. ..	1263

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6631. भारत द्वारा दिया गया ऋण	Loans Advanced by India	1263
6632. बम्बई तथा पूना के सिनेमा-घरों के मालिकों की ओर आयकर तथा धनकर की बकाया राशि	Income-Tax and Wealth-Tax Arrears due from Cinema owners of Bombay and Poona ..	1264
6633. मध्य प्रदेश में सिंचाई	Irrigation in Madhya Pradesh	1264
6634. कोचीन कस्टम्स हाउस	Cochin Customs House ..	1264—1265
6635. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का लोक निर्माण विभाग	Public Works Department, Andamans and Nicobar Island ..	1265—1266
6636. पंजाब और हरियाणा की सरकारों को किराये पर दिये गये सरकारी भवन	Government Buildings let out to Government of Punjab and Haryana ..	1266
6637. मोदीनगर (उत्तर प्रदेश) के लिये नगरपालिका	Municipality for Modinagar (U.P.) ..	1266—1267
6638. कलकत्ता में पानी की मुख्य पाइपों से पानी रिसना	Leakage in Water Mains in Calcutta	1267
6639. मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के लिए धन	Funds for Roads in M. P. Tribal Areas ..	1267—1268
6640. कोलार स्वर्ण क्षेत्र	Kolar Goldfields	1268
6641. 'ऐस्सो' द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई का मूल्य	Price of Liquid Petroleum Gas Supplied by Esso ..	1268—1269
6642. महाराष्ट्र की वार्षिक योजना	Annual Plan for Maharashtra	1269
6643. महाराष्ट्र में सिंचाई तथा पन-बिजली परियोजनायें	Irrigation and Hydro-Electricity Projects in Maharashtra ..	1269
6644. 1968-69 में उड़ीसा के लिये योजना में धन का नियतन	Plan Allocation to Orissa during 1968-69 ..	1270
6645. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	N. B. C. C.	1270
6646. येन ऋण के अधीन आयात	Imports under Yen Credit ..	1270—1271
6647. कलकत्ता महानगर योजना	Calcutta Metropolitan Plan ..	1271
6648. भारतीय तेल निगम द्वारा देय बकाया राशि	I. O. C. Outstandings ..	1271—1272

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6649. अशोधित तेल का मूल्य तथा तेल कम्पनियों द्वारा अधिक वसूली	Price of Crude Oil and Over Recoveries by Oil Companies ..	1272
6650. तेल कम्पनियों द्वारा की गई अधिक वसूली	Over-recoveries made by Oil Companies	1273
6651. उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों पर खर्च हुआ धन	Amount Spent on Social Welfare Works of Scheduled Tribes in Orissa ..	1273
6652. जीवन बीमा निगम की बीमा पालिसियां	Insurance Policies by Life Insurance Corporation ..	1273—1274
6653. व्यास तथा सतलुज नदियों को मिलाने वाली परियोजना	Beas-Sutlej Link Project	1274
6655. धनुर्वातनाशक (एंटी-टिटेनस) सीरम का आयात	Import of Anti-Tetanus Serum ..	1274—1275
6656. कानपुर के लूप कारखाने का कार्य-संचालन	Working of Kanpur Loop Factory	1275
6657. मन्नारघाट मूपिल स्थानम, केरल राज्य पर बकाया धन कर	Wealth Tax due from Manarghat Moopil Sthanam, Kerala State ..	1275—1276
6658. दिल्ली में समाज कल्याण संगठन	Social Welfare Organisation in Delhi	1276
6659. लघु परिवार सिद्धांत संबंधी समिति	Committee on Small Family Norm ..	1276—1277
6660. अस्पताल जांच समिति	Hospital Enquiry Committee	1277
6661. गंगा नदी के पानी के दूषित हो जाने के कारण मुंघेर में मृत्यु	Deaths in Monghyr due to Polluted water of Ganga ..	1277—1278
6662. गोरखपुर में मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of Kerosene Oil in Gorakhpur	1278
6663. मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of Kerosene Oil	1278
6664. उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of an officer of Electricity Department in U. P. to look into complaints of farmers	1279

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

6665. कनाडा द्वारा दिये गये ऋणों का उपयोग	Utilization of loans from Canada	1279
6666. हीराकुड बांध परियोजना के कर्मचारी	Employees of Hirakud Dam Project ..	1279—1281
6667. हीराकुड बांध परियोजना के कर्मचारी	Employees of Hirakud Dam Project ..	1281—1282
6668. मिट्टी के तेल में मिलावट	Adulteration of Kerosene Oil ..	1282
6669. स्टर्लिंग तथा डालर पर दबाव	Pressure on sterling and Dollar ..	1282—1283
6670. विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Release of Foreign Exchange to Students Going Abroad ..	1283
6671. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय में नियुक्तियां	Employment in Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Alwaye ..	1283
6672. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	Fertilisers and Chemicals, Travancore Ltd. ..	1284
6673. बैंकों के पास गिरवी रखे माल के बारे में विवरण	Returns in respect of goods pledged with Banks ..	1284
6674. बैंकों के पास गिरवी पड़े सामान के विवरण के लिये योजना	Scheme for returns of the Goods pledged with Banks	1285
6675. नोटों को बदलना	Replacement of Currency notes ..	1285
6676. आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears	1285
6677. नेपाल तथा बिहार के कुछ जिलों को बिजली की सप्लाई	Supply of electricity to Nepal and certain Districts in Bihar	1286
6678. अंधवारा बाढ़ रोक तथा सिंचाई योजना	Andhawara flood prevention-cum-Irrigation Scheme ..	1286—1287
6679. बिहार से केन्द्रीय करों की वसूली	Central Taxes from Bihar	1287
6680. बरौनी तेल शोधक कारखाने से मिट्टी के तेल का गंगा में बहाया जाना	Pumping of Barauni Oil Refinery Kerosene oil into the Ganga ..	1287—1288
6681. दिल्ली में महिला कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Women employees in Delhi ..	1288

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6682. औद्योगिक उत्पादों के वितरण के लिये ऋण सम्बन्धी रियायतें	Credit relaxation for distribution of industrial products ..	1288—1289
6683. भोजन विषाक्त होने के मामले	Food Poisoning Cases	1289
6684. आयकर योग्य आय पर पति-पत्नी को मिलने वाली छूट	Spouse Allowance on Taxable Income ..	1289—1290
6685. हरियाणा को विकास योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds to Haryana for Development Plans	1290
6686. हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to Employees of Haryana Government	1290
6687. अमरीका की बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव	Effect of U. S. Bank Rate Increase ..	1291
6688. महाराष्ट्र में गावों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Maharashtra ..	1291
6689. बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes ..	1291—1292
6690. महाराष्ट्र में गावों में बिजली लगाने की योजनाएं	Rural Electrification Schemes in Maharashtra ..	1292
6691. आयुर्वेदिक चिकित्सक	Ayurvedic Practitioners	1292
6692. राज्यों द्वारा भारत के रिजर्व बैंक से नियत से अधिक राशि का निकाला जाना	Overdraft by States on Reserve Bank of India	1293
6693. नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू के फ्लैटों की पिछली उप-सड़कों की मरम्मत	Repair of Bye-Lanes behind North and South Avenue Flats ..	1293
6694. हरियाणा लोक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा के इंजीनियर	Engineers of Irrigation Branch of Haryana ..	1293—1294
6695. दिल्ली में सरकारी बस्तियों में स्वच्छता की दशा	Sanitary condition of Government Colonies in Delhi ..	1294
6696. मैसर्स रामजीलाल झुनझुनवाला की फर्में	Firms of M/s. Ramji Lal Jhunjhunwala ..	1294—1295

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6697. मेसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s. Oriental Timber Trading Corporation	..	1295
6698. मेसर्स झुनझुनवाला एण्ड बदर्स, बम्बई	M/s. Jhunjhunwala and Bros. Bombay	..	1295
6699. मैसर्स मैकेंजीज लिमिटेड	M/s. McKanzies Ltd.	..	1295—1296
6700. मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s. Oriental Timber Trading Corporation	..	1296
6701. मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s. Oriental Timber Trading Corporation	..	1296
6702. मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारी	Share-holders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	..	1296—1297
6703. मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s. Oriental Timber Trading Corporation	..	1297—1298
6705. मध्य प्रदेश में मंदसौर से अफीम की तस्करी	Smuggling of Opium from Mandsaur, Madhya Pradesh		1298
6706. सिक्योरिटी प्रेस, नासिक के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद	Dispute between workers and Management of Security Press, Nasik	..	1298—1299
6707. मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ाव	Fluctuations in Price Index	..	1299—1300
6708. बम्बई में बनाये जा रहे गगन-चुम्बी भवनों के मालिकों द्वारा आय कर अपवंचन	Income-Tax evasion by owners of Sky-Scrapers being built in Bombay	..	1300
6709. विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial Aid from Foreign Countries	..	1300—1301
6710. पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खोज	Oil Prospecting in Coastal Region of West Bengal	..	1301
6711. दिल्ली को उद्यानों का नगर बनाना	Delhi as a Garden City	..	1302
6712. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	..	1302
6713. हिन्दुस्तानी दवाखाना के लेखाकार की मुअत्तिली	Suspension of Accountant, Hindustani Dawakhana	..	1302—1303
6714. लूप का कुप्रभाव	Adverse Effect of Loops	..	1303

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6715. बरौनी तेल शोधक कारखाने से अपशिष्ट पदार्थ बहाये जाने से गंगा जल का दूषित होना	Pollution of Ganga water by discharge of Barauni Refinery Effluents ..	1303—1304
6716. कपड़ा मिलों सम्बन्धी कार्य-कारी दल	Working Group on Textile Units ..	1304—1305
6717. अफीम का व्यापार	Opium Trade ..	1305—1307
6718. सामुदायिक केन्द्र, चण्डीगढ़ का दुरुपयोग	Misuse of Community Centre, Chandigarh ..	1307
6719. भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant ..	1308
6720 अच्छी फसल का अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव	Effect of Bumper Crop in prices of Essential Commodities ..	1308—1309
6721. भारत सरकार का अवैतनिक दन्त सलाहकार	Hony. Dental Adviser to the Government of India ..	1309
6722. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्यालयों का फरीदाबाद ले जाया जाना तथा उन्हें पुनः दिल्ली में लाना	Shifting of C. W. & P. C. Offices in Faridabad and back to Delhi ..	1309—1310
6723. वित्त मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले राजपत्रिक अधिकारी	Hindi knowing Gazetted Officers in Finance Ministry	1310
6724. वित्त मंत्रालय में हिन्दी न जानने वाले कर्मचारी	Non-Hindi knowing Employees in Finance Ministry ..	1310
6725. भारतीय तेल निगम के एजेंट	Agents of Indian Oil Corporation ..	1310—1311
6726. समुदाय के गरीब वर्गों का आर्थिक विकास तथा कल्याण	Economic Development and Welfare of Weaker Sections of the Community ..	1311
6727. मूल्य देशनांक	Price Index ..	1311—1312
6728. मध्य प्रदेश में पम्प	Pumps in Madhya Pradesh	1312
6729. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन	Annual Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	1312—1313
6730. आसाम के आदिवासी अधि-कारियों को आयकर की राशि का लौटाया जाना	Refund of Income-Tax to Assam Tribal Officers ..	1313

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6731. इंडियन आयल कम्पनी का निदेशक बोर्ड	Board of Directors of Indian Oil Corporation	1313
6732. सिलचर में मेडीकल कालेज	Medical College at Silchar ..	1313—1314
6733. विदेशों में स्वर्ण संकट का भारतीय मुद्रा पर प्रभाव	Effect on India's Paper Currency due to Gold Crisis Abroad ..	1314
6734. आन्ध्र प्रदेश में पेय जल सप्लाई योजनायें	Drinking Water Supply Schemes in Andhra Pradesh ..	1314—1315
6735. "सिंगल वायर अर्थ रिटर्न सिस्टम"	Single Wire Earth Return System ..	1315
6736. कलकत्ता में भट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Furnace Oil in Calcutta ..	1315—1316
6737. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारी	Staff of Willingdon Hospital, New Delhi	1316
6738. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में कैंटीन	Canteen in Willingdon Hospital, New Delhi ..	1317
6739. विलिंगडन अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये समयोपरि भत्ता	Overtime Allowances to Class IV Employees of Willingdon Hospital ..	1317
6740. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff Quarters in Willingdon Hospital New Delhi ..	1318
6741. विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान	Residential Accommodation for Willingdon Hospital Employees ..	1318—1319
6742. विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारी	Employees of Willingdon Hospital ..	1319—1320
6743. नई दिल्ली में चित्रगुप्त रोड पर दुकानें	Shops on Chitra Gupta Road, New Delhi	1320
6744. नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम के सैक्टर 9 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का औषधालय खोलना	Opening of C. G. H. S. Dispensary in Sector 9. R. K. Puram ..	1320—1321
6745. नई दिल्ली रामकृष्णपुरम के सैक्टर 9 में सुविधायें	Facilities in Sector 9, Ramakrishnapuram, New Delhi ..	1321

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6746. उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री	Ex-Chief Minister of Orissa ..	1321—1322
6747. उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के परिवार के सदस्यों के पास शेयर	Share holding by the family Members of the former Chief Minister of Orissa ..	1322
6748. जाली सिक्कों का बरामद होना	Recovery of Counterfeit Coins	1322
6749. रेडियो सीलोन से प्रचार पर व्यय	Expenditure on Publicity through Radio Ceylon ..	1323
6750. विदेशों द्वारा दिये गये ऋण	Loans advanced by Foreign Countries ..	1323
6751. फर्मों तथा व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Firms and Individuals ..	1323—1324
6752. तेल का वितरण	Distribution of Oil ..	1324
6753. रूस के सहयोग से औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects in Collaboration with U. S. S. R. ..	1324
6754. विदेशों से आर्थिक सहायता	Economic Aid from Abroad ..	1324—1325
6755. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के प्रथम श्रेणी के अधिकारी का सेवाकाल बढ़ाया जाना	Extension of service to Class I Officer of C. W. & P. C. ..	1325
6756. चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	Small Pox Eradication Programme ..	1325—1326
6757. रूस से अपोक्लोरीन का आयात	Import of Apochlorin from U. S. S. R, ..	1326
6758. जाली नोटों का मुद्रण तथा परिचालन	Printing and Circulating of Fake Currency Notes ..	1326—1327
6759. मध्य प्रदेश की नदियों से सिंचाई	Irrigation by Madhya Pradesh Rivers ..	1327—1329
6760. मैसूर में ग्राम्य गृह-निर्माण योजना	Rural Housing Schemes in Mysore ..	1329
6761. मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े वर्गों को साहूकारों द्वारा दिया गया ऋण	Loan by Money Lenders to Backward Classes of Mysore and Andhra Pradesh	1329—1330

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6762. कृष्णा-गोदावरी जल विवाद	Krishna-Godavari Water Dispute	1330
6763. मिस्टर थौमल गैस्ट को "पी" फार्म की मंजूरी दी जाना	'P' Form clearance to Mr. Thomas Guest	1330
6764. मद्रास के स्वर्णकारों को प्रमाण-पत्रों का दिया जाना	Issue of Certificates to Goldsmiths of Madras	1331
6765. केन्द्रीय उत्पादन शुक्ल विभाग के निवारक अधिकारी	Prevention Officers under Central Excise Department ..	1331—1332
6766. तमिलनाड में सुनारों को प्रमाण-पत्र	Certificates to Goldsmiths in Madras Tamilnad	1333
6767. मिस्टर थामस गेस्ट द्वारा लाई गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Brought by Mr. Thomas Guest ..	1333—1334
6768. कुडीलाल जी० सेकसरिया की ओर आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears from Shri Kudilal G. Saksaria ..	1334
6769. बम्बई के मेसर्स बलराम तुलाराम द्वारा देय आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears from M/s. Balaram Tularam of Bombay ..	1334—1335
6770. मैसर्स प्रकाश काटन मिल्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा देय आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears due from M/s. Prakash Cotton Mills Ltd., Bombay ..	1335
6771. मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी की ओर आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears due from M/s. Tata Engineering and Locomotive Co. ..	1336
6772. प्रेस वर्कर्स यूनियन, कोयबटूर के संयुक्त मंत्री को मुअत्तिल किया जाना	Suspension of Joint Secretary of Press Workers' Union, Coimbatore ..	1336—1337
6773. फरीदाबाद में भूमि का आवंटन	Allotment of Land in Faridabad ..	1337—1338
6774. दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के ड्राइवरों के वेतन	Pay of Drivers of Government Hospitals in Delhi ..	1338
6775. श्री राम नाथ बाजौरिया द्वारा देय केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Central Taxes due from Shri Ram Nath Bajoria ..	1338—1339

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6776. कथित बम बनाने में अन्तग्रस्त कलकत्ता के नवयुवकों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Calcutta Youngmen involved in alleged Bomb making..	1339
6777. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के एक अधिकारी द्वारा दस्तावेजों में हेरफेर किया जाना	Tampering with old Documents by a Central Excise Official ..	1339—1340
6778. मनीपुर में लोकटक परियोजना	Loktak Project in Manipur ..	1341
6779. नामरूप उर्वरक कारखाने तथा नूनमती तेल शोधक कारखाने के अधिकारी	Officers in Fertilizar Factory Namrup and Noonmati Refinery ..	1341—1342
6780. अशोक होटल, नई दिल्ली	Asoka Hotels, New Delhi ..	1342
6781. वित्त मंत्री का भूटान का दौरा	Finance Minister's visit to Bhutan ..	1342—1343
6782. ईरान तथा कुवैत से गंधक तथा फास्फौरस एसिड का आयात	Import of Sulphur and Phosphoric Acid from Iran and Kuwait ..	1343
6783. आय कर निर्धारण की अवधि को कम करना	Reduction of Period for Assessment of Income-tax ..	1343—1344
6784. चलचित्र कलाकारों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Film Stars ..	1344
6785. सिक्किम की विकास योजनाओं के लिये सहायता	Aid for Sikkam's Development Plans ..	1344—1345
6786. भारतीय बीमा कम्पनी, संघ की वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्षीय भाषण	Presidential Address at Annual General Meeting of Indian Insurance Companies Association ..	1345
6787. गुजरात की मिलों और उद्योगों की फैडरेशन बड़ौदा से वित्त मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Finance Minister from Federation of Gujarat Mills and Industries, Baroda ..	1345—1346
6788. पेंशन के अनिर्णीत मामले	Pending Pension Cases ..	1346
6789. मनीपुर के लिये बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Manipur ..	1346—1347
6790. पर्यटन विभाग के पर्यटक वितरण अनुभाग का स्थानान्तरण	Shifting of Tourist Distribution Section of Tourist Department ..	1347—1348

विषय	SUBJECT	PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6791. जैसलमेर हवाई अड्डा	Jaisalmar Airport ..	1348
6792. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	Malaria Eradication Programme ..	1348—1349
6793. आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears ..	1349
6794. नेशनल इलेक्ट्रिक कम्पनी से बकाया आयकर	Income-Tax Arrears against National Electric Company ..	1349—1350
6795. महाराष्ट्र में वर्णा नदी पर बांध बनाने का विरोध	Protest against the construction of Dam over River Warna in Maharashtra ..	1351
6796. रिजर्व मुद्रा के रूप में स्वर्ण की स्थानापन्न वस्तु	Alternative to Gold as a Reserve Currency ..	1351
6797. भुवनेश्वर नगर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Bhubaneshwar City ..	1351—1352
6798. सरकारी उपक्रमों को ऋण	Loans to Public Undertakings ..	1352—1354
6799. "ट्रूप डालर"	Troop Dollar ..	1354—1355
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1355—1358
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
चालीसवां तथा तैंतालीसवां प्रतिवेदन	Fortieth and Forty-third Reports ..	1358
बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Insurance (Amendment) Bill introduced ..	1358—1359
आय व्ययक सामान्य, 1968-69—	Budget General, 1968-69—	
अनुदानों की मांगें,	Demands for Grants, ..	1359—1401
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	Ministry of Irrigation and Power ..	1359—1393
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo ..	1360—1362
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu ..	1362—1365
डा० सूर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri	1365
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh ..	1374—1376
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa ..	1376—1377
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheshwar Prasad ..	1377—1378
श्री मयावन	Shri Mayavan ..	1378—1380
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao ..	1380—1381
श्री नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy	1381
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	1381

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar		1381—1382
श्री गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy		1382
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	..	1382—1383
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel	..	1383
श्री एस्थोस	Shri P. P. Esthose	..	1384—1385
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	..	1385
श्री लखन लाल गुप्ता	Shri Lakhan Lal Gupta	..	1385—1386
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	..	1386
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	..	1386—1392
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation	..	1393—1401
श्री शिवप्पा	Shri N. Shivappa	..	1394—1395
सभा का कार्य	Business of the House	..	1363

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 8 अप्रैल, 1968/19 चैत्र, 1890 (शक)
Monday, April 8, 1968/Chaitra 19, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

* 1107. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोहाटी तेल शोधक कारखाने तथा आसाम के तेल क्षेत्रों से पेट्रो-केमिकल उद्योगों में प्रयोग के लिये उपलब्ध तेल, गैस तथा अन्य उपोत्पाद कौन-कौन से हैं तथा उनकी मात्रा कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया) : 1967 में गोहाटी शोधनशाला में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 711,728 मीटरी टन था । गोहाटी शोधनशाला से लगभग 27,000 मीटरी टन गैस उपलब्ध होगी । पेट्रो-रसायन यूनिटों के लिये उपयुक्त हल्के आसुतों की मात्रा 150,000 मीटरी टन होगी । ये संसाधन आर्थिक दृष्टि से एक पेट्रो-केमिकल्स यूनिट की स्थापना के लिए काफी नहीं है । 1967 में आसाम तेल क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 2.89 मिलियन मीटरी टन तथा गैस का उत्पादन लगभग 741.8 मिलियन घन मीटर था । गैस की यह मात्रा आसाम राज्य विद्युत बोर्ड, नामरूप उर्वरक (प्रथम चरण और द्वितीय चरण) और दूसरे लघु उद्योगों के लिए नियत है । कच्चे तेल का कुल उत्पादन भी बरौनी, गोहाटी और दिगबोई–तीन देशीय शोधनशालाओं के लिए नियत है ।

श्री हिम्मतसिंहका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि असम देश में तेल पैदा करने वाला सबसे पहला राज्य है तथा वहां लाकवा और अन्य स्थानों पर भारी मात्रा में तेल निकल रहा

हैं, क्या सरकार वहां किसी प्रकार के संयंत्र का विकास करने तथा किसी संयंत्र-समूह की स्थापना करने के पक्ष में विचार करेगी ?

श्री रघुरामैया : जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है, इस समय पहले से निश्चित कार्यक्रमों के कारण तथा इस समय तक बचे हुए तथा उपलब्ध साधनों की सहायता से ऐसी कोई इकाई स्थापित नहीं की जा सकती जो अपना आर्थिक भार स्वयं वहन कर सके। यदि ऐसा कभी समय आया कि अपने निश्चित कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद हम आर्थिक दृष्टि से ऐसा करने में समर्थ हुए तथा यदि हमें पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध हुए हैं, तो सरकार इस मामले में निश्चिय ही विचार कर सकती है।

श्री हिम्मतसिंहका : इस तथ्य को देखते हुए कि गैस अब भी गर्म है, क्या मैं जान सकता हूँ कि जिस आसामी को यह कार्य सौंपा गया है क्या उससे इस गैस का उपयोग करने को कह दिया गया है ?

श्री रघुरामैया : मेरा विश्वास है कि आयल इन्डिया इस विषय में इन लोगों से पत्र व्यवहार कर रही है तथा असम सरकार भी इस मामले में कार्यवाही कर रही है। हम उन पर उनके वायदा पूरा करने के बारे में पूरा दबाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : गोहाटी तेल-शोधक कारखाने के उत्पादन के बारे में जैसाकि मंत्री महोदय को विदित है, वहां हजारों रुपये के मूल्य की गैस रोज गर्म होती है परन्तु इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा। गोहाटी तेल-शोधक कारखाना उप-उत्पादों का भी उत्पादन करता है तथा मिट्टी का तेल भी उनमें से एक है। यद्यपि मट्टी का तेल असम हार्ट बोर्डस तथा अन्य उद्योगों द्वारा उपयुक्त किया जा रहा है, तथापि इस मट्टी के तेल के दाम बहुत ऊंचे हैं। बम्बई में ये दाम 180 रुपये प्रति मीट्रिक टन हैं जबकि कलकत्ता में 222 रु० प्रति मीट्रिक टन तथा गोहाटी में, जहां कि यह उत्पन्न होता है, 1252 रु० प्रति मीट्रिक टन है। यह तो बड़ी ही असमानता-पूर्ण तथा गम्भीर स्थिति है।

गोहाटी में पैट्रोलियम का भी उत्पादन होता है और वहां पैट्रोलियम के मूल्य 95 पैसे प्रति लीटर हैं परन्तु कलकत्ता, जो कि पश्चिमी बंगाल में है तथा जहां पैट्रोलियम का कोई उत्पादन नहीं होता, वहां 90 पैसे प्रति लिटर है।

मिट्टी के तेल के साथ भी यही बात है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान असमानता-पूर्ण तथा चिन्ताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस तेल-शोधक कारखाने के पैट्रोलियम तथा अन्य उप-उत्पादों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति का पुनर्परीक्षण करने को तैयार है ?

श्री रघुरामैया : क्योंकि आयात समानता के आधार पर मूल्यों के निश्चय के बारे में सरकार की एक ही नीति रही है, अत: असमानताएँ हैं। निस्सन्देह ही सरकार इस बात की जांच कर रही है कि यह असमानता किस सम्भव सीमा तक दूर की जा सकती है।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार गोहाटी में उत्पन्न होने वाले तथा आजकल यूंही व्यर्थ जाने वाले मट्टी के तेल के दामों में उद्योगों को कुछ राहत देने को तैयार है ? ऊँचे दामों के कारण लोग वहां मट्टी के तेल को नहीं खरीद रहे हैं तथा वह सब व्यर्थ जा रहा है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मूल्य घटाने को तैयार है ?

श्री रघुरामैया : इसका कोई एक हल नहीं निकल सकता क्योंकि हम उस समिति द्वारा निर्धारित नीति पर चल रहे हैं जिसने इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की थी । यह विचाराधीन है कि इस सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या यह सत्य है कि असम सरकार ने गोहाटी तेल-शोधक कारखाने की प्राकृतिक गैस के आधार पर कम खर्च वाले एक पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के लिए एक प्रायोजना-प्रतिवेदन तैयार किया है जोकि असम तेल क्षेत्रों तथा जापानी सरकार के सहयोग से तैयार होगा ; यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी है ?

श्री रघुरामैया : मेरे विचार से माननीय सदस्य औद्योगिक सलाहकार ब्यूरो प्राइवेट लि० के प्रतिवेदन के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में असम सरकार ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने तीन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया है । एक तो पी० वी० सी० तथा पी० बी० ए० के रेशों के उत्पादन के बारे में है, तथा दूसरा पोलीथाइल तथा पोली-पाइलीन के बारे में ; परन्तु यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि ये दोनों कम खर्च वाले नहीं हैं । जो एक बात उन्होंने सुझाई है वह 400,000 टन यूरिया के उत्पादन के बारे में है । यूरिया के सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, नामरूप कारखाने द्वारा इस वर्ष से उत्पादन आरम्भ किये जाने की आशा है ।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य की दृष्टि से कि असम में औद्योगिक प्रगति बहुत ही धीमी तथा सुस्त है, तथा वर्ष 1951 से 1967 तक की अवधि में वहां बेकारी पांच गुणा बढ़ गई है, और गोहाटी तेल कारखाने के कुल कर्मचारियों में स्थानीय व्यक्तियों की संख्या केवल पन्दरह प्रतिशत है और असम राज्य बाहर के लोगों के लिए एक प्रकार की चरागाह बन गया है.....

श्री रंगा : सब जगह यही हाल है ।

श्री हेम बरुआ : ऐसी स्थिति में, क्या मैं जान सकता हूं कि किन विशिष्ट कारणों से सरकार वहां इस तेल-शोधक कारखाने के अनुकूल एक पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह तथा अन्य सहायक गद्योग स्थापित करने का विरोध करती है तथा किन विशिष्ट कारणों से सरकार वहां सरकारी क्षेत्र में एक दूसरा तेल शोधक कारखाना नहीं स्थापित कर रही ?

श्री रघुरामैया : भारत सरकार ऐसे किसी कार्य के विरुद्ध नहीं है जो असम के लिए उद्योगों की स्थापना में सुगम और सहायक होते हों । यह एक मोटी सी बात है । तेल-शोधक कारखाने के मामले में, यदि उत्पन्न कच्चा माल पहले से ही अन्य अन्तर्देशीय तेल-शोधक कार-

खानों के लिये नियत किया जा चुका है तो फिर वहां दूसरे तेल शोधक कारखाने के लिए और कच्चा माल कहां से आयेगा ?

बेरोजगारी के बारे में जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, सो आमतौर से केवल विज्ञ श्रेणी के लोगों तथा कुछ अपवादों को छोड़कर अविज्ञ श्रेणी के सब लोग स्थानीय व्यक्ति हैं। यह मैंने बड़े ही मोटे तौर से कहा है। यदि कोई विशिष्ट समस्या है तो उसकी जांच की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण के लिये मंत्री महोदय ने कहा है कि अविज्ञ श्रेणी के मजदूरों में स्थानीय लोग हैं। परन्तु क्या मैं उन्हें बता सकता हूं कि चाहे विज्ञ हों अथवा अविज्ञ, गोहाटी के तेल-शोधक कारखाने में केवल 15 प्रतिशत ही स्थानीय कर्मचारी हैं ? वह इसकी जांच करें तथा एक स्पष्ट वक्तव्य लेकर आयें।

अध्यक्ष महोदय : वह इसकी जांच करें।

Shri Mrityunjay Prasad : The Oil coming out of your Barauni Refinery, Bihar, becomes cheaper by the time it reaches Delhi but it remains costly in Bihar .....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो हमें सारे भारत के बारे में विचार करना पड़ेगा। यह प्रश्न मुख्य प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Mrityunjay Prasad : Let me finish my sentence.

अध्यक्ष महोदय : फिर यहां सब राज्यों के भावों की बात चल पड़ेगी। हम इस समय मूल्यों के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं। यहां बरौनी का प्रश्न कैसे उठता है ?

Shri Mrityunjay Prasad : Has your attention been drawn towards a chimney in that refinery which is hot round the clock as result of which there is a lot of wastage ? You can well manage that ; but are you aware that you do not take that much out but burn down the whole of that ? And thirdly, have you ever been made aware that so many drugs can be prepared out of these petro-chemicals ?

डा० रानेन सेन : कुछ क्षण पूर्व ही मंत्री महोदय ने कहा कि मूल्यों में असमानता के बारे में सरकार द्वारा पुनः जांच की जा रही है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व जे० एन० तालुकदार समिति ने एक निर्णय दिया था तथा तेल-उत्पादों के मूल्यों की असमानता पर कुछ सिफारिशें की थीं। सरकार पहले ही उन सिफारिशों को स्वीकार कर चुकी है। क्या मैं जान सकता हूं कि डेढ़ वर्ष बाद भी सरकार मूल्यों के प्रश्न पर क्यों विचार कर रही है ?

श्री रघुरामैया : उस प्रतिवेदन के बारे में मुझे समय चाहिये।

श्री रंगा : श्रीमन्, क्या उनके पास वह प्रतिवेदन नहीं है।

Appointments in Excise Department in U. P.

*1109. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many of the **ad-hoc** appointments in the Excise Department in U. P. have been made arbitrarily during the year 1966-67 ;

(b) if so, the details thereof, District-wise ; and

(c) the procedure adopted by Government to check such appointments ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) Two appointments in the grade of Assistant Excise Commissioner and four in the grade of Sub-Inspector of Excise have been made on an **ad-hoc** basis in the Excise Department in U. P. during 1966-67, but they cannot be said to have been made arbitrarily.

Shri Molahu Prasad : Mr. Speaker, the S. V. D. Government of U. P. has published a journal in October, 1967 and it has been stated therein :

> "Some temporary **ad-hoc** appointments had been being made in the Health and Irrigation Departments until now. Banning these, orders have been issued that all the appointments should be made under rules and regulations."

Secondly, it is pointed out therein :

> "There were a number of committees like Irrigation Consultative Committee and Civil Area Licensing Board whose work was found very unsatisfactory. All these Committees and Boards have been abolished."

The Hon. Minister may please make it clear what he has stated in his main answer that two appointments in the grade of Assistant Excise Commissioner and four in the grade of Sub-Inspector of Excise have been made on an **ad-hoc** basis, and that they have not been made arbitrarily.

Shri K. C. Pant : I have said it that these appointments were made on an **ad-hoc** basis and not on regular basis. But these cannot be said to have been made arbitrarily. I meant that the Assistant Excise Commissioners, so appointed, were selected along with others by the U. P. S. C. It is true that their appointment was an **ad hoc** one, and now they are being made regular.

Shri Molahu Prasad : Would the Govt. of India follow the procedure adopted by the Govt. of U. P. in regard to raising State Tax, Sales Tax and Income-Tax ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसी बात नहीं है ।

Foreign Post Office, New Delhi

*1111. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of parcels are lying in the Foreign Post Office, New Delhi and in other cities through which gold, silver and other contraband articles have been sent ;

(b) if so, their number and quantity of gold, silver, etc. found in them separately ;

(c) since when each parcel containing contraband articles is lying there ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in the Library. See No. LT-816/68].**

(d) The cases are under adjudication.

Shri Nihal Singh : Will the Hon. Minister for Finance be pleased to state how long can a parcel of prohibited items be retained in Foreign Post Offices ?

Shri K. C. Pant : There is no rule in regard to such a limit of time. No limit has been fixed but you will know from the statement that excepting three parcels, all the parcels have been lying only for a period of three months to the most.

Shri Nihal Singh : Will you please state what are those grounds on which the Customs Department confiscate the prohibited goods and on what rates do they allow them to be sold out ?

Shri K. C. Pant : First of all an adjudication is sought in this regard, and when orders for confiscation are received, these goods are confiscated. I do not have information about rates now.

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पानी और बिजली की दरों में वृद्धि

+

*1113. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**

श्री अब्राहम : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने पानी और बिजली की दरें बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दरों को कम कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, समिति ने व्यापारिक उपयोग के लिए अपेक्षित पानी की दरों को 1.50 रुपये प्रति हजार गैलन से बढ़ाकर 2.00 रुपये प्रति हजार गैलन करने का निश्चय किया है। दरों में प्रयुक्त होने वाले पानी की दरों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। इसी प्रकार बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग करने वालों के लिए समिति अलग-अलग दरों से शुल्क वसूल करने की अपेक्षा 18 पैसे प्रति यूनिट की एक समान दर से वसूल करने का विचार कर रही है। अभी तक यह शुल्क सामान्य बड़े उपभोक्ताओं के मामले में 23.660 पैसे से लेकर 15.538 पैसे तक और दूतावासों के मामले में 27.160 पैसे से लेकर 17.725 पैसे तक की अलग-अलग दरों से वसूल किया जाता है। इस प्रस्तावित परिवर्तन से कुछ मामलों में दरें घट जायेंगी तथा कुछ में बढ़ जायेंगी।

(ख) संचालन व्यय में तथा स्वयं नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दिये जाने वाले बिजली के क्रय मूल्य में वृद्धि के कारण।

(ग) क्योंकि संचालन व्यय में तिरन्तर वृद्धि होती जा रही है अत: फिलहाल दरों के घटाये जाने की कोई सम्भावना नहीं प्रतीत होती।

Shri Bhagwan Das : Will the Hon. Minister be pleased to state how many times have the New Delhi Municipal Committee made an increase in the rates of water and electricity, and what more facilities will be available to the consumers as a result of increase in rates made recently ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने कितनी बार दरें बढ़ाई हैं परन्तु दिल्ली नगर निगम जोकि नई दिल्ली नगरपालिका को सम्भरण करता है हर वर्ष दरों में लगातार वृद्धि करता आ रहा है ।

Shri Bhagwan Das : I want to know whether the NDMC has been functioning in democratic manner, or not ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां, वह लगातार कार्य कर रही है ।

श्री स० चं० सामन्त : नई दिल्ली नगरपालिका के सम्भरण-स्रोत क्या हैं ? क्या भाखड़ा-नंगल से सम्भरण प्राप्त करने के प्रयत्न किये गये हैं जिससे कि दरों में कमी आये ।

श्री ब० सू० मूर्ति : नई दिल्ली नगरपालिका को भारी मात्रा में बिजली और जल का सम्भरण करने वाला इस समय केवल दिल्ली नगर निगम है ।

Shri K. N. Tiwary : What are the rates of supply of water and electricity in Delhi as compared to those in Bombay, Calcutta and Madras ? I mean, what are the respective rates in Delhi and those other cities ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे इसके लिये समय चाहिये ।

श्री स० चं० सामन्त : मैंने बिजली के सम्भरण के स्रोतों के बारे में पूछा था तथा उन्होंने पानी के स्रोतों के बारे में बता दिया। क्या भाखड़ा-नंगल से सस्ती बिजली प्राप्त करने के प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : दिल्ली नगर निगम ही नई दिल्ली नगरपालिका को दे रहा है ।

Shri Shiv Chandra Jha : We are talking about the rates increased by the N. D. M. C., but I want to make the Hon. Minister aware that there are no arrangements for 24 hours supply of water in South Avenue, and no water is available there after 10 P.M. in the night and after 12 noon during day-time ; whereas there are no such restrictions in North Avenue, where water is available even after 12 noon. So, may I know whether the Hon. Minister is going to make arrangements for 24 hours supply of water in South Avenue ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सम्बन्धित अधिकारियों को इस बात की सूचना दीजिये तदुपरान्त इस पर विचार किया जायेगा ।

Shri R. S. Vidyarthi : At what rates do the D. M. C. supply water to the NDMC ? What is their cost per unit and how much do they gain out of it ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे इसके लिये पूर्ण सूचना चाहिये ।

Effect of European Gold Rush on Indian Gold Market

+

*1116. **Shri Shiva Chandra Jha :**
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the recent European gold rush has affected the Indian gold market ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the present price of gold in the Indian market **vis-a-vis** the violent fluctuations in the price of gold in England, France and other countries ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यूरोप के मार्च, 1968 के पहले पखवाड़े के सोने के संकट का भारतीय स्वर्ण बाजार पर कोई दृश्य प्रभाव नहीं पड़ा ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) मार्च, 1968 के पहले पखवाड़े में सोने का प्रति औंस मूल्य पेरिस में 35.29 डालर और 44.41 डालर के बीच, लंदन में 35.14 डालर और 35.34 डालर के बीच, ज्यूरिच में 35.21 डालर और 35.25 डालर के बीच और बैंकाक में 38.87 डालर और 40.77 डालर के बीच रहा । बम्बई में सोने की कीमत, मार्च के पहले दो सप्ताहों में लगभग स्थिर रही अर्थात् 154.5 रुपये प्रति 10 ग्राम या 64.07 डालर प्रति औंस रही । 18 मार्च से 29 मार्च, 1968 तक की अवधि में प्रति औंस सोने का औसत मूल्य पेरिस में 39.20 डालर, ज्यूरिच में 39.50 डालर, हांगकांग में 44.60 डालर और बम्बई में 67.72 डालर था । इस अवधि के अधिकतर भाग में लंदन का बाजार बन्द रहा ।

Shri Shiva Chandra Jha : I would like to know from the Hon. Minister whether at the time of gold rush the smuggling of gold from India to outside has increased or not ?

Shri K. C. Pant : There is no smuggling of gold from India to outside.

Shri Shiva Chandra Jha : I would like to know whether you are going to increase again the bank rate which was reduced due to gold rush ?

Shri K. C. Pant : I do not think it has got any relation with the Bank Rate. I stated that the price of gold in India did not rise while in foreign countries the price of gold increased at the time of gold rush.

श्री दी० चं० शर्मा : यह सोने का संकट किसी भी देश की मुद्रा नीति के सम्बन्ध में एक बड़ी मौलिक समस्या उत्पन्न करता है और हमारे देश की मुद्रा नीति के सम्बन्ध में भी, मुद्रा नीतियां भिन्न-भिन्न हैं, कुछ मुद्रा नीतियां स्टर्लिंग की हैं, कुछ डालर की और कुछ सोने की । उस सोने के संकट के कारण जो अभी हाल ही में उत्पन्न हुआ था और जिसका मुझे विश्वास है कि ऐसा संकट बार-बार उत्पन्न होगा; क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि मुद्रा नीति में पुनर्विचार की आवश्यकता है और इसे स्टर्लिंग के अनुकूल न बनाकर किसी अन्य मुद्रा के अनुकूल बनाना चाहिए ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसा प्रश्न कि भविष्य में क्या होगा बड़ा नाजुक प्रश्न है और इसके विषय में अनुमान लगाना भी समुचित नहीं होगा। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने वर्तमान नीति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के ढांचे के अन्तर्गत विशेष निजि खर्च अधिकार योजना की स्थापना का भी स्वागत किया है, यही हमारी वर्तमान नीति है।

Shri Beni Shanker Sharma : In India there are two markets for every thing, one is open market and the other is black-market. The Hon. Minister has stated that so far as the open market is concerned the price of gold has not been affected by the European gold rush. I want to ask from the Hon. Minister that because there is smuggling of gold in India in a large quantity and an adequate quantity is sold in the black-market, whether the price of gold in the black-market has been affected or not ? Secondly, due to this gold rush whether you want to make any change or not in the Gold Control Order which is still in vogue in our country ?

Shri K. C. Pant : So far as the first question is concerned I have given the information from the price list which I possess. So far as the second question is concerned the Gold Control Order is going to be introduced in the form of a Bill in this very session.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जहां तक डालर और रुपये के बीच अनुपात का सम्बन्ध है क्या सोने के संकट से इनके सम्बन्ध में कुछ असर पड़ने की सम्भावना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी नहीं। इस समय द्वि-स्तर प्रणाली है जिसके अन्तर्गत मुद्रा के अनुपातों को परिरक्षित किया गया है क्योंकि सरकारी लेन-देन 35 डालर प्रति औंस के हिसाब से अभी भी चल रहा है तथा केवल गैर-सरकारी लेन-देन के सम्बन्ध में ही, दर खुले बाजार की कीमतों पर निर्भर करता है।

Shri Deven Sen : I would like to know from the Hon. Minister that what will be the effect of gold rush on our export because it appears from the newspapers that America as well as England have increased their export to save themselves from the gold rush. I would like to know what is the position of India ?

Shri K. C. Pant : In the present position gold rush will not affect our import and export.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के संकट के कारण डालर की कीमत घटी है, क्या इससे भारत को मिल रही सहायता में किसी निश्चित सीमा तक कुप्रभाव पड़ेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह ऐसा प्रश्न है जिसके विषय में अमरीकी सरकार को कहना चाहिए ?

Naphtha Fertilizer Factories

*1124. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Marketing Division of the Indian Oil Corporation has not been able to conclude a long term agreement for the supply and price of Naphtha with any of

the fertilizer factories with the result that the production of fertilizer has been hindered ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) भारतीय तेल निगम की उर्वरक परियोजनाओं के साथ बात-चीत काफी प्रगति पर है और नेफ्था की सप्लाई के दीर्घकालीन करारों के शीघ्र ही हो जाने की आशा है। करारों के करने में लगे समय के कारण उर्वरक के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) सरकार की ओर से कोई कार्यवाही करना जरूरी नहीं।

Shri Maharaj Singh Bharati: As regards to fertilizer the policy of the Government has been changed three times in relation to raw materials. In the first instance it was coal-based plant, then electricity based and after that naphtha based. I would like to know that when the policy for setting up of a naphtha based fertilizer plant has been formulated then what is the reason that even after many years no agreement has been made neither with public sector nor with private sector to procure naphtha on a large scale. Will you make agreement when the fertilizer will be ready ? What is the reason that it has not been done so far ?

श्री रघुरामैया : वे तैयार किये जा रहे हैं और उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। इस की वजह से नैफ्था की सप्लाई में बिल्कुल भी रुकावट नहीं पड़ रही है। नैफ्था की सप्लाई हो रही है।

Shri Maharaj Singh Bharati: Now what to say ? So many years have passed and the Government have not yet concluded the agreement. It is very astonishing.

My second question is that now it is being said that there will be shortage of naphtha, and it was evident beforehand. Had the Government concluded a long term agreement such a situation would not have arisen. Now the Government would have realised that its policy regarding naphtha has been wrong. It will be appropriate that there should be proper supply of naphtha in future. Now, because the Government have come to the conclusion that there will be a shortage of naphtha in future, what steps the Government want to take the make up this shortage ?

श्री रघुरामैया : इस प्रश्न का उत्तर कई अवसरों पर दिया जा चुका है। इस समय नैफ्था की कोई कमी नहीं है। ऐसा पूर्वानुमान है कि शायद 1971 के बाद इसकी कमी पड़ेगी; और उसके लिये बहुत से कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, the questions are deferred here in this way and you do not permit us to ask more than two questions. The matter is finished by saying that various steps are being taken.

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं कहना चाहूंगा कि हम एक कोयला-आधारित उर्वरक एकक की साध्यता की भी जांच कर रहे हैं। एक समवाय के मामले में हमने तरल अमोनिया के आयात की अनुमति दे दी है। हमें इस बात की भी जांच करनी है कि नैफ्था के संवर्धन के लिए शोधनशाला-उत्पादन-पैटर्न में किस प्रकार परिवर्तन किया जाय।

श्री मनु भाई पटेल : नैफ्था की सप्लाई इसके आन्तरिक उत्पादन पर निर्भर करती है। यह पहले ही निर्णय किया गया था कि 1968 तक सरकारी क्षेत्र में एक नैफ्था एकक चालू हो जायेगा, मैं जानना चाहता हूं क्या उन्होंने योजना-लेख के अनुसार काम किया है और क्या यह एकक नियत समय पर काम करना आरम्भ कर देगा ?

श्री रघुरामैया : वह पैट्रो-कैमिकल संमिश्र में नैफ्था विस्फोटक (नैफ्था क्रैकर) के बारे में पूछ रहे हैं। यह सरकारी क्षेत्र में चल रहा है।

श्री नारायण रेड्डी : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि वे कोयला-आधारित उर्वरक कारखाने की भी जांच कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश में कुथागुडम या रामागुडम में कोयला आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री रघुरामैया : इस कारखाने की कुंघागुडम में स्थापित करने की सम्भावना और साध्यता की जांच की जा रही है।

कानपुर का लूप कारखाना

*1125. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर का लूप कारखाना घाटे में चल रहा है क्योंकि वहां तैयार होने वाले लूपों की बाजार में अधिक मांग नहीं है और उसका स्टाक जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). जी नहीं। यह कारखाना घाटे में नहीं चल रहा है। तैयार किए गये सभी लूपों को भारत सरकार खरीदेगी। फिलहाल कुछ स्टाक जमा हो गया है क्योंकि माल की निकासी उम्मीद से कम हुई है।

Shri Sitaram Kesri : Loops have accumulated in the Loop Factory at Kanpur. Should we deduce from it that loop has not proved popular? Have you got any information that the women who use loops suffer from mental diseases?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य को बिल्कुल गलत जानकारी प्राप्त है, अध्ययन करने से पता चला है कि लगभग 10 प्रतिशत मामलों में थोड़ा रुधिर स्राव और कमर-दर्द होता है। हम दूसरी तरह के लूप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिन्हें लोग खूब स्वीकार करेंगे।

Shri Sitaram Kesri : May I know whether it is not a fact that the foreign loop is more useful in family planning in comparison to the loop produced in our country?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : जी नहीं। स्वदेशी लूप आत्म-पर्याप्त हैं।

Shri Ram Gopal Shalwale : There is no doubt that the use of loop has badly affected the Hindu women. Muslim and Christian women have openly opposed it telling that it is against their religion. Only Hindu ladies are lying ill due to the use of these loops. But inspite of all this whether it is not a fact that the benefit is less than the amount spent over this loop scheme? Whether it is not a fact that the benefit is not in proportion to the expenditure and the diseases have also increased by its use?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य देशों से लूप के आयात पर हमने विदेशी मुद्रा में कुल कितनी राशि खर्च की ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : हम लूप का आयात नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्वदेशी लूप हमारे लिए पर्याप्त हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What is our annual requirement of loops and what is its our production? What is its effect on the increasing birth-rate and what should be the birth-rate according to your target? By how much do you want to reduce the birth-rate and by what time you will be able to achieve it?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य को कुछ आंकड़े देना चाहूंगा । कानपुर लूप कारखाने में जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया था, सितम्बर, 1965 में काम आरम्भ हो गया था । इस कारखाने ने धीरे-धीरे प्रतिदिन 30,000 लूप तथा 1500 निवेशक (इनसर्टर्ज) पैदा करने आरम्भ कर दिये । उत्तर प्रदेश सरकार के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार, इस कारखाने द्वारा पैदा किये गये लूप तथा निवेशक (इनसर्टर्ज) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को वितरण करने के लिये आवश्यकतानुसार लागत के आधार पर भारत सरकार द्वारा खरीद लिये जाते हैं । इसलिए जहां तक कारखाने का सम्बन्ध है घाटे का प्रश्न नहीं उठता । वर्तमान हालतों में कारखाने को यह परामर्श दिया गया था कि वह अक्टूबर 1967 से उत्पादन को घटाकर 5,000 लूप प्रतिदिन कर दे क्योंकि अन्तर्ग्रहण उतना नहीं था जितनी आशा थी, चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 मार्च, 1968 तक निवेशों (इन्सर्शन) की की संख्या 5,27,128 थी और इसको दृष्टि में रखते हुए स्थिति का पुनः पुनर्विलोकन किया गया था । 15 जनवरी, 1968, को कारखाने को कहा गया है कि उत्पादन को प्रतिदिन 1000 लूप तथा 50 इन्सर्टर्स तक ले आए । यद्यपि उत्पादन में कमी कर दी गई है फिर भी कारखाना चल रहा है । मैं माननीय सदस्य को कुछ और जानकारी देना चाहूंगा । हमने इस कारखाने को इसके उत्पादन में परिवर्तन करने के लिये अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक परियोजना के लिये 20,000 रुपये दिए हैं जिससे कि यह जार, बक्से आदि का निर्माण कर सके जो पैकिंग के काम में लाए जायेंगे और जिससे बेरोजगारी नहीं होगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What has been the effect of loops on the birth-rate? I want to know whether that rate has come down, if so, by how much and what is your target in this respect and when will you achieve it?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : विचार यह है, यदि एक व्यक्ति की नसबन्दी हो जाती है तो हम आशा करते हैं कि 1.5 संतति निग्रह हो गया है, यदि किसी एक के द्वारा लूप का उपयोग किया जाता है तो हम समझ लेते हैं कि आधा संतति निग्रह कर लिया है। यदि 500 कनडोम्स को उपयोग किया जाता है तो हम आशा करते हैं कि आधा संतति-निग्रह हो गया है। यही सांख्यकी गणना है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि 35 लाख नसबन्दी के मामलों से 90 लाख या एक करोड़ का जन्म हमने रोक लिया है तथा 1000 लूपों के उपयोग से हमने 500 का जन्म रोक लिया है।

एक माननीय सदस्य : आपका लक्ष्य कितना है ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : प्रति हजार 25, इसके लिए हमें 5 लाख लूपों का उपयोग करना होगा।

श्री जी० भा० कृपालानी : सभा इस बात से अवगत है कि सरकार द्वारा जो आंकड़े दिये जाते हैं वे किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये होते हैं और उनमें बहुत असमानता होती है। यहां तक कि एक कम उपज वाले वर्ष में खाद्यान्न के आंकड़े ऐसे दिये गये थे कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह बच्चा हो अथवा युवक अथवा वृद्ध उसे कम से कम 13 छटांक प्रतिदिन प्राप्त होगा। भारत में साक्षरता के विषय में शिक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा भिन्न-भिन्न आंकड़े दिये गये हैं।...(**व्यवधान**) अगले दिन जब वित्त मंत्री पोस्टकार्ड की कीमत बढ़ाने वाले थे उन्होंने कहा था कि केवल 25 प्रतिशत जनता पढ़ी लिखी है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है और हम समय बेकार में नष्ट कर रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि मंत्री महोदय जो शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं, उसका स्पष्टीकरण दे सकेंगे।

श्री जी० भा० कृपालानी : मैं केवल स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं। दुर्भाग्य से स्पष्टीकरण आवश्यक है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में 40 प्रतिशत साक्षरता है। क्या संतति-निग्रह के आंकड़े उसी प्रकार आंके जाते हैं जिस प्रकार कि शिक्षा और खाद्य के ?

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहना था सो कह दिया है। वह शिक्षा मंत्री अथवा वित्त मंत्री की ओर से जबाब नहीं दे सकते।

श्री जी० भा० कृपालानी : मैं अपनी ही बात नहीं कहना चाहता था, वे अपने आंकड़ों के विषय में उत्तर दे सकते हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय कहते हैं कि मूल लक्ष्य 30,000 लूपों के उत्पादन का था और फिर इसे 5,000 तक घटा दिया गया और उसके बाद फिर 1000 तक लाया गया। क्या वह अभी भी सोचते हैं कि देश में लूप काफी प्रचलित हैं ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : यह स्पष्ट है कि लूप हमारी जनता के कुछ वर्गों में प्रचलित नहीं है।

Shrimati Lakshmikanthamma: There is nothing to laugh. The population is increasing and the diseases are also on the increase due to the use of loops. Is it not the reason that loop is not becoming popular and is disappearing?

अध्यक्ष महोदय : श्री रबी राय, अगला प्रश्न···(**व्यवधान**) वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं ?

उर्वरक निगम के अधिकारियों द्वारा सरकार की नीति की कटु आलोचना

+

*1128. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री चक्रपाणि :**

श्री श्रीधरन : **श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी नियमों के अधीन सरकारी नीतियों की खुलेआम आलोचना तथा विरोध कर सकते हैं और समाज को आन्दोलन के लिये भड़का सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन नियमों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं ;

(ग) क्या फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धक-निदेशक द्वारा राजगिरी सामाजिक कार्यकर्त्ता संस्था में हाल में दिये गये भाषण की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । इस प्रश्न की जांच के उत्तर में फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर के प्रबन्ध निदेशक ने बताया है कि उसने 10 मार्च, 1968 को सामाजिक श्रमिकों की संस्था, राजगिरि में एक पूर्व कल्पना बिना, भाषण दिया ; जिसमें उन्होंने भाषा नीति की व्याख्या की तथा आन्दोलन न करने की सलाह दी ।

(घ) भाग "ग" के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

Shri Kameshwar Singh: Is it not a fact that the Managing Director, in his speech delivered to the students on 11th March, 1968 criticised the policies of the Government—the date mentioned by the Minister is 10th March?

श्री रघुरामैया : हमने पूछताछ की है और मैं पहले बता चुका हूं कि महाप्रबन्धक ने क्या कहा है, और उनके भाषण के बारे में पता लगाने का वही एक तरीका है । उन्होंने कहा कि उन्होंने भाषा सम्बन्धी नीति का स्पष्टीकरण किया और छात्रों को कोई आन्दोलन न करने की सलाह दी ।

Shri Kameshwar Singh : Apart from enquiring from the Managing Director himself, will the Hon. Minister use other means for ascertaining the facts ?

श्री रघुरामैया : हम उनसे पहले ही पूछ चुके हैं और उन्होंने जो कुछ कहा था बता दिया है । उन्होंने जो कुछ कहा है मैंने सभा के सामने रख दिया है ।

श्री श्रीधरन : केरल के एक दैनिक समाचार पत्र मलयालम मनोरमा से मैं प्रबन्धक निदेशक के भाषण के कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद उद्धरित करता हूं :

"भारत कभी भी एक केन्द्रीय प्राधिकार के अधीन नहीं रहा है । विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में वर्तमान भाषा नीति से विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा । अपने ज्ञान के विस्तार के लिये हमें अंग्रेजी पर निर्भर करना होगा । भारतीय भाषाओं ने इस दिशा में जो कार्य किया है वह बहुत ही निराशाजनक रहा है और विद्यार्थियों को इस प्रवृत्ति के विरुद्ध सुयोजित ढंग से अपनी आवाज उठानी चाहिये ।

हमें सरकार द्वारा की गई जांच में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि वह प्रबन्धक-निदेशक बहुत चालाक व्यक्ति है । क्या मंत्री महोदय प्रबन्धक-निदेशक के विरुद्ध शिकायतों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्वतन्त्र जांच करायेंगे ?

श्री रघुरामैया : उस अधिकारी ने कहा है कि समारोह पर समाचार पत्र का कोई भी संवाद्दाता उपस्थित नहीं था । मलयालम पत्र में गलत जानकारी दिये जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि वह रिपोर्ट एक ऐसे विद्यार्थी द्वारा भेजी गई थी जिसे अंग्रेजी का समुचित ज्ञान नहीं था । चूंकि अन्य किसी समाचार पत्र में इसकी एक जैसी रिपोर्ट नहीं आई है इसलिये उस विद्यार्थी द्वारा भेजी गई खबर को किसी ने भी कोई महत्व नहीं दिया है ।

श्री लोबो प्रभु : चूंकि सरकार ने अपनी भाषा सम्बन्धी नीति पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है, इसलिये इस विषय पर किसी चर्चा या मत व्यक्त करने को कैसे रोका जा सकता है और इस प्रकार इस पर व्यवहार सेवा आचरण नियम लागू नहीं होते ।

श्री रघुरामैया : उन्होंने यह तो एक पहेली खड़ी कर दी है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से भर्ती किये गये थे और क्या वे ऐसी बैठकों में राजनीतिक भाषण देने के लिये सक्षम हैं और क्या इन उपक्रमों में काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर सरकारी सेवा आचरण नियम लागू होते हैं ?

श्री रघुरामैया : इस समय निश्चय ही ये नियम उन पर लागू होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पृथक नियम नहीं बनाये हैं । जहां तक किसी चीज के आपत्तिजनक होने के प्रश्न का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे मामलों में एक अधिकारी सरकार की नीति की आलोचना किये बिना भी उसका स्पष्टीकरण कर सकता है ।

श्री क० लकप्पा : क्या सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी होने तक उसे मुअत्तल करेगी और यह पता लगायेगी कि क्या उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सच हैं ?

श्री रघुरामैया : उस अधिकारी को जो कुछ कहना था वह मैं पहले ही बता चुका हूं और सरकार का यह मत है कि इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आरोप सच है तो यह एक आपत्तिजनक बात है; किन्तु हमारे पास इसकी पुष्टि करने का कोई साधन नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उर्वरक कम्पनी के प्रबन्धक-निदेशक का काम उस कम्पनी के प्रबन्ध को देखने और उत्पादन को बढ़ाने का है अथवा भाषा सम्बन्धी नीति के प्रश्न पर भाषण देने का है और क्या सरकार इस अधिकारी के आचरण का अनुमोदन करती है ?

श्री रघुरामैया : जैसा कि मैंने बताया एक अधिकारी विद्या सम्बन्धी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। विद्यार्थियों द्वारा आमन्त्रित किये जाने पर उन्होंने भाषण दिया था। मैं नहीं समझता इसमें कोई आपत्ति की बात है।

श्री वेदव्रत बरुआ : इस व्यक्ति ने भाषा सम्बन्धी नीति की आलोचना की है जो कि एक विद्या सम्बन्धी प्रश्न है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे असहमत हूं, मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में उनके विचारों का उनके काम से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आलोचना का मूल्यांकन किया जा सके ?

श्री रघुरामैया : अधिकारी ने यह स्वीकार नहीं किया है कि उसने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, मैंने केन्द्र की भाषा सम्बन्धी नीति का स्पष्टीकरण किया और विद्यार्थियों को आन्दोलन न करने की सलाह दी।

श्री बलराज मधोक : 'मलयालम मनोरमा' एक बहुत ही जिम्मेदार पत्र है और उसके अनुसार इस अधिकारी ने विद्यार्थियों को सरकार की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये उकसाया। क्या सरकार इस तथ्य का पता लगाने के लिये कि उस अधिकारी ने क्या कहा, जांच कराने के लिये तैयार है ? दूसरे, क्या सरकारी अधिकारियों को इस सभा द्वारा स्वीकार की गई नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने की अनुमति है ?

श्री रघुरामैया : किसी अधिकारी द्वारा किसी आपत्तिजनक चीज को प्रोत्साहन देने का कोई प्रश्न नहीं है। हमने उससे तथ्य पूछे हैं और उसने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। उसने कहा है कि वहां कोई रिपोर्टर नहीं था और यह कि उसके बारे में गलत रिपोर्ट दी गई है। अतः जांच का प्रश्न कहां रह जाता है ?

भाखड़ा बांध का गोविन्द सागर तालाब

*1130. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपत्ति की है कि पंजाब सरकार को

भाखड़ा बांध के गोविन्द सागर तालाब में मछलियां पालने तथा पकड़ने का अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह दावा किया है कि गोविन्द सागर की मछलियों पर उनका पूर्ण अधिकार है क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ता है और मत्स्यपालन राज्य विषय है।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन से प्रार्थना की गई है कि वे इस मामले को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करें जिनके तत्वावधान में 1961 में भाखड़ा बांध और हिमाचल प्रदेश प्रशासन के बीच आय और व्यय के विभाजन और संयुक्त मत्स्यपालन बोर्ड की वर्तमान व्यवस्था की गई थी।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि राज्यों की सीमाएं निश्चित होतीं तो ऐसा कैसे हो सकता था। मैं समझता हूं कोई सीमा विवाद है। क्या मंत्री महोदय इसे गृह मंत्री को भेजेंगे और पहले इसका निपटारा करायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : वास्तव में 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के दौरान भाखड़ा बांध के प्रादेशिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ है। खण्डीय परिषद् की बैठकों का सभापतित्व गृह मंत्री करते हैं और वही इस समस्या का समाधान कर रहे हैं।

Shri Sri Chand Goyal: May I know whether the Himachal Pradesh Government has also a share in the Bhakra Nangal Project, if not, the reasons for its securing the fishing rights solely for itself and what the history uptill now is? Has the Punjab Government been sharing the fishing rights hither to?

डा० कु० ल० राव : 1961 के करार के अन्तर्गत भाखड़ा बांध प्रशासन तथा हिमाचल प्रदेश सरकार खर्च तथा आमदनी को 58:42 के अनुपात से बांटते रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि प्रादेशिक क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उसे शत-प्रतिशत आमदनी मिलनी चाहिये। विवादास्पद प्रश्न यह है और इसे मध्यस्थ निर्णय द्वारा निपटाया जायेगा।

तेल तथा उर्वरक उद्योग में भारतीय-इरानी सहयोग

\+

*1135. **श्री दी० चं० शर्मा** :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री दामानी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा उर्वरक जैसे उद्योगों में भारतीय-ईरानी सहयोग के बारे में कुछ प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय आवश्यकताओं के लिये तेल ईरान से खरीदने का विचार है क्योंकि तेल की खपत देश में 10 प्रतिशत बढ़ गई है।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) और (ख). पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के ईरान के हाल ही के दौरे के दौरान, तेल और उर्वरकों जैसे उद्योगों में भारतीय-ईरानी सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर संयुक्त रूप से बातचीत हुई। आर्थिक सहयोग की विभिन्न नई संभाव्यताओं पर विचार-विमर्श किया गया है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने यह इच्छा प्रकट की है कि पेट्रोलियम खोज के क्षेत्र में वर्तमान सम्बन्धों को बढ़ाया जाये और उर्वरकों जैसे नये क्षेत्र को शामिल किया जाये।

(ग) जी हां, यथासंभव।

श्री दी० चं० शर्मा : किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में भारत ईरान को सहयोग देगा और क्या यह सहयोग दीर्घकालीन होगा अथवा अल्पकालीन ?

श्री रघुरामैया : यह एक चर्चा का विषय है। उदाहरणार्थ, इसमें तट दूर क्षेत्र में तेल की खोज, भारत में उसके सहयोग से उर्वरक कारखानों का स्थापित किया जाना, उसके हिस्से के कच्चे तेल की बिक्री आदि शामिल हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : भारत सरकार तथा ईरान सरकार द्वारा कितनी-कितनी अंश पूंजी लगाई जायेगी ?

श्री रघुरामैया : अभी मामले पर अग्रेतर बातचीत होनी है और उस समय ही इन ब्यौरों का पता चल सकता है।

श्री दामानी : किन-किन बातों पर सहमति प्रकट की गई है और कितने मदों पर अभी चर्चा होनी बाकी है ?

श्री रघुरामैया : करीब 1 दर्जन मदों पर चर्चा हुई थी। ब्योरों पर सहमति प्राप्त होनी बाकी है।

Shri Maharaj Singh Bharati : Shall we be entitled to purchase the entire quantity of oil produced as a result of this joint venture?

श्री रघुरामैया : जी नहीं। तेल की मात्रा का छठा भाग खरीदने का हमें हक होगा। कुल मात्रा अनुमानत: 50 से 75 लाख टन होगी। हमारा हिस्सा इसका छठा भाग होगा।

Shri Maharaj Singh Bharati : We shall ofcourse be entitled to our share of one-sixth. My question is whether we shall be allowed to lift the entire quantity produced.

श्री रघुरामैया : इस मामले पर अभी चर्चा होनी बाकी है।

परिवार नियोजन संबंधी बुनियादी नीति

+

*1136. **श्री रामचन्द्र जे० अमीन :**

श्री द० रा० परमार :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन संबंधी बुनियादी नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जाति, नस्ल व धर्म का भेदभाव किये बिना समूचे देश में सभी समुदायों पर एक से अधिक पत्नी रखने के बारे में प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) सभी समुदायों के लिए विवाह का एक समान कानून रखने में अनेक कठिनाइयां है। इसलिए सरकार ने अभी ऐसा कानून बनाना वांछित नहीं समझा है।

श्री रामचन्द्र जे० अमीन : जबकि सरकार की नीति हिन्दुओं के लिये दो पत्नियां रखने के विरुद्ध है, फिर इसे भारत के अन्य समुदायों और जातियों पर लागू क्यों नहीं किया जाता, विशेष रूप से जबकि भारत अपने आपको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहता है ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : यदि मुस्लिम समुदाय ऐसे कानून के लिये राजी है, तो सरकार विधान ला सकती है।

श्री रामचन्द्र जे० अमीन : यह हिन्दुओं पर ही क्यों लागू होता है ?

श्री बलराज मधोक : क्या यह एक धर्मनिरपेक्ष उत्तर है ? एक धर्मनिरपेक्ष प्रश्न का आप साम्प्रदायिक उत्तर देते हैं।

श्री नाथपाई : संविधान की रचना के समय राष्ट्र के समक्ष यह प्रश्न रखा गया था कि सब पर एक सामूहिक व्यवहार विधि लागू होनी चाहिये। विवाह भी इस विधि के अन्तर्गत आता है और इसमें धर्म से सम्बन्धित कोई चीज नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रों में भी एकल विवाह के कानून को लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित समुदाय को मनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : जहां तक अल्प संख्यक समुदाय के विवाह सम्बन्धी कानूनों का सम्बन्ध है, उनमें परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई भी सुझाव सम्बन्धित समुदाय से आना चाहिये। जहां तक मुस्लिम नागरिकों का सम्बन्ध है उनमें से अधिकांश उनके विवाह सम्बन्धी कानून में हस्तक्षेप को, जो शरायत का एक भाग है, हस्तक्षेप समझते हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954

को विवाह सम्बन्धी सामूहिक व्यवहार संहिता समझा जा सकता है। न केवल भारतीय नागरिक ही अपितु अन्य लोग भी इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह कर सकते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

पाकिस्तान के साथ दूर संचार सम्पर्क

अ०सू०प्र० संख्या 18. श्री हेम बरुआ : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा पाकिस्तान में, दोनों देशों के बीच तार तथा टेलीफोन संचार व्यवस्था सुधारने के लिए एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। वैसे विचाराधीन करार की अभी दोनों सरकारों द्वारा मंजूरी दी जानी है।

(ख) विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है :

(1) अपने-अपने देश में तीन प्रमुखों मार्गों–(i) लाहौर-अमृतसर-नई दिल्ली, (ii) कलकत्ता-ढाका और (iii) कराची-जोधपुर-बम्बई पर बेहतर उपस्कर लागाना। दोनों देश मई, 1968 के मध्य तक इन संस्थापनों को पूरा करने के लिए हर तरह से प्रयत्न करेंगे।

(2) दोनों देशों के बीच परियात का मुक्त आदान-प्रदान सुनिश्चित करने की दृष्टि से दोनों देश तार और टेलीफोन दोनों की सीमांत परियात संबंधी अपनी वसूली स्वयं रखेंगे और 1 नवम्बर, 1967 से राजस्व की कोई साझेदारी नहीं रहेगी।

(3) एक देश में किसी भी स्थान से दूसरे देश के किसी भी स्थान के लिए टेलीफोन कालों सम्बन्धी एक समान दर होगी। इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई है कि एक देश से दूसरे देश को भेजे जाने वाले परियात के लिए तार और टेलीफोन की दरें दोषमुक्त कर दी जाएं और वे दोनों दिशाओं में एक सी होनी चाहिए।

(4) परियात में वृद्धि होने पर किस्म तथा क्षमता की दृष्टि से परिपथों को और अधिक विकसित करने के लिए पुनर्विलोकन किया जाता रहेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या इस सम्मेलन में इस पहलू पर भी चर्चा की गई थी कि सम्पर्क लाइन पाकिस्तान द्वारा जानबूझ कर नहीं तोड़ी जायेगी जैसा कि उसने 1965 में भारत पर आक्रमण करने के पश्चात किया था ?

डा० राम सुभग सिंह : सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी। ताशकन्द समझौते के पश्चात यह निर्णय किया गया था कि दोनों देशों के बीच दूर संचार सम्पर्क पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। अतः गत वर्ष अक्तूबर में और फिर 30 मार्च से 2 अप्रैल तक बैठक हुई थी

जिनमें इन बातों पर चर्चा की गई थी, किन्तु अन्त में जिन बातों पर सहमति प्रकट की गई वे उत्तर में दी गई हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या इस सम्मेलन में लेखापालन के सुधरे हुए तरीकों को अपनाने और सेवा में सुधार करने पर चर्चा की गई थी, यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान की क्या राय है ?

डा० राम सुभग सिंह : अब यह तय पाया है कि जो आमदनी भारत में होती है उसे भारत रखेगा और जो पाकिस्तान में होती है उसे पाकिस्तान रखेगा। जहां तक सेवा में सुधार करने का सम्बन्ध है, पाकिस्तान अपने क्षेत्र में टेलीफोन और तार सेवा में सुधार कर रहा है और हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। सीमा तक हमारी सेवा में पहले ही सुधार किया जा चुका है।

Shri Chandrajit Yadav: May I know whether it has been stipulated in the present agreement that it will come into force only after Pakistan has released the Indian goods seized by her during the Indo-Pak hostilities?

Dr. Ram Subhag Singh: Our representatives raised this point very forcefully at both the meetings. It was agreed that for the time being tele-communication links should be restored and that this matter be included in the over-all talks between the two countries.

Shri Madhu Limaye: May I know whether our Government had initiated talks with Pakistan on the question of restoring to us the goods seized by Pakistan or paying compensation to us in regard thereto and whether agreement has been reached in this conference in regard to the flying of civilian planes?

Dr. Ram Subhag Singh: It is a limited question pertaining to the restoration of seized goods and payment of revenue arrears to us. They stated that this might be considered in the separate over-all agreement.

Shri Madhu Limaye: Did you initiate any talks for the restoration of goods or for payment of compensation?

Dr. Ram Subhag Singh: We did have talks, but they stated that they were not authorised to talk on that matter and that this will be taken up in the over-all talks between India and Pakistan.

Shri Madhu Limaye: Does this over-all settlement relate to all the disputes or only this issue?

Dr. Ram Subhag Singh: They stated that the question of seizure of goods might be raised at the time of resolving all the pending disputes.

Shri Madhu Limaye: Did you accept this argument?

Dr. Ram Subhag Singh: We had raised this point and we did not accept it.

Shri Randhir Singh: May I know whether the reopening of Ferozepur-Lahore line was also discussed?

Dr. Ram Subhag Singh: No, Sir. Talks were, however, held regarding the Amritsar-Lahore line.

Shri Balraj Madhok : May I know whether Pakistan has also taken some reciprocal steps under the Tashkent Agreement? Is it not a fact that officially even now Pakistan is in a state of war against India? In view of this how did you conclude such an agreement when Pakistan has not lifted even the state of war?

Dr. Ram Subhag Singh : Under the Tashkent Agreement a limited question was discussed which, I have mentioned here. As regards the state of war, it was never declared and as such the question of its lifting does not arise.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पाकिस्तान की ओर कुल कितनी राशि बकाया है और पाकिस्तान उसका कब तक भुगतान करने जा रहा है ?

Dr. Ram Subhag Singh : From December, 47 to March, 67 our claim against Pakistan was for Rs. 1 crore and 67 lakhs for telegraphs while Pakistan claims that their telegraphs charges might amount to Rs. 1 crore and 46 lakhs. Similarly, in regard to telephone we had claimed an amount of Rs. 1 crore and 2 lakhs while Pakistan claimed Rs. 61 lakhs. In regard to these items and then seized property they stated that these might be taken up at the time of concluding the over-all agreement.

श्री रंगा : अफवाहों पर आधारित एक ओर से दूसरी ओर भड़काने वाले सन्देश न दिये जायें इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : इस सम्बन्ध में हम प्रत्येक सम्भव उपाय करेंगे कि इस प्रकार का कोई मौखिक अथवा लिखित सन्देश न जाने पाये ।

Shri S. M. Joshi : Every issue that is to our advantage is tagged to the over-all agreement. May I know whether this matter has been kept in abeyance with the permission of the Prime Minister?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने हैं । दोनों देशों के बीच बहुत सारे प्रश्न अनिर्णीत हैं । कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं । यदि पाकिस्तान, काश्मीर का मसला हल होने तक सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है, तो क्या हमें तनाव को कम करने के लिये एक-एक प्रश्न को नहीं निपटाना चाहिए ?

Shri S. M. Joshi : Does it not amount to appeasement when every issue where we hope to gain something, is tagged to the Kashmir question?

Dr. Ram Subhag Singh : There is no question of appeasement in what has been done regarding tele-communication.

श्री बलराज मधोक : पाकिस्तान जो कुछ चाहता है, आप उसे दे देते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : पाकिस्तान के साथ हमने नेहरू-लियाकत करार किया था जिसे पाकिस्तान ने कभी क्रियान्वित नहीं किया । क्या इस करार में माननीय मंत्री ने इस बात का ध्यान रखा है कि पाकिस्तान एक पक्षीय रूप से इसका उल्लंघन न करे ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं ।

श्री जी० भा० कृपालानी : माननीय मंत्री ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की आवश्यकता है और यह वांछनीय है । क्या यह केवल वांछनीय है और हमारे लिये ही इसकी आवश्यकता है या पाकिस्तान के लिये भी ?

श्री मोरारजी देसाई : शांति दोनों देशों के लिये और समस्त संसार के लिये वांछनीय है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह द्विपक्षीय है ।

श्री मनोहरलाल सोंधी : क्या पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान के बीच दूर संचार सम्पर्कों पर इस करार का कोई प्रभाव पड़ता है, यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के साथ भारतीय टेलीफोन सम्पर्कों के सम्बन्ध में भारत ने इस प्रकार की कोई रियायतें प्राप्त की हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, किन्तु पाकिस्तान के इन दो भागों के बीच उनकी अपनी पद्धति भी है किन्तु मुख्य रूप से यह भारत और पाकिस्तान के बीच है । यह पारस्परिक है और हमने पाकिस्तान को कोई रियायतें नहीं दी हैं ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : माननीय उप-प्रधान मंत्री ने काश्मीर के प्रश्न का उल्लेख किया । क्या भारत सरकार इस समस्या को मानती है और क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों का इस समस्या से कोई सम्बन्ध है ?

श्री मोरारजी देसाई : हम इसे चाहें या न चाहें, प्रश्न तो है । समस्या उनके द्वारा उठाई जाती है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है और हम उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta: In view of the fact that Pakistan concludes agreements only with regard to those items which are to his advantage, do Government propose to implement the Tashkent Agreement, as a whole and end this piecemeal business?

श्री मोरारजी देसाई : इस सम्बन्ध में हमें यह देखना है कि क्या हम उसे सही चीज को देखने के लिये मना सकते हैं और यदि कुछ समय तक वह ऐसा नहीं करता, तो बाद में हम अपनी नीति में परिवर्तन कर सकते हैं ।

Shri Tulshidas Jadhav : May I know the number of issues pending settlement between India and Pakistan sinee the Tashkent Agreement and how many of them have Since been settled?

Shri Ram Subhag Singh: It is just a beginning, other issues have yet to be settled.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वृद्धावस्था पेंशन योजना

*1108. **श्री समर गुह :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धावस्था पेंशन योजना सभी राज्यों में लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को 1967-68 में कितना धन दिया गया ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार समूचे देश में इस योजना को समान रूप से लागू करने का है ; और

(घ) क्या ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिये जिनके पास जीवनयापन के कोई साधन नहीं हैं आश्रम (होम्स) स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो सभी राज्यों में प्रयोज्य हो, लागू नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों तथा संघ शासित-क्षेत्रों ने अपनी कुछ योजनायें पुरःस्थापित की हैं जिनके विशेष तथ्य सदन-पटल पर रखे गये विवरण पत्र में परिवेष्टित हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-817/68]**

(ग) और (घ). नहीं, श्रीमान्।

कोचीन और अलप्पी तटवर्ती क्षेत्रों में तेल के लिये सर्वेक्षण

*1110. **श्री नायनार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने तेल का पता लगाने के लिये कोचीन तथा अलप्पी के तटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस क्षेत्र में प्रारम्भिक भूगर्भीय एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है। रूस के अतटीय भूकम्पीय सर्वेक्षण जहाज ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण पार्श्वचित्र कार्य किया।

(ख) विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि इस क्षेत्र में समुद्री अवसादीय की मोटाई बहुत लघु है और इस लिये, यह क्षेत्र आशा-जनक नहीं समझा गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Sales Tax on Printing Presses

*1112. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sales Tax is charged from private presses which print jobs relating to examination papers for schools and colleges worth more than Rs. 12,000 in a year in U. P. whereas there is no such limit for Sales Tax on the printing of examination papers in the Union Territory of Delhi ;

(b) If so, whether it is proposed to charge Sales Tax from all printing presses on the printing of examination papers at uniform rates by abolishing the limit of Rs. 12,000 in U. P, with a view to remove this disparity ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) Printing jobs as such, whether of examination papers or otherwise, undertaken by presses are not liable to sales tax either in U. P. or in Delhi. However, if printing presses sell materials, besides undertaking the printing jobs, such printing presses are liable to pay sales tax on sale of such materials, both in U. P. and in Delhi, if their turnover in a year exceeds Rs. 12,000 and Rs. 10,000 respectively.

(b) and (c). As the turnover limit of Rs. 12,000 in the case of U. P. is applicable to all dealers in the State, there is no proposal to make an exception in the case of printing presses.

Grant of Scholarships to Disabled Students

*1114. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the schemes drawn up by the Central Government for the grant of scholarships to disabled students now desirous of getting higher education ;

(b) the total expenditure being incurred thereon ;

(c) whether Government propose to increase that amount ; and

(d) if not, whether Government propose to make arrangements in consultation with the State Governments and Universities at least for granting free-ships concessions to disabled students ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) A statement is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-818/68]**

(b) 1967-68 .... Rs. 4.92 lakhs.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*1115. **श्री मंरडी :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये सरकार अनुसूचित जातियों/तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये नियत आय-सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये छात्रवृत्तियां देने के लिये आय के आधार को समाप्त किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम

*1117. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम बम्बई के मुख्यालय के एक अधिकारी की आस्तियों की जांच केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई थी तथा उन्होंने पता लगाया था कि उस अधिकारी के पास ढाई लाख रुपये तो नकद थे और उसके 15 लाख रुपये विदेशी बैंकों में जमा थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस अधिकारी की पदोन्नति कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसे किस आधार पर पदोन्नति किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं । परन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भारतीय तेल निगम (मार्किटिंग विभाग) बम्बई, के एक इंजीनियरिंग मैनेजर के विरुद्ध, एक मामले में जांच कर रहा है और ब्यूरो को पता लगा है कि अधिकारी के पास, उसके अपने नाम या उसके आश्रितों के नाम, 1,41,405 रुपये तक की आस्तियां हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि आयकर लगाना

*1118. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री 14 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आयकर लगाने तथा कृषि आय को एक समान बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग के सुझावों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जैसा कि इस सभा में पहले बताया गया था, इस विषय पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की 1-2 दिसम्बर, 1967 को हुई पिछली बैठक में विचार किया गया था और इसे राज्य-सरकारों के पास उनके विचारार्थ भेज दिया गया हैं। इस पर राज्य सरकारों द्वारा अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिणी कमान के लिये पृथक प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय

*1119. **श्री अंबचेजियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में काफी सैनिक संस्थान हैं जिनका लेखा कार्यालय पूना में है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिणी कमान के लिये प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक का एक पृथक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका मुख्यालय मद्रास अथवा बंगलौर में हो ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां । दक्षिणी कमान के रक्षा लेखा नियंत्रक का प्रधान कार्यालय पूना में स्थित है ।

(ख) जी, नहीं ।

General Orders Issued by Banks

*1120. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of such printed or cyclostyled orders, instructions, circulars etc. issued by various banks, companies and corporations under Government since the 15th January, 1968 which can be classified as 'General Orders' ;

(b) the number of such general orders which have been issued only in English and the reasons for which they were not issued in Hindi ; and

(c) the arrangement made to issue these general orders in Hindi as well with a view to enforce Official Languages Act ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) to (c) . The information regarding number of general orders issued since 15th January, 1968 by corporations, companies etc. under Government is not available. It is felt that the time, effort and expenditure involved in collecting the information from over 75 companies and corporations with hundreds of Branches all over the country, may not be commensurate with the results to be achieved. Necessary instructions regarding the implementation of the provisions of the Official Languages Act are under consideration of Government.

श्री तथा श्रीमती जयप्रकाश नारायण को विदेश यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा का दिया जाना

*1121. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जयप्रकाश नारायण तथा उनकी पत्नी को दक्षिण-पूर्वी एशिया, रूस, यूरोप, कनाडा तथा अमरीका की दस सप्ताह की यात्रा कर सकने के लिये 16 फरवरी, 1968 को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ;

(ख) उनको 'पी' फार्म किस आधार पर दिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार अन्य नागरिकों को ऐसी ही परिस्थितियों में ऐसी यात्रायें करने की अनुमति देगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 600 डालर ।

(ख) अधिकांश यात्रा, स्वीकार्य किस्म की आतिथ्य-व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी थी ।

(ग) जी, हां । नागरिकों के लिये विदेशों में स्वीकार्य किस्म की आतिथ्य-व्यवस्था होने पर, उन्हें विदेशों में यात्रा करने की मंजूरी दी गयी है और दी जायेगी ।

सामान्य मूल्य स्तर

*1122. **श्री मा० ला० सोंधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सामान्य मूल्य स्तर के लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि किसी एक वर्ष में सबसे अधिक थी ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि किन वस्तुओं के कारण हुई और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि निर्मित औद्योगिक उत्पादों अथवा मध्यवर्ती उत्पादों की तुलना में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अधिक अनुपात में वृद्धि हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । 1966 की तुलना में 1967 के थोक मूल्यों का वार्षिक औसत सूचक अंक 15.3 प्रतिशत अधिक है और यह वृद्धि हाल के आर्थिक इतिहास में किसी एक वर्ष में हुई उच्चतम वृद्धि है ।

(ख) 1967 में महत्वपूर्ण समूहों/वस्तुओं की कीमतों में हुई घट-बढ़ को दिखाने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-819/68]** 1967 के थोक मूल्यों के वार्षिक औसत सूचक अंक में वृद्धि मुख्यतः खाद्य पदार्थों की कीमतों के 25.7 प्रतिशत बढ़ जाने से हुई जिसका मुख्य कारण कृषि-सम्बन्धी कठिन परिस्थिति था ।

(ग) जी, हां ।

जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद में पूंजी विनियोजन

*1123. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी राशि के शेयर खरीदे गये हैं तथा इसमें से कितनी राशि सरकारी क्षेत्र के शेयरों में लगाई गई है तथा कितनी राशि गैर-सरकारी क्षेत्र के शेयरों में; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन शेयरों से लाभांश के रूप में कुल कितना धन प्राप्त हुआ तथा वह राशि कुल विनियोजित धनराशि की कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों में लगाई गई कुल रकम की मात्रा 31 मार्च, 1967 को 149.83 करोड़ रुपये थी; जिसमें से 5.16 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में थे और 144.67 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र में।

(ख) पिछले तीन वर्षों में वितरित लाभांशों की कुल मात्रा तथा लगी हुई आय कुल रकम से होने वाली आय का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-820/68]**

इस्पात के आयात के लिये विदेशी मुद्रा

*1126. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय ने कुछ ऐसी किस्मों के इस्पात का जिसकी देश में कमी है आयात करने के लिये वित्त मंत्रालय को विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). उस तरह के एक सुझाव पर विचार किया गया था । आयात को उदार बनाने की मौजूदा योजना के अन्तर्गत, छोटे और बड़े पैमाने के प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की, इस्पात समेत कच्चे माल की सारी

आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं । दूसरे उद्योगों की मांगें, जिस हद तक साधन उपलब्ध हों तथा अन्ततः निर्मित वस्तुएं अत्यावश्यक हों, उसके अनुसार, यथासम्भव पूरी की जाती हैं । इसलिए दुर्लभ किस्मों के इस्पात समेत कच्चे माल की आवश्यकताओं को मौजूदा आयात नीति के अन्तर्गत पूरा किया जा रहा है और इस समय इस आयात नीति में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है ।

Cheap Houses

*1127. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the Hindustan Times of the 11th March, 1968, under the caption 'A house in 12 hours' ; and

(b) if so, Governments' reaction in regard to the adoption of the technique for the construction of houses to meet housing shortage ?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jaganath Rao): (a) Yes, Sir.

(b) Two such houses have been constructed in New Delhi and their economic and technical aspects are under study.

उर्वरक ऋण गारंटी निगम

*1129. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में नियुक्त उर्वरक ऋण समिति ने एक प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना करने की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या सरकार इस समिति के इस कथित विचार से सहमत है कि वर्ष 1970-71 तक उर्वरक-वितरण के लिये 850 करोड़ रुपये के ऋण की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय उर्वरक संघ द्वारा स्थापित की गयी समिति की सिफारिशों पर सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार करेगी ।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

*1131. **श्री दीवीकन :**

श्री अंबचेजियान :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने से अपशिष्ट पदार्थ की निकासी के लिये बरौनी में एक मील लम्बा नाला खोदने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब आरम्भ हो जाने की संभावना है ; और

(ग) गंगा नदी के जल पर इसका प्रभाव क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी हां । कार्य पूरा हो चुका है ।

(ग) इससे शोधनशाला से निकाला गया अपशिष्ट पदार्थ बिना किसी हानिकारक प्रभाव के गंगा नदी में ठीक ढंग से मिल जायेगा ।

Under Valuation of Goods pledged with Banks

*1132. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that big traders at the time of pledging their goods with the Banks show less value of such goods in their registers and thus save Income-tax ; and

(b) the steps being taken by Government to check with irregularities and the action which is taken against the traders who evade Income-tax in this manner ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) Differences either in value only or value and quantity both of the stocks declared to the Bank and shown in the account books come to the notice of the Income-tax Department from time to time. Such differences may be due either to inflation in statements to the Bank with a view to get bigger overdraft or the statements to the Bank may be correct but the stocks shown in the accounts may have been understated. In the former kind of cases there is no evasion of income-tax. The Income-tax Department is concerned only with the second kind of cases.

(b) Wherever such discrepancies are noticed, facts are ascertained and if it is found that statement to the Bank represents the correct position of stocks, but this is not reflected in the accounts, action is taken to assess the value of the stocks not disclosed in the accounts. Penal action is also taken in such cases.

Western Kosi Canal Project

*1133. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 415 on the 4th March, 1968 and state :

(a) whether the Officer of the Central Water and Power Commission has since returned after making negotiation with Bihar Government and completing on-the-spot study of Western Kosi Canal ;

(b) if so, whether the course of canal has been finalised ;

(c) whether the same has been forwarded to the Government of Nepal and their concurrence obtained ;

(d) if so, the date on which the work is likely to start ; and

(e) if not, the reasons for the delay ;

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The officer of the Central Water and Power Commission has returned after inspecting the Western Kosi Canal alignment and having discussions with the Bihar Government.

(b) Yes ; Sir.

(c) and (d) Necessary action is being taken.

(e) The proposal sent by Bihar Government had to be re-cast after field inspection and discussions.

Stipendiary Committees in Bihar

*1134. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Hindu and Muslim School students belonging to the backward classes in the various Districts of Bihar receive stipends from Social Welfare Department ;

(b) whether it is a fact that Hindi Stipendiary Committee and Muslim Stipendiary Committee for backward classes are functioning in every District of the State for this purpose including M. Ps. and M. L. As. as their Members ; and

(c) if so, the reasons for constituting such Committees on communal basis and action proposed to be taken to abolish them ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The intention of the State Government appears to have been the protection of group interests. The question of abolishing them will be taken up with the State Government.

उड़ीसा के लिये अधिक धन के नियतन की मांग

6618. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य के लिये अधिक धन नियत किये जाने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में सुनारों को सहायता

6619. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ासा में सुनारों को सहायता देने के लिये सरकार द्वारा जनवरी, 1968 के अन्त तक कितनी धनराशि मंजूर की गई थी; और

(ख) अब तक कितने सुनारों को सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) स्वर्ण नियंत्रण द्वारा प्रभावित सुनारों के पुनर्वास की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा की सरकार को 31-1-1968 तक ऋणों के लिये पेशगियों के रूप में, अनुग्रहपूर्ण अदायगियों के लिए अनुदानों के रूप में तथा शिक्षा सम्बन्धी और तकनीकी प्रशिक्षण सहायता पर व्ययपूर्ति के रूप में मंजूर की गयी कुल रकम 69,59,338 रुपये है।

(ख) उड़ीसा राज्य में जिन सुनारों को ऋण तथा अनुग्रहपूर्ण अदायगियां प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या क्रमशः 6146 तथा 254 है। जिन सुनारों और उनके जिन आश्रितों को शैक्षिक सहायता अथवा तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हुई उनकी संख्या 60,307 है।

वर्ष 1967-68 में उड़ीसा को ऋण

6620. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को वर्ष 1967-68 में कोई ऋण दिया है जिससे उड़ीसा सरकार अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष में अपनी अर्थोपाय सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिये कुल 8.65 करोड़ रुपये के दो ऋण दिये गये थे जिनमें से 4.65 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी 18 दिसम्बर, 1967 को और 4 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी 30 मार्च, 1968 को दी गई थी।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में माली

6621. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति भवन में कितने माली नियुक्त हैं और उनका वार्षिक वेतन कितना है;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने कर्मचारी राष्ट्रपति भवन में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और उनका, वर्ग-वार, वार्षिक वेतन कितना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रपति भवन के रख-रखाव पर प्रति वर्ष कितना खर्च आया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) मालियों की संख्या ... 178

मालियों का वार्षिक वेतन ... 3,21,500 रुपये।

(ख) विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-** 797/68]

(ग) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रपति भवन के अनुरक्षण के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया वार्षिक व्यय :

1965-66	3,65,852 रुपये
1966-67	3,89,156 रुपये
1967-68	3,94,698 रुपये ।

प्रतिजीवाणु औषध निर्माणकर्त्ता कारखाने

6622. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिजीवाणु औषध निर्माणकर्त्ता कारखानों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों में हैं *तथा* 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये गये उत्पादों के नाम, उनकी मात्रा तथा मूल्य क्या-क्या हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक कारखाने द्वारा कितने तथा कितने मूल्यों के उत्पादों की बिक्री की गई तथा प्रत्येक कारखाने में मूलतः कितनी पंजी लगाई गई थी और प्रत्येक कारखाने ने कितना लाभ कमाया ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :
(क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिजीवाणु औषध निर्माणकर्त्ता कारखाने के कर्मचारी

6623. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिजीवाणु औषध निर्माणकर्त्ता कारखाने के 12 उच्च अधिकारियों के नाम, पदनाम, वार्षिक वेतन तथा परिलब्धियां क्या-क्या हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र, के प्रत्येक कारखाने से उन उपअधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों में विदेश गये, प्रत्येक ने किन-किन देशों का दौरा किया और वे कितने दिन वहां रहे और प्रत्येक दौरे के लिये कितना खर्चा तथा विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक कारखाने में कितने मजदूर काम करते हैं और प्रत्येक कारखाने का वार्षिक वेतन बिल कितना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Income-tax Arrears Outstanding Against Jay Engineering Works Ltd., Calcutta

6624. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the Income-tax arrears outstanding against the Jay Engineering Works Ltd., Calcutta during the last ten years ; and

(b) the steps being taken by Government for the recovery thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को रोगियों के मामले भेजे जाना

6625. **श्रीमती उमा राय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी विशेषज्ञों को रोगियों के मामले भेजे जाने के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को मान्यता देते हैं; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). जब सफदरजंग तथा विलिंगडन जैसे केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में उपचार की अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं तो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ विशेषज्ञों की सलाह पर स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक द्वारा रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में भेजा जाता है ।

भारत में सिंचित भूमि

6626. **श्री किरुतिनन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 के अन्त में कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती थी;

(ख) वर्ष 1968-69 में (राज्यवार) कितनी भूमि में सिंचाई करने का प्रस्ताव है; और

(ग) 1947 से कितना धन व्यय किया गया है और वर्ष 1968-69 में (राज्यवार) कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 500 लाख एकड़ ।

(ख) लगभग 900 लाख एकड़ । उपलब्ध राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-798/68]**

(ग) बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 1967-68 के अन्त तक (1951 से पहले योजना में शामिल स्कीमों के खर्च समेत) तथा दूसरी योजना से 1967-68 के अन्त तक लघु सिंचाई योजनाओं पर हुआ खर्च संलग्न विवरण-2 में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-798/68]**

प्रथम योजना के दौरान लघु सिंचाई 'कृषि उत्पादन' वर्ग में शामिल थीं और इसलिये लघु सिंचाई योजनाओं पर राज्यवार खर्चे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

1968-69 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

राज्य बिजली बोर्डों में हानि

6627. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों में से जहां राष्ट्रपति का शासन लागू है, किन-किन राज्यों के राज्य बिजली बोर्ड तथा किन-किन संघराज्य क्षेत्रों के बिजली बोर्ड हानि में चल रहे हैं तथा उनमें गत पांच वर्षों में कितनी हानि हुई है ; और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस हानि को कम करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं तथा करने का विचार है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस समय केन्द्र द्वारा इस हानि को किस प्रकार पूरा किया जाता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाना राज्यों में से, जहां आजकल राष्ट्रपति का शासन है, उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने 1966-67 के अपने राजस्व खाते में हानि दिखाई है । पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के 1965-66 और 1966-67 के वर्षों के राजस्व खाते में कोई हानि नहीं हुई है । हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड 1 मई, 1967 को बनाया गया था और उसका 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पहला वार्षिक हिसाब तैयार किया जा रहा है । दिल्ली बिजली प्रदाय सम्भरण के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र शासित प्रदेश में बिजली बोर्ड या बिजली बोर्डों के समान व्यापारिक बिजली संस्थाएं नहीं हैं । दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम घाटे में नहीं चल रहा है ।

पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्डों के राजस्व खाते में 1962-63 के वर्ष से हानि की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-799/68]** राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उठाई गई हानि आगे आने वाले वर्षों के हिसाब में तब तक दर्शाई जाती है जब तक कि ये हानियां आगे होने वाले फालतू आमद से पूरी न हो जाएं । हानि के मुख्य कारण ये हैं :

(1) पिछली दो ऋतुओं में देश में सूखे की स्थिति विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश में,

जिसका प्रभाव पानी की सप्लाई पर पड़ा और फलस्वरूप कम बिजली पैदा हुई और बेची भी कम गई ;

(2) बोनस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोनस देना अनिवार्य किया जाना और मंहगाई भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रशासनिक व्यय का बढ़ जाना ;

(3) कोयले तथा अन्य सामान की कीमतों के बढ़ जाने के कारण चालन तथा रख-रखाव के व्यय में वृद्धि ।

वैंकटरमण समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों पर जोर दिया है कि प्रथमतया उनका लक्ष्य यह होना चाहिए कि वे इतना राजस्व प्राप्त कर लें कि उससे वे प्रचालन तथा रख-रखाव का खर्चा साधारण निधि, ह्रास निधि और ब्याज पर होने वाले खर्च को पूर्ण कर सकें और उत्पादन, पारेषण तथा अधिभार समेत वितरण के व्यय को यथासम्भव कम रखें । पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने 31 अगस्त, 1965 से अपनी बिजली की दरें बढ़ा दी हैं और उनके राजस्व खाते में 1965-66 और 1966-67 के वर्षों में कोई हानि नहीं हुई है । उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने कुछ वर्गों को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लगाकर अपनी बिजली की दरों को सितम्बर/अक्तूबर से बढ़ा दिया है ।

मीटरिंग सिस्टम पर सरकार का नियंत्रण

6628. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत शक्ति मीटर के अंशांशमापन के बारे में भारतीय बिजली सम्भरण अधिनियम के क्या उपबन्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अधिकतर उपभोक्ता विद्युतशक्ति मीटर की अंशांशमापन प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, जिसके परिणामस्वरूप गैर-सरकारी बिजली सप्लाई कम्पनियां उपभोक्ताओं की इस अनभिज्ञता का लाभ उठाकर मीटर तेज करके उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों के मीटरिंग सिस्टम को अपने नियन्त्रण में रखने का है अथवा एक प्रभावकारी अधिनियम द्वारा इस शोषण को समाप्त करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). भारतीय बिजली अधिनियम 1910 की धारा 26 के अधीन किसी उपभोक्ता को सप्लाई की गई बिजली की मात्रा का आंकन एक सही मीटर द्वारा किया जायगा, यदि इसके विपरीत कोई और समझौता न हो । इस धारा के नीचे दी गई व्याख्या के अनुसार मीटर सही समझा जायगा यदि यह सप्लाई की गई बिजली की मात्रा को गल्तियों की निर्धारित सीमा तक माप लेता है ।

भारतीय बिजली नियमों के 57वें नियम के अधीन मीटर सही समझा जायगा यदि उसकी गल्तियों की निर्धारित सीमा पूरे भार के दसवें हिस्से से अधिक और पूरे भार तक पूर्णतया सही मापन से 3 प्रतिशत ऊपर या नीचे हो । इसी नियम के अधीन प्रत्येक सम्भरणकर्ता निरीक्षक द्वारा मीटरों के निरीक्षण के लिए स्वीकृत उपयुक्त यन्त्रों का प्रबन्ध करेगा और उन्हें ठीक हालत में रखेगा । इस नियम के अधीन सम्भरणकर्त्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि वह बिजली की मात्रा मापने के लिए दिए जाने वाले सभी मीटरों की जांच तथा नियमन कर ले । यह नियमन एवं जांच उपभोक्ताओं के स्थानों पर लगाने से पहले तथा बाद में भी किए जाएं जैसे कि राज्य सरकार के इस विषय में आदेश हों । प्रत्येक सम्भरणकर्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि वह निरीक्षक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की जांच के लिए एक मीटर का रजिस्टर भी रखे जिसमें यह सूचना दी गई हो । गत परीक्षण की तिथि, परीक्षण के समय अंकित गलती, समायोजन तथा अन्तिम निरीक्षण के बाद यथार्थ अंक की सीमा और मीटर लगाने, उतारने और फिर से लगाने आदि की तिथि । मीटर की यथार्थता के बारे में कोई विवाद होने पर उपभोक्ता भारतीय बिजली अधिनियम की 26वीं धारा के अधीन बिजली निरीक्षक के पास शिकायत के लिये अर्जी भेज सकता है । यदि निरीक्षक को यह पता लगे कि मीटर ने सही माप देना बन्द कर दिया है तो वह उपभोक्ता को दी जाने वाली बिजली का उस अवधि में अनुमान लगाएगा जो कि छः महीनों से ज्यादा नहीं होगा । इसलिये भारतीय बिजली अधिनियम तथा नियमों के वर्तमान उपबन्ध सही मीटर रखने के बारे में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं ।

टाटा उद्योग समूह पर आयकर की बकाया राशि

6629. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा उद्योग समूह की निम्नलिखित फर्मों की ओर आयकर की कितनी राशि इस समय बकाया है :

(1) टाटा सन्स (प्राईवेट) लिमिटेड (2) सगसम जे डैविड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (3) नेशनल ईको रेडियो एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (4) इण्डियन स्टैण्डर्ड मेटल कम्पनी लिमिटेड (5) इन्वैसटा इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड (6) लैक्मे लिमिटेड (7) टाटा कैमिकल्स लिमिटेड (8) टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड (9) टाटा फिनले लिमिटेड (10) टाटा फीसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (11) टाटा हाइड्रो इलैक्ट्रिक लिमिटेड (12) अहमदाबाद एडवांस मिल्स लिमिटेड (13) सेन्ट्रल इंण्डिया स्पिनिंग एण्ड बीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (14) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (15) टाटा मशीन एण्ड गैरीन लिमिटेड (16) टाटा प्रेस लिमिटेड (17) टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड ; और

(ख) आयकर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड

6630. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड के, जिसका दिवाला निकल गया है, अधिकृत परिसमापक द्वारा अब तक कितनी धनराशि वसूल की गयी है ;

(ख) (एक) परिसमापक, (दो) उसके कार्यालय और कर्मचारी (तीन) कर्जदारों से राशि वसूल करने पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई है ;

(ग) खातेदारों को अब तक कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) खातेदारों को शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 7.67 करोड़ रुपये ।

(ख) सरकारी परिसमापक का वेतन और भत्ते अभी तक बैंक के नाम नहीं डाले गये हैं । सरकारी परिसमापक के कर्मचारियों की उपलब्धियों पर कुल 10.59 लाख रुपया और अदालती खर्च तथा अन्य खर्चों के रूप में 17.89 लाख रुपया खर्च किया गया ।

(ग) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 530 के अन्तर्गत तरजीही अदायगियां करने और बैंक के लेनदारों तथा कर्मचारियों को अदायगियां करने के बाद अब तक जमाकर्ताओं को 5.02 करोड़ रुपया अदा किया गया है । इसके अतिरिक्त 26.23 लाख रुपये के सम्बन्ध में जमाकर्ताओं के दावे प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(घ) और विभाज्य राशियों की घोषणा इस बात पर निर्भर होगी कि बैंक को आस्तियों से कितनी और कितने समय में वसूली होती है [ये आंकड़े 1967 के अन्त के हैं]

भारत द्वारा दिया गया ऋण

6631. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 से 1967 तक भारत द्वारा विदेशों को, देशवार, कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ख) उसकी शर्तें क्या थीं ; और

(ग) वे ऋण कब तक लौटाये जायेंगे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है, जिसमें यह जानकारी दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-800/68**]

बम्बई तथा पूना के सिनेमाघरों के मालिकों की ओर आयकर तथा धन कर की बकाया राशि

6632. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा पूना के सिनेमाघरों के मालिकों की ओर 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए पिछले दो वर्षों में आय-कर तथा धन-कर की कितनी राशि बकाया है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि वे कर देने में टालमटोल करते आ रहे हैं और यदि हां, तो उनसे पूरे कर वसूल करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई

6633. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने के बारे में 1963 से कितनी योजनायें भेजी हैं ;

(ख) उनके नाम क्या हैं, उन पर कितनी पूंजी लगेगी तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इनको मंजूर करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग). विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-801/68**]

कोचीन कस्टम्स हाउस

6634. **श्री नायनार** : **श्री विश्वनाथ मेनन**

श्री अ० क० गोपालन : **श्री एस्थोस** :

क्या **वित्त** मंत्री 19 फरवरी, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन कस्टम्स हाउस के उस अधिकारी के विरुद्ध, जो अक्तूबर, 1964 में मुअत्तिल था, क्या आरोप लगाए गए हैं ;

(ख) उस अधिकारी ने किन-किन दस्तावेजों को वास्तविक दस्तावेजों के स्थान पर रखा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय जांच करने का है कि यह मामला किस प्रकार वापस लिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस अधिकारी पर सरकारी काम के सिलसिले में सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों से अवैध रूप में घूस लेने का आरोप था।

(ख) इस अधिकारी के खिलाफ यह आरोप है कि उसने उन दो पत्रों की कार्यालय प्रतियां हटा दीं जिनमें उसके बारे में अपराध-आरोपक तथ्यों का उल्लेख था और उनके स्थान पर उसने ऐसे फर्जी पत्र लगा दिये जिनमें उक्त अपराध-आरोपक तथ्यों का उल्लेख गायब था।

(ग) और (घ). विशेष पुलिस विभाग की सलाह पर यह मुकदमा वापस ले लिया गया, जिसने यह अनुभव किया कि सबूत ऐसे नहीं है कि अपराधी को सजा कराई जा सके। इसी बीच, इस अधिकारी के खिलाफ उपर्युक्त (क) में बताये आरोप के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई और उसे सेवा से अलग कर दिया गया। चूंकि अपराध करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त सजा दी जा चुकी है और राजस्व की कोई हानि भी नही हुई है, इसलिये इस मामले में उच्च-स्तरीय जांच के आदेश से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का लोक निर्माण विभाग

6635. **श्री नम्बियार :** **श्री अनिरुधन :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री उमानाथ :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले बहुत से ऐसे श्रमिकों को जिन्हें मुख्य भूमि से लाया गया था तथा जो वहां पिछले 10 से 12 वर्षों से काम कर रहे हैं, स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें स्थायी घोषित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). यह तथ्य नहीं है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लोक निर्माण विभाग तथा स्थानीय प्रशासन के अन्य सरकारी विभागों में पिछले 10 से लेकर 12 वर्ष तक से कार्य कर रहे मुख्य भूमि से लाये गये मजदूरों की एक बड़ी संख्या को स्थाई नहीं बनाया गया है। जहां तक लोक निर्माण विभाग का संबंध है, मुख्य भूमि से पहले लाये गए मजदूरों को उनकी नियुक्ति की अवधि

समाप्त होने पर स्वदेश भेज दिया गया था तथा विभाग अब मजदूरों की मुख्य भूमि से भर्ती नहीं कर रहा है । तथापि जंगल विभाग ने लम्बी अवधि के ठेके के आधार पर मुख्य भूमि से लगभग 669 मजदूर भर्ती किये थे । इनमें से केवल 14 ने 10 से लेकर 12 वर्ष की सेवा पूरी की है तथा स्थाई नहीं बनाया गया है ।

(ग) जिन 14 मजदूरों ने 10 से लेकर 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें पहिले ही नियमित वेतनमान में ले आया गया है । उनके पुष्टिकरण का प्रश्न परीक्षाधीन है ।

(घ) ठेके के आधार पर लाये गये मजदूरों को उनके ठेके की अवधि समाप्त होने पर मुख्य भूमि स्वदेश को भेज दिया जाता है । अतएव उन्हें पुष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब और हरियाणा की सरकारों को किराये पर दिये गये सरकारी भवन

6636. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा सरकारों को सरकारी भवन कितने-कितने किराये पर दिये गये हैं ; और

(ख) उनसे अब तक कितना किराया वसूल किया जा चुका है और कितना किराया उनकी ओर बकाया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों को चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र में दी गयी इमारतों के किराये की वसूली के सम्बन्ध में 1 नबम्बर, 1966 से 29 फरवरी, 1968 तक की अवधि के लिए क्रमशः 81,41,291.38 रुपये तथा 52,59,361.18 रुपये निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) अभी तक कोई वसूली नहीं की गयी है । राज्य सरकारों ने अभी तक खर्च में डालना स्वीकार नहीं किया है ।

Municipality for Modinagar (U. P.)

6637. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the reasons for which a Municipality could not be set up so far in Modinagar in Meerut District of Uttar Pradesh ;

(b) whether it is a fact that the local people had written to the State Government in this respect many a time, but no decision has been taken thereon so far ; and

(c) if so, when a Municipality will be set up in Modinagar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). The State Government had issued a notification on the 10th October, 1967, inviting suggestions and objections in respect of the conversion of the Notified Area Committee into a Municipality. A large number of suggestions and objections were received and have been referred to the District Magistrate Meerut for comments. On receipt of his report a final decision in the matter will be taken.

कलकत्ता में पानी की मुख्य पाइपों से पानी रिसना

6638. **श्री देवेन सेन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नगर निगम के पानी के मुख्य पाइपों से पानी के रिसने के बारे में प्राप्त अनेक रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता महानगर जल तथा सफाई प्राधिकार ने पानी पर कर लगाने का प्रस्ताव किया है, जिससे कलकत्ता के नागरिकों में बहुत असन्तोष है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, वैसे, मई, 1967 में 72 इंची तल्ला पल्टा वाटर मेन कई स्थानों पर फट पड़ा था ।

(ख) पानी का शुल्क लगाने के एक प्रस्ताव पर कलकत्ता महानगर जल एवं सफाई प्राधिकरण विचार कर रहा है। सरकार को अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । बतलाया गया है कि पानी का शुल्क लगाने, दरों आदि का ब्योरा तैयार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्राधिकरण ने एक उपसमिति बनाई है । जनता के किसी असंतोष के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Funds for Roads in M. P. Tribal Areas

6639. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Tribal Welfare Department had allocated a sum of Rs. sixty lakh for the construction of 719 miles long 23 roads and four bridges in the tribal areas of Madhya Pradesh in the Second Five Year Plan ;

(b) whether it is also a fact that the funds were allocated in the Third Five Year Plan and the Madhya Pradesh Government could not complete the said roads in spite of having spent nearly one crore rupees ; and

(c) if so, whether Government propose to allocate some funds to Madhya Pradesh Government in the Fourth Five Year Plan for this pupose ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) and (b). A sum of Rs. 83.40 lakhs was allocated in the Second Five Year Plan in the Central Sector for the construction of 1136 miles of roads and 48 culverts, as a special case. 887 miles of roads and 48 culverts were completed in the same period against an expenditure of Rs. 65.69 lakhs. Besides, a total length of 252 miles of roads and 1 bridge were constructed in the Second Plan period under the State Sector schemes against an expenditure of Rs. 14.57 lakhs. No new road programme was approved in the Third Plan period in the Central Sector; a sum of Rs. 16.63 lakhs was however allotted to the State Government as spill-over expenditure in 1961-62. In the State Sector also, a total of 361 miles of roads and 50 culverts were constructed in the Third Plan against an expenditure of Rs. 34.72 lakhs.

(c) The Fourth Plan is still to be formulated.

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

6640. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में "न्यूट्रिनों" परीक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां। बम्बई की टाटा मूलभूत गवेषणा शाला ने, जो पिछले कई वर्षों से कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों में अन्तरिक्ष विकिरण (कास्मिक रेडियेशन) के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रयोग कर रही है, बताया है, हाल में, कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों में जमीन में 7500 फुट की गहराई पर बड़े पैमाने पर "डिटेक्टर" यंत्र लगाये गये हैं ताकि अंतरिक्ष-किरणों के कणों से वायुमण्डल में पैदा होने वाले न्यूट्रिनों का पता लगाया जा सके। यह प्रयोग, इस समय संसार में किये जा रहे इस प्रकार के तीन प्रयोगों में से एक है और यह जापान के औसाका विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के डरहम विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। इन प्रारम्भिक प्रयोगों से, जो बड़े कठिन और पेचीदा हैं, उच्च शक्ति वाले न्यूट्रिनों की परस्पर-क्रिया का प्रथम साक्ष्य मिलता है। सहयोगी दलों से इस प्रायोजना के लिए काफी बड़ी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह सहयोग वैज्ञानिक रूप से लाभकारी सिद्ध हुआ है और इसके अलावा इससे विदेशी मुद्रा की, जिसकी अन्यथा इन प्रयोगों के लिए जरूरत पड़ती, बहुत बचत हुई है।

कोलार स्वर्ण-क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयोगों के सम्बन्ध में, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कुल 15 मौलिक निबन्ध प्रकाशित किये गये हैं।

"ऐस्सो" द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई का मूल्य

6641. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि "एस्सो" कम्पनी अपने वितरकों को 25 पैसे प्रति

किलोग्राम की दर पर तरल पेट्रोलियम गैस सप्लाई करती है, किन्तु वितरक इस गैस के लिये उपभोक्ताओं से 50 से लेकर 75 पैसे प्रति किलोग्राम तक वसूल करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादकों के मूल्य तथा फुटकर मूल्य में इतना बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के हेतु तरल पेट्रोलियम गैस के मूल्य को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तेल मूल्यों के कार्यकारी दल की 1965 की रिपोर्ट के आने पर तथा सरकार की प्रेरणा पर तेल कम्पनियां 1966 में, घरेलू उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस के विक्रय मूल्यों में, ऐच्छिक कमी करने के लिए सहमत हो गई थी । एस्सो कम्पनी ने 12.8 किलोग्राम के प्रति सिलेंडर में 2.29 रुपये की ऐच्छिक कमी की जो लगभग 18 पैसे प्रति किलोग्राम है ।

Annual Plan for Maharashtra

6642. **Shri Deo Rao Patil :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the allocated funds for the Annual Plan for Maharashtra for 1967-68 were made available to the State in full or some portion thereof has remained unpaid so far ;

(b) if some portion thereof has remained unpaid, the details thereof ; and

(c) whether some of the works have remained incomplete due to non-availability of funds ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

महाराष्ट्र में सिंचाई तथा पन-बिजली परियोजनायें

6643. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनायें तथा पन-बिजली परियोजनायें मंजूरी के लिए योजना आयोग के पास विचाराधीन हैं ; और

(ख) ये परियोजनायें किन-किन तारीखों को प्राप्त हुई थीं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-802/68]**

1968-69 में उड़ीसा के लिए योजना में धन का नियतन

6644. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में उड़ीसा के लिये योजना सम्बन्धी धन नियतन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

6645. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या विदेशी मशीनों का आयात करके राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की मशीनों तथा उपकरणों में वृद्धि की जा. रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के लिये कुछ मशीनों के आयात का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन है ।

(ख) मशीनरी को आयात करने के लिए आवश्यक मशीनरी का विवरण तथा विदेशी मुद्रा का हिसाब निगम द्वारा बनाया जा रहा है ।

येन ऋण के अधीन आयात

6646. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येन ऋण की शर्तों के अधीन मशीनों के आयात से भारत को हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) क्या इस ऋण के अधीन आयातकों को वही माल खरीदना पड़ता है जो उन्हें सप्लाई किया गया था, चाहे उसकी किस्म, मूल्य तथा बिक्री सेवा की गारंटियां जापानी सम्भरण-कर्त्ताओं द्वारा कुछ भी क्यों न रखी गयी हों ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) येन ऋणों के अन्तर्गत आर्डरों के सम्बन्ध में बातचीत सीधे जापानी निर्यातकों और भारतीय आयातकों के बीच की जाती है और जब आयातकों को उनकी तकनीकी उपयुक्तता

और उनके मूल्यों के औचित्य के सम्बन्ध में सन्तोष हो जाता है तब उनके द्वारा आर्डर दे दिये जाते हैं। आयातक सम्भरकों से निष्पादन सम्बन्धी बांड (परफार्मेंस बांड) भी प्राप्त कर सकते हैं।

कलकत्ता महानगर योजना

6647. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ता नगर आयोजन के लिये कलकत्ता महानगर योजना का परित्याग कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन ने कलकत्ता शहर के महानगर क्षेत्र के लिए एक बुनियादी विकास योजना पहले ही तैयार कर ली है और इसका ब्योरा तैयार किया जा रहा है। बुनियादी विकास योजना में निर्धारित नीतियों तथा कार्यक्रमों के अनुसार इसकी क्रियान्विति आंशिक रूप से की जा रही है और विस्तृत प्लान तैयार हो जाने पर विभिन्न कार्य एजेन्सियों द्वारा आगे क्रियान्विति शुरू किये जाने की आशा है। इस योजना को पूर्णतः क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा इस अवस्था में यह बतलाना सम्भव नहीं है।

भारतीय तेल निगम द्वारा देय बकाया राशि

6648. **श्री अब्दुल मनी डार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को भारतीय तेल निगम ने ग्राहकों से कुल कितनी रकम वसूल करनी थी और रकम किन-किन पार्टियों से वसूल की जानी हैं ; और

(ख) इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उनकी वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 31-12-1967 को भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग की ग्राहकों की तरफ बकाया

धनराशि 34.72 करोड़ रुपये थी । इसका श्रेणीवार ब्योरा निम्न प्रकार है :

		रुपये करोड़ में
डी० जी० एस० एण्ड डी० के ग्राहक		16.50
डी० जी० एस० एण्ड डी० के अतिरिक्त अन्य ग्राहक		
राज्य परिवहन संस्थाएं	4.34	
सरकारी एवं अर्ध-सरकारी ग्राहक	8.43	
सहकारी संस्थाएं	0.06	
प्राइवेट पार्टियां	5.39	18.22
		34.72

(ख) बकाया रकम को तेजी से इकट्ठा करने के लिए निगम ने कठोर तरीके अपनाये हैं और 31-3-1968 को बकाया धनराशि में से लगभग 4 करोड़ रुपया कम हो गया है । इस बकाया की वसूली में देरी का कारण बहुत सारे ग्राहकों की वर्तमान कठिन अर्थोपाय स्थिति है ।

अशोधित तेल का मूल्य तथा तेल कम्पनियों द्वारा अधिक वसूली

6649. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार द्वारा अशोधित तेल के लिए "पोस्टिंग प्वाइंट" को अबादान-नगर से बन्दरमाहशहर में स्थानान्तरित किये जाने के परिणामस्वरूप भारत में तेल कम्पनियों द्वारा अधिक वसूली की राशि 1968-69 में लगभग 10.13 करोड़ रुपये हो जाने की संम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी राशि भारत की संचित निधि में जायेगी ; और

(ग) तेल कम्पनियों के मुनाफे में हुई इस वृद्धि की राशि जमा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). भारत में आयातित कच्चे तेल के लिए "पोस्टिंग प्वाइंट" में कोई परिवर्तन नहीं है । परन्तु जुलाई, 1967 में मुख्य पेट्रोलियम उत्पादकों के इन्दराज की व्यवस्था अबादान से बन्दरमाहशहर कर दी गई थी । इससे उत्पन्न होने वाले अन्तर को अतिरिक्त (अप्रत्यादेय) शुल्कों द्वारा पूरा किया जा रहा है । इससे आय में प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये का लाभ हो जायेगा ।

तेल कम्पनियों द्वारा की गई अधिक वसूली

6650. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल कम्पनियां चिकनाने वाले तेलों और ग्रीज की विक्री सम्बन्धी अधिक वसूली के विषय में अपने नियत हिस्से से अधिक ले रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 में अधिक वसूली की राशि में तेल कम्पनियों के हिस्से की राशि कितनी थी ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में अधिक वसूली की राशि में से कितनी राशि सरकारी कोष में गई ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बर्मा शैल, एस्सो और कालटेक्स द्वारा (जो अपने खाते कालण्डर वर्ष के अनुसार रखते हैं किन्तु वित्तीय वर्ष के मुताबिक नहीं) की गई अधिक वसूली, मूल्य का आधार है, वर्ष 1967 में 3.25 करोड़ रुपये थी। पिछले सालों की परिकलित अधिक वसूली तथा यह धनराशि ; 1-3-1968 से इस श्रेणी के उत्पादों पर लगाये गये। अतिरिक्त (अप्रत्यादेय) शुल्कों द्वारा, लगभग दो साल में सरकारी कोष में जमा हो जायेगी।

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों पर खर्च हुआ धन

6651. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1968-69 में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों पर कितना धन खर्च करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) वर्ष 1967-68 में मैदानी क्षेत्रों तथा ऐजेंसी क्षेत्रों में खर्च किये गये धन का ब्योरा क्या है।

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 114.73 लाख रुपये।

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों की विकास परियोजनाओं पर 1967-68 के दौरान कुल प्रत्याशित खर्च 129.77 लाख रुपये है। लेखा-वर्गीकरण के विषय में मैदानी क्षेत्रों तथा एजेंसी क्षेत्रों में कोई प्रभेद नहीं रखा जाता।

Insurance Policies by Life Insurance Corporation

6652. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Insurance policies, agreements and contracts, separately, which were signed in Life Insurance Corporation during the period from the 15th to 31st January, 1968 ;

(b) the number, out of them, of those Insurance policies, agreements and contacts, separately, which were prepared in Hindi also; and

(c) the time by which the Hindi versions of such policies, contracts and agreements are likely to be prepared in accordance with the provisions of the Official Language Act?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The number of new policy contracts including annuities, written by Corporation during the period from 15th to 31st January, 1968 was 57, 422. The information regarding other agreements and contracts is not available.

(b) and (c). Translation of the policy documents in Hindi and other regional languages is made available along with the policy form in English to such proponents as fill in the proposal form in Hindi or other regional language. At present, this practice is followed in regard to policy documents only.

Beas-Sutlej Link Project

6653. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that estimated cost of Beas Project (both units) has increased by about Rs. 10 crores;

(b) if so, the reason therefor;

(c) whether it is also a fact that the construction work on this project is not proceeding according to the schedule; and

(d) if so, the reason therefor; and the action being taken to complete this project according to the schedule?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). The estimated cost of Beas Project (both Units) of Rs. 219 crores is expected to increase by about Rs. 22 crores as a result of devaluation. This cost may, however, further go up on account of general increase in wages, prices of material and increased compensation payable for the land acquired. The revised estimates are under preparation.

(c) and (d). The Project is scheduled to be completed by 1973-74 but due to constraint of resources, it may be delayed. Efforts continue to be made to find additional funds for the project.

धनुर्वातिनाशक (एंटी-टिटेनस) सीरम का आयात

6655. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष किन-किन देशों से कितनी-कितनी मूल्य की धनुर्वातिनाशक सीरम का आयात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि आयातित सीरम हाफ्किन इंस्टीच्यूट तथा भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाई गई धनुर्वातिनाशक सीरम के मूल्य से आधे मूल्य में बिकता है; और

(ग) धनुर्वातनाशक सीरम का आयात करने के क्या कारण हैं ; जब कि देश में ही यह बनाई जाती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार द्वारा प्रति वर्ष आयात की गई टेटनस निरोधी सीरम की मात्रा तथा लागत का देशवार विवरण और रुपये के भुगतान वाले देशों से गत तीन वर्षों में वार्षिक आयात की गई सीरम के आंकड़ों का विवरण संलग्न है (देखिये विवरण 'क' और 'ख') [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-803/68**]

(ख) देश में बनी तथा आयात की गई दोनों प्रकार की टेटनस निरोधी सीरम के विक्रय मूल्यों का विवरण संलग्न है। (देखिये विवरण 'ग')

(ग) देश के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में टेटनस-निरोधी-सीरम का पर्याप्त उत्पादन हो जाने से 1 अप्रैल, 1967 से आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन इसके आयात पर रोक लगा दी गई है।

कानपुर के लूप कारखाने का कार्य-संचालन

6656. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कानपुर के लूप कारखाने में लूप का स्टाक कितना है;

(ख) इस समय उस कारखाने में प्रतिदिन कितने लूप बनते हैं;

(ग) इस कारखाने की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) यदि उत्पादन में कोई कमी हुई है तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) 5.21 लाख।

(ख) लगभग 5000।

(ग) अब तक कारखाने की अधिकतम उत्पादन क्षमता प्रति दिन 30,000 लूप तक पहुंच चुकी है।

(घ) उत्पादन में कमी होने का कारण यह है कि वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर पहले से मौजूद अधिक स्टाक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

मन्नारघाट मूपिल स्थानम, केरल राज्य पर बकाया धन कर

6657. **श्री विश्वम्भरन :**

श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 के अन्त में धन कर के लिये केरल राज्य के पाल घाट जिले में मन्नारघाट मूपिल स्थानम की आस्तियों की मूल्यांकन राशि कितनी है;

(ख) 1956 से 1960 तक वर्षवार इस स्थानम से कितना धन कर वसूल किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार धन कर को वसूल करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने का है; और

(घ) 1956 से 1968 तक सरकार को इस स्थानम से धन कर की कितनी राशि वसूल करनी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). केरल के पालघाट जिले में मन्नार घाट मूपिल स्थानम् के धन-कर निर्धारणों के बारे में ब्योरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

दिल्ली में समाज कल्याण संगठन

6658. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने समाज कल्याण संगठनों को समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से सहायता मिलती है;

(ख) उन संगठनों के नाम क्या हैं तथा वर्ष 1966-67 और 1967-68 में प्रत्येक संगठन को कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ग) ये संगठन क्या-क्या समाज कल्याण कार्य करते हैं तथा क्या सरकार उनके कार्य संचालन तथा कार्यकलापों की इस दृष्टि से जांच करती है कि ये वित्तीय सहायता उन्हीं कार्यों पर खर्च होती है जिनके लिये दी गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). दिल्ली के ऐसे 50 समाज कल्याण संगठनों के नाम संलग्न सूची में हैं जिन्हें 1966-67 और 1967-68 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सीधे रूप में या दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-804/68**] संगठनों को दी गई राशियां तथा वे कार्य जिनके लिए ये राशियां दी गई हैं इन संगठनों के नामों के सामने वर्णित हैं। दिल्ली राज्य बोर्ड के सदस्यों और केन्द्रीय बोर्ड के निरीक्षणालय-कर्मचारियों द्वारा अनुदानों की मंजूरी से पहले और बाद में इन संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है ताकि यह बात सुनिश्चित की जा सके कि जिन कार्यों के लिए राशियां दी जाती हैं उन्हीं के लिए उनका उपयोग हो।

लूप परिवार सिद्धान्त संबंधी समिति

6659. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त लघु परिवार सिद्धान्त समिति ने अपना प्रतिवेदन मार्च, 1968 तक प्रस्तुत करना था;

(ख) क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) रिपोर्ट के अन्तिम मसौदे पर 23-4-68 को समिति विचार-विमर्श करेगी और उसके बाद यह रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी।

अस्पताल जांच समिति

6660. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पताल जांच समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट सम्भवतया अप्रैल, 1968 में दे देगी।

गंगा नदी के पानी के दूषित हो जाने के कारण मुंघेर में मृत्यु

6661. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुंघेर शाखा के अध्यक्ष डा० जोगेश्वर प्रसाद अग्रवाल के इस आशय के प्रेस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने से गंगा में बहाये गये बेकार पदार्थ से गंगा नदी के पानी के दूषित हो जाने के कारण प्रकाशित समाचारों की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या उन्होंने सिविल सर्जन द्वारा दी गई रिपोर्ट को चुनौती दी है; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक मृत्यु संख्या मालूम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) अपेक्षित जानकारी की बिहार सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Distribution of Kerosene Oil in Gorakhpur

6662. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of firms engaged in the distribution of Kerosene oil in district Gorakhpur, Uttar Pradesh;

(b) the quantity of Kerosene oil supplied to each of the above firms by the depots of the Indian Oil Company at Calcutta, Budge-Budge, Gorakhpur, Allahabad and Kanpur during the period from the 1st April, 1966 to 31st March, 1968;

(c) whether some cases of black-marketing in Kerosene oil indulged in by the above firms have also come to light; and

(d) if so, the details thereof and the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) to (d). The information is being obtained and will be laid on the Table of the Sabha.

Distribution of Kerosene Oil

6663. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scandal of over 10,000 litres of Kerosene oil was detected by the police/officials while checking the stock of oil available with M/s Radhakrishan Bimalkumar, local agent of the Indian Oil Company as reportedin the "Jan Sanik" of the 7th January, 1968 published from Secunderabad;

(b) whether it is also a fact that on checking the accounts of the said firm for three months, the police officials came to know that the Indian Oil Company had supplied 5,00,000 litres of oil to Secunderabad but 2,47,000 litres of oil were not entered in the stock register;

(c) whether Government are aware that every tank sent from Barauni Refinery contained 2,500 litres of oil in excess in respect of which neither any railway freight nor any tax to Government was paid; and

(d) if so, the action taken against those found responsible for this scandal?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) to (d). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Appointment of a Officer of Electricity Department in U. P. to Look into Complaints of Farmers.

6664. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a senior officer has been posted at the Headquarters of Electricity Department in U. P. for looking into the complaints of the farmers;

(b) if so, the number of complaints received, district-wise, between the period from the 3rd April to 31st December, 1967 and the number of cases regarding which the inquiry has been completed, district-wise; and

(c) the action taken against the officers found guilty?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c). An Executive Engineer has been posted since January, 1968 at the Headquarters of the State Electricity Board at Lucknow for looking into the complaints. During the period between 3rd April and 31st December, 1967, two hundred complaints were received from all the districts. District-wise break-up of these figures is not available. Investigations on 75 cases have been completed. So far action has not been taken against any officer as the allegations made against them could not be substantiated.

Utilization of Loans from Canada

6665. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India could not make use of two loans amounting to Rs. 13 crores given by Canada in 1964-65 and 1965-66;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken for the utilisation?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Agreements for all the loans pledged by Canada upto and inclusive of 1967-68 have been signed.

(b) Does not arise.

(c) The utilisation of these loans is in progress.

हीराकुड बांध परियोजना के कर्मचारी

6666. **श्री राम चरण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1953 तक हीराकुड बांध परियोजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का एक अधीनस्थ कार्यालय था और हीराकुड बांध परियोजना के कर्मचारियों को 1952 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा बनाई गई संयुक्त वरिष्ठता सूचियों में अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के साथ मिला दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि परियोजना के पूरी हो जाने पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने इन संयुक्त वरिष्ठता सूचियों की पूर्णतया उपेक्षा करते हुए वरिष्ठ कर्मचारियों की छंटनी कर दी और कनिष्ठ कर्मचारियों को नौकरी में रहने दिया;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों द्वारा हीराकुड बांध परियोजना में प्राप्त अर्ध-स्थायी का दर्जा भी अब समाप्त कर दिया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि नये अधीनस्थ कार्यालयों में तबादला हो जाने पर प्रभावित कर्मचारियों को अपने समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में जिनकी ग्रेड में कम सर्विस है, वरिष्ठता में कनिष्ठ बना दिया गया है और इससे उनकी अग्रेतर पदोन्नति और स्थायीकरण पर प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसको ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), (ख) और (घ). हीराकुड बांध परियोजना के कार्यालय को 27-5-1948 से पृथक एकक के रूप में मंजूर किया गया था। इससे पूर्व महानदी के परियोजना अधिकारी का एक कार्यालय था जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का एक भाग था। हीराकुड बांध परियोजना का नियन्त्रण 21-7-53 तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधीन था। उसके उपरांत यह सीधा सिंचाई व बिजली मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। पहली अप्रैल, 1960 से परियोजना का नियन्त्रण उड़ीसा सरकार ने ले लिया।

जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 27-5-1948 से पहले हुई थी वे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के एस्टाब्लिशमेंट में शामिल थे और वे अन्त में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में अपनी मूल तिथियों से प्रवरता के साथ शामिल हो गये। जिनकी नियुक्ति 27-5-48 के बाद हुई थी, अर्थात् परियोजना के केडर को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के संयुक्त केडर से अलग कर देने के बाद नियुक्त किया गया, उन्हें केवल हीराकुड परियोजना के कार्य के लिये ही स्वीकृत अस्थाई पदों पर नियुक्त कर दिया गया। इसलिये यह विचार किया गया कि परियोजना के 1-4-60 को उड़ीसा सरकार को सौंप दिये जाने के बाद इनका केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में ही नौकरी पाने का हक नहीं रहा। उनमें से वे कर्मचारी जो योग्य पाये गये उनको उड़ीसा राज्य की सेवा में शामिल होने का अवसर दिया गया और उनकी पिछली तनख्वाह की सुरक्षा व अन्य लाभ दिए गये। इस वर्ग के कई लोग जिन्होंने उड़ीसा सरकार के अधीन सेवा की इच्छा प्रकट की उन्हें उड़ीसा सरकार ने नौकरी दे दी। इनमें से कुछ को उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई शर्तें मन्जूर नहीं थीं। फलस्वरूप उनकी छंटनी कर दी गई। उनमें से कुछ ने जिनकी परियोजना की सेवा से उनकी ही इच्छा पर छंटनी कर दी गई थी, अन्य केन्द्रीय कार्यालयों में सार्वजनिक उपक्रमों में आवेदन पत्र दिए उनमें से कुछ को अस्थाई जगहों पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्रालय के अधीन नई नियुक्तियों के रुप में लिया गया। नई नियुक्ति पर उनकी प्रवरता उस समय लागू नियमों के आधार पर निश्चित की गई। इन नियमों के

अनुसार स्थानान्तरण के बाद नियुक्त कर्मचारियों की प्रवरता उनकी नई नियुक्ति की तिथि से गिनी गई। नियमानुसार हीराकुड परियोजना की उनकी सेवा प्रवरता के लिये नहीं गिनी गई।

(ग) अप्रैल, 1960 को हीराकुड परियोजना के उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरण के बाद वे पद जो परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन मंजूर किए गये थे उस तिथि से खत्म हो गये। अर्ध-स्थाई कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने से पहले तीन महीने का नोटिस देना पड़ता है। इन कर्मचारियों को यह नोटिस दे दिया गया था।

(ङ) उपरोक्त (क), (ख) और (घ) में दिए गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

हीराकुड बांध परियोजना के कर्मचारी

6667. **श्री राम चरण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनका तबादला हीराकुड बांध का कार्य पूरा हो जाने के बाद मंत्रालय के सीधे अधीनस्थ अन्य कार्यालयों में कर दिया गया था, और जिन्हें मंत्रालय के अधीन अब भी काम करने वाले उनके समकक्ष, कर्मचारियों से वरिष्ठता के मामले में नीचे रखा गया था, जिनका निरंतर सेवा काल (1) पन्द्रह वर्षों, (2) 20 वर्षों से अधिक हो चुका है और वे अभी भी अस्थायी हैं ; और

(ख) ऐसे प्रभावित कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो पेंशन के लाभ के बिना सेवा निवृत्त हो चुके हैं और उनके सेवा निवृत्त होने से पूर्व उन्हें पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिये संख्यातिरिक्त पद न बनाये जाने के क्या कारण थे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हीराकुड बांध परियोजना का कार्यालय 27-5-1948 से पृथक एकक के रूप में मंजूर किया गया था। 21 जुलाई, 1953 तक परियोजना का नियन्त्रण केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास रहा। उसके पश्चात् यह सीधा सिंचाई व बिजली मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। प्रथम अप्रैल, 1960 से परियोजना का इन्तजाम उड़ीसा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। राज्य सरकार को परियोजना के हस्तान्तरण के समय उन अस्थाई कर्मचारियों को उड़ीसा सरकार के अधीन नौकरी में लगाने का अवसर दिया गया जिन्हें केवल परियोजना पर काम करने के लिये नियुक्त किया गया था और जिन्हें योग्य पाया गया था। जिन कर्मचारियों ने उड़ीसा सरकार की सेवा के अन्दर नहीं आना चाहा, उन्हें सिंचाई व बिजली मंत्रालय के अधीन कार्यालयों समेत अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में नई भर्ती के रूप में ले लिया गया। उनकी प्रवरता उनकी नई नियुक्ति की तिथि से आंकी गई है। यह सरकार द्वारा निर्धारित प्रवरता के उन आम सिद्धान्तों के अनुसार था जिनके अधीन उनकी हीराकुड परियोजना में अस्थाई तौर पर की गई पिछली नौकरी को गिना नहीं गया था।

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या का पता नहीं है जो तब से सेवा निवृत्त हो चुके हैं। परियोजनाओं की निर्माणावधि में बहुत बड़ी संख्या में अस्थाई जगहें मंजूर की जाती हैं और उन में से अधिकतर निर्माण कार्य समाप्त होने पर खत्म हो जाती हैं। ऐसे सभी अस्थाई कर्मचारियों के लिये अधिवार्षिकी स्थान मंजूर करना सम्भव नहीं है। हीराकुड परियोजना के अस्थाई कर्मचारी को जिन्हें योग्य पाया गया था, उड़ीसा राज्य सेवा में आने का अवसर दिया गया था।

मिट्टी के तेल में मिलावट

6668. **श्री रवि राय :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अनेक भागों में मिट्टी के तेल में तेज-गति डीजल तेल मिलाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां। इस बारे में सूचना मिली है।

(ख) 18 मार्च, 1966 को भारत सरकार ने 'मिट्टी का तेल (प्रयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश 1966 नामक एक आदेश' जारी किया था जिसके अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों की अनुमति के बिना, पकाने और रोशनी करने के अतिरिक्त किसी दूसरे उद्देश्य के लिए मिट्टी के तेल के इस्तेमाल या उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

मिट्टी के तेल में तेज-गति डीजल तेल की मिलावट का पता लगाने के लिए एक केमिकल मार्कर (Chemical Marker) को लागू करने की एक योजना भी परीक्षाधीन है।

स्टर्लिंग तथा डालर का दबाव

6669. **श्री रवि राय :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टर्लिंग और डालर पर भारी दबाव होने के कारण अन्य देशों से सहायता की प्राप्ति के बारे में अनिश्चितता की स्थिति पैदा होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्या के इस पहलू पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). विकास-सहायता के लिए वातावरण कुल मिलाकर प्रतिकूल है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि खास तौर से

इसका कारण स्टर्लिंग और डालर पर पड़ने वाला दबाव है। भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार और विकास सम्मेलन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विकास सहायता की मात्रा में वृद्धि करने और उसकी शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देती रही है। इसके अलावा, चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-साधनों की समस्याओं से सहायता के दिये जाने में बाधा पड़ती है, इसलिए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के ढांचे के अन्दर, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान साधनों में वृद्धि करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

6670. **श्री रवि राय :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने 13 मार्च, 1968 को शिक्षा वर्ष 1968-69 में अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा देने सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-805/68]**.

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय में नियुक्तियां

6671. **श्री श्रीधरन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में मैसर्स फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय द्वारा अस्थायी/स्थायी/ठेका आधार पर कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) 400 रुपये तथा उससे अधिक मासिक वेतन वाले कितने प्रतिशत पदों पर नियुक्तयां की गईं; और

(ग) इन नियुक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

6672. **श्री श्रीधरन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय ने मान्नम चीनी मिल्स सहकारी समिति लिमिटेड संख्या 4324 से उसे सप्लाई की गई खाद के मूल्य में से 7,29,631,11 रुपये वसूल करने अभी बाकी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह राशि अब वसूल करनी संभव नहीं है क्योंकि ऋणी समिति को, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 40 लाख रुपये थी, 65 लाख रुपये का घाटा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हानि तथा उस सौदे के लिये, जिसके कारण यह हानि हुई है, किसी को उत्तरदायी ठहराया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 31-3-1968 को मान्नम चीनी मिल्स सहकारी समिति लिमिटेड से देय धनराशि 5.65 लाख रुपये है ।

(ख) जी नहीं । इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि धनराशि प्राप्त होगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Return in Respect of Goods Pledged with Banks

6673. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the officers of the Banks do not submit any return to the Income-tax authorities in regard to the goods pledged by the traders with the Banks and which are kept in the godowns of the Banks or submit such returns very late as a result of which many difficulties come in the way of realising income-tax from the traders ; and

(b) the number of banks and the traders against whom action has been taken for non-submission or late submission of the returns referred to above during the last year ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Banks are not required under the law to submit any such returns to the Income-tax authorities. The Income-tax Officer, the Appellate Assistant Commissioner and the Inspecting Assistant Commissioner are however empowered to call for such information from any person, including a banking company, by issuing a specific notice under section 133 (6) of the Income-tax Act, 1961. These powers are exercised, whenever considered necessary, in individual cases.

No instance of non-compliance with the provisions of section 133 (6), in so far as it relates to supply of information regarding the goods pledged by the traders with the bank, has been brought to the notice of the government.

(b) Does not arise.

Scheme for a return on the Goods Pledged with Banks

6674. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a scheme under which instructions would be issued to the authorities in Banks to submit to the Income-tax Commissioner, a monthly return of the goods in the godowns of Banks, pledged by traders, so as to remove the difficulties in realising the income-tax ; and

(b) if so, when this scheme is likely to be implemented ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) There is no such proposal under consideration at present.

(b) Does not arise.

Replacement of Currency Notes

6675. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received some proposals wherein it has been suggested that the present 100-Rupee and 10-Rupee currency notes be replaced by new ones so as to unearth black money and check hoarding ;

(b) whether Government have considered the above proposals necessary to check the hoarding of the black money ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). Government has in the past received suggestions of this nature. In Government's view, demonetisation is not likely to serve any useful purpose. Parties tendering notes and offering plausible explanations of how they acquired these notes would have to be granted full conversion facilities and it is likely that practically all notes will have to be converted. Also, demonetization cannot deal with black money held in the form of bullion, land, etc.

Income-tax Arrears

6676. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2520 on the 4th March, 1968 and state :

(a) the amount of Income-tax arrears separately due from Indian Engineering Company, Banaras, Steel and Rolling Factory, Kashi Iron Foundry, Metal Goods (P) Ltd., Banaras Chemical Factory and Shankar Iron Factory ; and

(b) whether Government propose to recover the arrears alongwith interest ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a)

Name of Company	Amount of arrears outstanding as on 31-10-67	31-1-68
1. Indian Engineering Company.	Rs. 1,289	Rs. 1,289
2. Banaras Steel and Rolling Factory.	Rs. 5,67,740	Rs. 5,67,740
3. Kashi Iron Foundry.	Rs. 36,389	Rs. 36,389
4. Metal Goods (P) Ltd.	Rs. 1,94,150	Rs. 89,150
5. Banaras Chemical Factory.	Rs. 20,600	Rs. 10,878
6. Shanker Iron Foundry.	Rs. 24,815	Rs. 3,000

(b) The arrears will be recovered along with interest, wherever leviable.

नेपाल तथा बिहार के कुछ जिलों को बिजली की सप्लाई

6677. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच-पांच मैगावाट के दो सेटों का प्रयोग एक ओर नेपाल को बिजली उपलब्ध करने के लिए और दूसरी ओर सहरसा और पूर्णिया जिलों के लिए किया जायेगा ;

(ख) क्या प्रस्तावित पश्चिम कोसी नहर पर वैसी ही पन-बिजली परियोजना आरम्भ करने का सरकार का विचार है, ताकि नेपाल के सहरसा, सपतारी और महोतरी तथा अन्य जिलों के पूर्व की ओर के क्षेत्रों तथा दर्भंगा जिले में विशेषकर मधुबनी सब-डिवीजन में बिजली उपलब्ध की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोसी परियोजना पर हुए करार के मुताबिक, नेपाल सरकार 20 मैगावाट की क्षमता वाले पूर्वी कोसी नहर बिजली केन्द्र पर उत्पन्न बिजली के 50 प्रतिशत पर हक रखती है। शेष बिजली बिहार में ही प्रयोग में लाई जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्धवारा बाढ़ रोक तथा सिंचाई योजना

6678. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में बाघमती तथा अंधवारा समूह की अन्य नदियों को नियंत्रित करने के लिये कुछ वर्ष पहले तैयार की गई अंधवारा बाढ़ रोक तथा सिंचाई योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) अंधवारा योजना की कार्यान्विति कब आरम्भ होने और कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति ने हाल ही में अंधवारा नदी समूह की बाढ़ समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बेसिन के लिए सर्वांगीण बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सिफारिश की है। समिति के विचार में उनके सुझावों पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च होंगे और उनसे लगभग एक लाख एकड़ क्षेत्र की बाढ़ों से सुरक्षा होगी।

समिति द्वारा सुझाई गई विविध योजनाओं के बारे में परियोजना रिपोर्टों तथा प्राक्कलन तैयार करने के लिए राज्य सरकार विस्तृत सर्वेक्षण तथा जांच कर रही है ।

राज्य सरकार द्वारा रिपोर्टें तथा प्राक्कलन तैयार किए जाने के बाद और योजनाओं में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के बाद ही परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

Central Taxes from Bihar

6679. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount realised by the Central Government in the shape of Central Taxes from 1962 to 1967-68 from Bihar year-wise ;

(b) whether any such amount is in arrears ; and

(c) if so, the total amount outstanding and the names of persons against whom it is outstanding ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Information regarding the total amount realised by the Central Government from Central Excise duty, Income-tax, Expenditure Tax, Gift Tax, Wealth Tax and Estate Duty from Bihar during the years 1962-63 to 1967-68 year-wise, is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(b) Yes, Sir.

(c) Information regarding the total amount of Central taxes specified in (a) above, outstanding from Bihar is being collected and will be laid on the Table of the Sabha. It will not be possible to compile the names of the persons without entailing considerable time and labour.

Pumping of Barauni Oil Refinery Kerosene Oil into the Ganga

6680. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 12,000 tonnes of super kerosene oil was pumped into the Ganga through effluent pumps by the Barauni Oil Refinery between 4 A. M. on the 24th February and 11 A. M. on the 26th February, 1968 ;

(b) if so, the loss suffered by Government as a result thereof ;

(c) whether Government proposed to appoint a high power Commission to ascertain the causes thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): (a) and (c). Government have no such information at present. But a Commission of Inquiry is being set up to investigate into all matters connected with the contamination with oil of the river Ganga near and downstream of the Barauni

refinery during the last week of February or earlier and first week of March, 1968; and its terms of reference are wide enough to cover the allegation in part (a) to the question.

(b) Does not arise at this stage.

(d) Does not arise.

Accommodation for Women Employees in Delhi

6681. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of women employees working in the Government Offices in Delhi :

(b) the number out of the above who have been allotted Government accommodation and the number of women employees who have been provided with other accommodation facilities ;

(c) whether Government have drawn up any scheme to meet their housing needs in full; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). No separate list of women employees as such working in Government offices in Delhi is maintained.

460 lady officers have been allotted accommodation out of lady officers' pool, 663 from the general pool in their turn and 86 have been allotted seats in the Working Girls' Hostel on Curzon Road.

(c) The lady officers have also to wait for allotment of accommodation in their turn. No separate scheme for providing Government residential accommodation to lady officers in full has been drawn up due to the difficult financial position.

(d) Does not arise.

औद्योगिक उत्पादों के वितरण के लिये ऋण सम्बन्धी रियायतें

6682. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने औद्योगिक उत्पादों के वितरण के लिये ऋण सम्बन्धी और रियायतें देने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). निर्यात की जाने वाली चीजों समेत औद्योगिक माल के वितरण के लिए ऋण की उपलब्धि बढ़ाने के लिये, रिजर्व बैंक ने अपनी ऋण-सम्बन्धी नीति में हाल ही में और ज्यादा रियायतों की घोषणा की है जो ये हैं :

(1) ज्यादा से ज्यादा 90 दिन की मीयाद वाली आन्तरिक प्रलेखी हुण्डियों के आधार पर दिये गये सभी अग्रिम चाहे वे साख-पत्रों के अन्तर्गत ही क्यों न लिये गये हों, तथा वे अग्रिम

जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के नाम या राज्यीय स्वामित्व के प्रतिष्ठानों, जैसे बिजली बोर्डों, परिवहन निगमों आदि के नाम जारी की गयी ऐसी सप्लाई हुण्डियों के आधार पर दिये गये हों, जिनके साथ विधिवत प्राधिकृत निरीक्षण पत्र या रसीदी चालान हो, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गारण्टियों तथा अप्रतिभूत अग्रिमों के दिये जाने के काम को नियमित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित स्तरों के प्रयोजनों के लिये, कुल अप्रतिभूत अग्रिमों की रकम में शामिल नहीं किये जायेंगे। इससे, वे बैंक, जिन्होंने अब तक उन सीमाओं तक जो अब तक अनुमति-योग्य मानी जाती हैं, अप्रतिभूत अग्रिम दे दिये हैं, और अधिक ऋण देने में समर्थ हो सकेंगे।

(2) बैंकों का ऋण-जमा अनुपात निर्धारित करते समय, निर्यात की हुण्डियों खरीद और भुनाई को शामिल नहीं किया जायगा। इससे, अधिक ऋण-जमा अनुपातों वाले बैंक, रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधाओं से पूरा-पूरा फायदा उठा सकेंगे और निर्यात सहित विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों को और ज्यादा ऋण दे सकेंगे।

भोजन विषाक्त होने के मामले

6683. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विषाक्त भोजन के मामले बढ़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली ; और

(ग) ऐसे मामले न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आयकर योग्य आय पर पति/पत्नी को मिलने वाली छूट

6684. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमजीवी दम्पत्तियों में इस कारण से भारी असंतोष है कि यदि उनकी आय आयकर योग्य हो तो उनको अब पति/पत्नी को आयकर से मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई राहत देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वित्त विधेयक, 1968 के उस उपबन्ध के विरुद्ध सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और कुछ समाचार-पत्रों में सम्पादक के नाम लिखे गये कुछ पत्र भी सरकार के देखने में आये हैं। इस उपबन्ध के अनुसार

वह विवाहित व्यक्ति दम्पति-आय पर कर सम्बन्धी राहत का अधिकारी नहीं रह जायेगा जिसकी संगत वर्ष की कुल आय 4000 रु० से अधिक हो ।

(ख) और (ग). ये अभ्यावेदन अभी भी विचाराधीन हैं ।

हरियाणा की विकास योजनाओं के लिये धन का नियतन

6685. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के आय व्ययक में हरियाणा राज्य की विकास योजनाओं के लिये कितना धन नियत किया गया है ;

(ख) यह नियतन पिछले वर्ष की तुलना में कम है अथवा अधिक ?

(ग) राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि मांगी गई थी ; और

(घ) क्या नियत धन वर्तमान विकास परियोजनाओं की आवश्यकता पूरी करेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). हरियाणा की वार्षिक आयोजना के लिए राज्य के 1968-69 के बजट में 23.43 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था कीगई है । खर्च की इस रकम में केन्द्रीय सहायता के रूप में 13.90 करोड़ रुपया निर्धारित कियागया है । 1967-68 की वार्षिक आयोजना के खर्च और केन्द्रीय सहायता की ऐसी रकमों के आंकड़े क्रमशः 24.16 करोड़ और 15 करोड़ रुपये हैं ।

(ग) राज्य सरकार ने 1968-69 की वार्षिक आयोजना के लिये 30 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव रखा था और उसने इस खर्च के अनुसार पर्याप्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था ।

(घ) उपलब्ध साधनों की सीमा को देखते हुए, पहले से चल रही अत्यावश्यक विकास प्रायोजनाओं के लिए आयोजना में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ।

हरियाना सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

6686. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की मांग के अनुसार उनको भूतलक्षी प्रभाव से केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ता देने में कितना धन खर्च होगा ; और

(ख) पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की तुलना में हरियाना सरकार के कर्मचारियों की कितनी बकाया राशि नहीं दी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

अमरीका की बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव

6687. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बैंक दर में की गई वृद्धि का हमारे निर्यात और आयात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक दर में वृद्धि होने के कारण, ऋण की कीमत बढ़ जाने से उस देश में स्टाक रखने के उद्देश्य से भारत से मंगायी जाने वाली वस्तुओं की मांग में थोड़ी सी कमी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बैंक दर के बढ़ जाने से, उस देश से भारत में किये जाने वाले आयात पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

Rural Electrification in Maharashtra

6688. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any special scheme was prepared by the Maharashtra Government for rural electrification in the State by the 31st March. 1969 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the estimated expenditure likely to be incurred thereon and the number of villages to be electrified by 1969 ; and

(d) the nature of assistance proposed to be provided by the Central Government for implementing this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) (a) to (d) : No special scheme has been received from the Government of Maharashtra for rural electrification in the State by 31st March. 1969. Since the beginning of 1966-67, Central assistance is being provided to States for rural electrification schemes formulated with a bias towards energisation of pump sets. For 1968-69, a target of energisation of 22,500 pump sets has been tentatively fixed. The allocation of Central assistance for taking up this programme will be decided after the quantum of overall Central assistance for the State Plan is finalised.

Major and Medium Irrigation Schemes

6689. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of Major and Medium Irrigation Schemes forwarded by Maharashtra Government in 1967-68 to the Central Government for their approval ;

(b) the names of irrigation schemes approved and the amount sanctioned for each such scheme ; and

(c) when a final decision is likely to be taken on the irrigation schemes now under consideration and the causes of delay in arriving at a decision in respect thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) and (b). A statement indicating the present position of the major and medium irrigation schemes, forwarded by the Government of Maharashtra in 1967-68 to the Central Water and Power Commission for examination, is attached. **[Placed in Library. See No. LT-806/68]**

(c) Decision on these schemes is likely to be taken when firm indications regarding provision for new schemes are available.

Rural Electrification Schemes in Maharashtra

6690. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total amount of loan sanctioned by the Central Government to Maharashtra Government for rural electrification schemes so far including the loan sanctioned for the year 1967-68 ; and

(b) the rate of interest charged per annum on these loans and the number of instalments in which it will be repaid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) : Central loan assistance of Rs. 1,545.13 lakhs has been given to the Government of Maharashtra for Rural Electrification Schemes.

(b) : Interest @ Rs. 5.¼ per cent is chargeable for loans sanctioned upto and for the year 1964-65 and @ 5.¾ per cent for loans sanctioned from 1965-66 onwards. These loans are repayable in 20 annual equated instalments of both principal and interest commencing from the 6th (sixth) anniversary of the drawal of loans. During the first 5 (five) years only interest is payable.

आयुर्वेदिक चिकित्सा

6591. **श्री नारायणन** :
श्री कमलनाथन् :
श्री दीवीकनः
श्री सुब्रावेलू :
श्री मयाबन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष, डा० सी० एस० पटेल के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है कि तीन महीने के प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेद चिकित्सक आधुनिक औषधि में चिकित्सा कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इस बिषय पर विचार किया जा रहा है ।

राज्यों द्वारा भारत के रिजर्व बैंक से नियत से अधिक राशि का निकाला जाना

6692. **श्री दीवीकन :** **श्री कमलनाथन् .**
श्री चित्ति बाबू : **श्री सुब्रावेलू :**
श्री मयाबन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने भारत के रिजर्व बैंक से नियत राशि न निकालने की शर्त में छूट दिये जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । लेकिन राज्य सरकारें, रिजर्व बैंक से जमा से अधिक निकाली गयी रकमों को चुकाने के लिये, केन्द्र से तदर्थ ऋण-सहायता मांगती रही हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Repair of Bye-Lanes Behind North and South Avenues Flats

6693. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the roads behind M. Ps. flats in North Avenue and South Avenue and small roads behind various bungalows in New Delhi have not been repaired for the last many years ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) and (b) : The roads behind North and South Avenue flats are maintained by the C. P. W. D. Ordinary repairs to these roads are undertaken from time to time. Depending upon their condition, the roads are re-surfaced once in 3 to 4 years. This has been done recently in North Avenue and will be done shortly in South Avenue.

The service lanes behind bungalows are maintained by the New Delhi Municipal Committee.

हरियाणा लोक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा के इन्जीनियर

6694. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना लोक निर्माण विभाग के सिंचाई शाखा के अस्थायी इन्जीनियरों को राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियरों से कम वेतन मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। हरियाणा सरकार ने एक वेतन पुनरीक्षण समिति स्थापित की है जो कि अन्य विषयों के साथ-साथ सिंचाई विभाग के अस्थाई इन्जीनियरों के वेतन मानों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है और वह अपने कर्मचारियों के वेतन मानों को निर्धारित कर सकती है। अत: इनके वेतनमान वैसे नहीं हैं जैसे कि राज्य सरकार के हैं।

Sanitary Condition of Government Colonies in Delhi

6695. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the C. P. W. D. had been undertaking sanitation work in the Government Colonies in Delhi since 1964 ;

(b) whether it is also a fact that there is much insanitation in these Colonies and C. P. W. D. have not taken any action in this regard even after the matter had been brought to their notice by the New Delhi Municipal Committee ; and

(c) if so, the reasons for not taking up sanitation work by the C. P. W. D. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) The conservancy and sanitation work in the D. I. Z. area, Minto Road area and Timarpur area are being looked after by the local bodies concerned **viz.** New Delhi Municipal Committee/Delhi Municipal Corporation. In other colonies, like Rabindra Nagar, Bharati Nagar, Shahjehan Road flats, this work is being done by the C. P. W. D.

(b) and (c), The sanitation in the above localities is fairly satisfactory and whenever the New Delhi Municipal Committee have brought to the notice of the C. P. W. D. any instance of insanitation, prompt action has been taken.

Firms of M/s. Ramji Lal Jhunjhunwala

6696. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3415 on the 11th March, 1968 and state :

(a) whether the enquiry in respect of the firm of M/s. Ramji Lal Jhunjhunwala has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the date since when the said enquiry is being conducted and the number of such officers as have been conducting the said enquiry ; and

(d) the further time likely to be taken in regard to the said enquiry ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :
(a) The enquiries are still in progress.

(b) Does not arise.

(c) Prior to July 1967, the cases of this Group were with a number of Income-tax Officers. They were centralised with one Income-tax Officer in July 1967. Since then enquiries are being conducted by that officer.

(d) Substantial progress has been made. Every effort is being made to complete the investigations expeditiously.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

6697. **Shri Onkar Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3413 on the 11th March, 1968 and state:

(a) whether the inquiry in respect of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Detailed enquiries necessarily take time. It is not possible to say when they are likely to be completed. Every effort is being made to complete the same expeditiously.

M/s. Jhunjhunwala and Bros., Bombay

6698. **Shri Onkar Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3414 on the 11th March, 1968 and state:

(a) whether the enquiry in respect of the loan taken by M/s. Jhunjhunwala and Brothers of Bombay has since been completed;

(b) if so the details thereof;

(c) if not, the time likely to be taken in this regard; and

(d) the date on which the enquiry started in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Substantial progresss has already been made. Every effort is being made to complete the enquiry expeditiously.

(d) July, 1967.

M/s. McKanzies Ltd.

6699. **Shri Onkar Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2517 on the 4th March, 1968 and state:

(a) the date since when the rectifications are pending consideration in regard to M/s. McKanzies Ltd. and when a final decision is likely to be taken in this regard; and

(b) the details regarding the rectifications under consideration by Government;

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Rectification referred to was pending since March, 1967 and has since been carried out.

(b) Does not arise.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

6700. **Shri J. B. Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2669 on the 4th March, 1968 and state:

(a) the number of such share-holders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation as are the members of a Joint Hindu Family;

(b) the number and names of private and public companies in which the said share-holders of a Joint Hindu Family are holding shares;

(c) the value of shares held by each shareholder; and

(d) whether detailed information in regard to the assessment of tax on various companies at different places has since been collected and if so, the details thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) 16 members of Jhunjhunwala family are share-holders of this company. The information whether they constitute one or more Joint Hindu Families, or they hold the shares in their individual capacities is not readily available. It will be collected and placed on the Table of the House.

(b) to (d). The information is not readily available and collection of the same will cost enormous time and labour.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

6701. **Shri J. B. Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 2516 on the 4th March, 1968 and state:

(a) whether the inquiry in respect of the account books of M/s. Oriental Timber Trading Corporation has since been completed;

(b) whether Government have detected any case of tax-evasion during the course of the said inquiry; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard;

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Whether there is any tax evasion or not can be said only after the enquiries are completed and regular assessments are made.

(c) Necessary action will be taken on completion of the enquiries.

मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अंशधारी

5702. **श्री जि० ब० सिंह :** क्या वित्त मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2668 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेनिंग कारपोरेशन के 16 अंशधारियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार 80 करदाताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी के इकट्ठा न कर सकने क्या कारण हैं और अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

1. श्री बनवारीलाल झुनझुनवाला
2. श्री बनवारीलाल झुनझुनवाला (हिन्दू अविभाजित परिवार)
3. श्री चंपालाल झुनझुनवाला
4. श्री भगवती प्रसाद झुनझुनवाला
5. श्रीमती गायत्री देवी रामजी लाल
6. श्रीमती लछिवादेवी पुरुषोत्तमलाल
7. श्रीमती गीता देवी बनवारीलाल
8. श्रीमती चंद्रकला देवी चंपा लाल
9. श्रीमती भानुमती देवी भगवती प्रसाद
10. श्रीमती उषादेवी गिरधारीलाल
11. श्री बाबूलाल झुनझुनवाला
12. श्रीमती कुसुम देवी बाबूलाल
13. मास्टर विजय कुमार बनवारीलाल
14. मास्टर निवय कुमार बनवारीलाल
15. मास्टर शशिकुमार बनवारीलाल
16. मास्टर राजेन्द्र कुमार भगवती प्रसाद

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

6703. **Shri J. B. Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2518 on the 4th March, 1968 and state :

(a) the country from where paper manufacturing machine was imported by M/s. Oriental Timber Trading Corporation, Bombay ;

(b) the value of imported machine ;

(c) the manner and terms on which foreign exchange was made available to the firm ; and

(d) the amount stated to have been spent by the firm on the transportation of this machine ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Japan.

(b) Rs. 8.43 lakhs.

(c) The information is not readily available.

(d) Rs. 85,393/-.

Smuggling of Opium from Mandsaur, Madhya Pradesh

6705. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of opium being smuggled from Mandsaur near Khachraud Tehsil in District Ujjain of Madhya Pradesh into Barligarh was seized during the first fortnight of March, 1968 ;

(b) if so, the quantity value thereof ;

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ; and

(d) the details of other goods seized along with the opium and the quantity thereof, separately ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). On the 7th March, 1968, the staff of the Narcotics Department seized 96.2 kg. of opium, valued at Rs. 9,620 at the official ex-factory price, near Khachroad, Ujjain district from a truck coming from Jaora side on the Baravada-Khachroad Road.

(c) Two persons were arrested and handed over to Police for legal action.

(d) Besides the opium, the truck worth about Rs. 41,500 was also seized.

Dispute Between Workers and Management of Security Press, Nasik

6706. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any dispute has arisen between the Workers' Union of Security Press, Nasik and Government/Management in regard to categorisation, pay-scales, etc. ;

(b) whether any efforts were/are being made to resolve the dispute ;

(c) whether any difference of opinion had arisen in regard to the mode of solving the problem of categorisation ; and

(d) if so, the nature thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The Unions in the India Security Press made certain demands in regard to revision of scales of pay and categorisation of posts in the Press. While a revision in the scales of pay,

which were prescribed on the basis of the Second Pay Commission's recommendations could not be agreed to by Government ; the question in regard to the review of the categorisation of the posts of industrial workers having regard to the changes, if any, since last categorisation (which had been decided upon on the basis of the recommendations of Justice Vyas who went into this question in 1958-59) in the duties and responsibilities attached to posts, has been referred to a Special Committee consisting of Justice Naik, Retd. judge of the Bombay High Court. The other points raised by the JSP Mazdoor Sangh in regard to medical and housing facilities etc. have been attended to.

(c) and (d). In regard to the question of categorisation of posts, the Sangh suggested that the question might be discussed by the local management and the Union and points not resolved referred to the proposed Committee, or in the alternative the Committee might also have a representative each of the management and the Unions. However, having regard to the background of the discussions in the past between the local management and the Unions in the matter, it was considered by Government that the best course would be for the review of the categorisation to be conducted by the special One-man Committee, with the advice of a technical assessor. The Sangh also desired that the question of leave reserves and correlation between the workers' classification according to records and the work actually assigned to him etc. might be dealt with by the Committee. These, however, are issues which can be dealt with separately without the necessity of referring them to the Categorisation Committee which would deal with the main question of cotegorisation of posts.

Fluctuations in Price Index

6707. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the fluctuations in the figures of All-India Price Index :

(b) the reasons for which this price-index is going up in Bombay, where the procedure for determining the index was improved in 1963-64 whereas the All India Price Index is coming down ; and

(c) whether Government are reconsidering the procedure for ditermining the price-index ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). A statement giving the Working Class Consumer Price Indices for Bombay and All-India from January 1967 to January 1968 is attached. **[Placed in Library. See No. LT-807/68]** Except in November and December 1967 when the All-India Index moved down and the Bombay Index moved up, in all the other months, the movement in both the indices has been in the same direction. Over the year ended January 1968, the increase in the All-India and the Bombay indices has been 11.7 per cent and 11.9 per cent respectively. The movement in the centre-wise indices in a particular month depends upon the prices of commodities included in those centres. The All-India Index (1949=100) being a weighted index of 27 centres reflects the movement in the prices of the commodities in all these centres, including Bombay. The downward movement in the All-India index in December 1967 for which the details are available was due to the decline in the price indices of 15 out of a total of 27 centres. This was partially offset by the increase in the price indices of 10 centres including Bombay. Prices in the two remaining centres remained unchanged. The centres whose contribution in bringing

down the All-India Index was significant were Howrah and Ahmedabad where prices of rice and pulses had registered a marked fall. In Bombay, however, due to greater supply of finer varieties of rice in December 1967, the pooled average price was higher and this, alongwith the rise in the price of some other items particularly sugar, resulted in the increase in the Index.

(c). The compilation of a new All-India Consumer Price Index for Working Class with 1960 as base is under the consideration of Government.

बम्बई में बनाये जा रहे गगन-चुम्बी भवनों के मालिकों द्वारा आय-कर अपवंचन

6708. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारीमन प्वायंट, बम्बई में बनाये जा रहे नये विशाल गगन-चुम्बी भवनों के मालिकों द्वारा आय-कर के अपवंचन के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन भवनों के मालिकों ने उन्हें किराये अथवा पट्टे पर देने में तथा सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों ने भवनों के मालिकों को यह फ्लैट बेचने तथा पट्टे पर देने के मामलों में कुछ घोटाला किया है;

(ग) क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इससे कितनी आय-कर की हानि हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) नरीमन प्वाइंट, बम्बई स्थित 'निर्मल' नाम से ज्ञात इमारत में जगह बेचने अथवा उसे पट्टे पर देने के सिलसिले में इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त प्रयोजन के लिये बताई गई रकमों से ज्यादा रकमें ली गई हैं। इन शिकायतों में सरकारी अधिकारियों अथवा मंत्रियों का कोई उल्लेख नहीं है।

(ग) जांच जारी है।

(घ) जांच-पड़ताल पूरी हो जाने तथा कर निर्धारण के बाद ही इसका पता लग सकता है।

विदेशों से वित्तीय सहायता

6709. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को विभिन्न देशों तथा वित्तीय अभिकरणों से पृथक-पृथक 31 मार्च, 1968 तक कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) यह राशि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी-कितनी लगाई गई ;

(ग) उक्त तिथि तक इन देशों तथा वित्तीय अभिकरणों ने भारत से कितना ब्याज प्राप्त किया ; और

(घ) भारत द्वारा विदेशों को देय ऋण पूर्णतया कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च, 1968 तक भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों और विदेशी अभिकरणों से सहायता के रूप में जो रकम प्राप्त की गई (अर्थात् जितनी रकम के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये) वह (पी० एल० 480 के ऋणों को छोड़कर) 6545.03 करोड़ रुपया है ।

(ख) उपर्युक्त रकम में से 3662.11 करोड़ रुपये की रकम केवल सरकारी क्षेत्रों के उपयोग के लिये और 141.51 करोड़ रुपये की रकम केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के उपयोग के लिये है । 2741.41 करोड़ रुपये की शेष रकम जिसों, मशीनों और मशीनों के हिस्सों, कच्चे माल और फालतू पुर्जों, रासायनिक खाद और कृषि सम्बन्धी अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिये इस्तेमाल की जानी है । ये सब चीजें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के इस्तेमाल के लिये हैं ।

(ग) सरकार ने अब तक विभिन्न देशों और अभिकरणों को ब्याज की जो रकम चुकाई है वह 513.92 करोड़ रुपया है (फरवरी, 1968 के अन्त तक) ।

(घ) सम्बद्ध करारों के अन्तर्गत निर्धारित किये गये, ऋण-परिशोध के कार्यक्रम के अनुसार ऋण चुकाये जाते हैं । विभिन्न ऋणों को चुकाने की अवधियां अलग-अलग होती हैं । फरवरी, 1968 के अंत में जितने ऋण बकाया थे उनको चुकाने की तिथियां सन् 2017 तक हैं ।

पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खोज

6710. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खोज अब भी जारी है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई अन्तरिम रिपोर्ट मिली है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के केनिंग क्षेत्र में तेल का कोई स्रोत मिला है ; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के निकट उबले समुद्र के पानी में खोज शुरू हो गई है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). जी नहीं ।

दिल्ली को उद्यानों का नगर बनाना

6711. **श्री स० कुण्डू** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को उद्यानों का नगर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) इसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । दिल्ली का विकास मास्टर प्लान में निहित सुझावों के अनुसार करने का प्रस्ताव है । इसको उद्यान नगर बनाने की कोई अलग योजना नहीं है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

6712. **श्री जुगल मंडल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी तथा व्यापक और विस्तृत बनाने के लिये 1968-69 के लिये कोई नई योजना बनाई है और इस सम्बन्ध में विदेशी सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-808/68]

हिन्दुस्तानी दवाखाना के लेखाकार की मुअत्तिली

6713. **श्री इसहाक सामभली** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तानी दवाखाने के लेखाकार को दवाखाने के धन के दुर्विनियोग और गबन के आरोपों में दिल्ली प्रशासन द्वारा मनोनीत किये गये आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज बोर्ड द्वारा 18 मार्च, 1968 को मुअत्तल किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोर्ड ने दिल्ली प्रशासन से सिफारिश की थी कि पांच मामलों में लेखाकार के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कालिज बोर्ड ने हिन्दुस्तानी दवाखाना के सहायक लेखाकार को 18 मार्च, 1967 को मुअत्तिल किया था।

(ख) जी हां।

(ग) बोर्ड को यह सलाह दी गई थी कि वह पहले संबंधित लोगों के विरुद्ध विभागीय जांच पूरी कर ले।

लूप का कुप्रभाव

6714. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लूप प्रयोग के विरुद्ध लोगों की राय की जानकारी सरकार को है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में मेडिकल कालेज आगरा के स्त्री रोग विज्ञान के प्राध्यापक डा० एन० कृष्ण की चेतावनी को पढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) जी हां। सरकार ने एस० एन० मेडिकल कालेज आगरा के स्त्री रोग विज्ञान के प्राध्यापक डा० नबल किशोर के वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट को पढ़ा है।

(ग) रक्तस्राव, कमर दर्द आदि जिन कठिनाइयों की शिकायत की जाती है वे मामूली हैं और उचित देखरेख और चिकित्सा से अधिकांश मामलों में वे ठीक हो जाती हैं। ऐसे कुछ मामलों में जहां ये शिकायतें बनी रहती हैं, लूप निकाल दिया जाता है। लूप आज भी परिवार नियोजन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो सस्ता और कारगर है; जिसे निकाला भी जा सकता है और जिसके लिए बारम्बार प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं होती। इस सम्बन्ध में जो बात जरूरी है वह यह है कि लूप पहनाने से पहले लूप पहनने वाली स्त्रियों का सही चयन और जांच की जाए और लूप पहनाने के बाद उनकी देख-भाल पर्याप्त रूप से की जाए। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

बरौनी तेल शोधक कारखाने से अपशिष्ट पदार्थ बहाये जाने से गंगा जल का दूषित होना

6715. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के जल के दूषित होने के कारणों की जांच के निर्देश-पदों में तेल

शोधक कारखाने द्वारा घटिया किस्म, के विमान के तेल का उत्पादन किये जाने की आरोप की जांच भी सम्मिलित है;

(ख) क्या जांच समिति में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसका भारतीय तेल निगम से कोई सम्बन्ध नहीं है ;

(ग) क्या सरकार ने जल-दूषण के प्रश्न पर जांच समिति से कोई अग्रिम प्रतिवेदन देने के लिये कहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जांच आयोग के निर्देश-पद काफी विस्तृत हैं; जिसमें वे सारे तथ्य आ जाते हैं जिनका गंगा नदी के जल के दूषित होने का सम्बन्ध है और इसमें यह भी शामिल है कि बरौनी शोधनशाला इस घटना के लिये कहां तक उत्तरदायी है ।

(ख) आयोग के सदस्यों में से कोई भी भारतीय तेल निगम से सम्बन्धित नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जांच रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर यथासमय रखी जायेगी ।

कपड़ा मिलों संबंधी कार्यकारी दल

6716. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों द्वारा अनुभव की जा रही वित्तीय कठिनाइयों की जांच करने के लिये एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समिति के सदस्य ये हैं :

(1) श्री एम० ए० रंगास्वामी, टैक्सटाइल कमिश्नर (अध्यक्ष)

(2) श्री मंगेश एस० नाडकर्णी, भारतीय रिजर्व बैंक

(3) श्री डी० एस० हरवठे, भारतीय राज्य बैंक

(4) श्री के० गोपालराव, बैंक आफ बड़ौदा

(5) श्री एस० वेंकटरामन, बैंक आफ इण्डिया

(6) श्री मदनमोहन मंगलदास, इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन

(7) श्री बी० जी० काकतकर, इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन

(8) श्री आई० बी० दत्त, टेक्सटाइल कमिश्नर औद्योगिक के सलाहकार

(9) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का एक प्रतिनिधि

(10) टेक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय का एक अधिकारी (सचिव) समिति के विचारणीय विषय ये हैं :

(1) ऐसी सूती कपड़ा मिलों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का विचार करना जिनकी वित्तीय स्थिति अन्यथा सुदृढ़ हो, लेकिन जो मिलों की कार्य चालन-पूंजी या उनके आधुनिकीकरण के लिये वाणिज्यिक बैंकों से अग्रिम लेने के लिए सामान्य मार्जिन देने में असमर्थ हों।

(2) इस बात की जांच करना कि ऐसी मिलों को, थोड़ा मार्जिन स्वीकार करके और/या स्थिर परिसम्पत्तियों का संशोधित मूल्यांकन करके जैसा भी उचित हो, अतिरिक्त ऋण देने की जोखिम से वाणिज्यिक बैंकों की उचित रक्षा करने की व्यवस्था करना कहां तक सम्भव है; और

(3) ऐसी सिफारिशें करना जिनमें इस प्रयोजन के लिये कोई योजना शामिल हो।

Opium Trade

6717. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the restrictions that have been imposed by Government on the trade of opium and the steps taken to check opium smuggling;

(b) the places where opium is produced and the quantity produced last year;

(c) the manner in which the control over the production and distribution of opium is exercised; and

(d) whether opium is exported and if so, the quantity exported to each country during the last year ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (c). Under the International Conventions on Narcotics to which India is a party, trade in opium is to be limited exclusively to medicinal and scientific purposes. Under the Opium Act, 1857, opium poppy can be cultivated only by those persons to whom licences are issued by Government. The opium produced by them has to be tendered in full to Government who purchase the opium on payment of the price fixed from time to time. Within the country, opium is sold only to the State Governments and to the Pharmaceutical Industry for medicinal use against permits issued by the States. Export of opium is permitted only against import certificates issued by the Government of the importing country and export authorisation issued by the Government of India.

The following are the important steps taken by the Government to check opium smuggling :—

(i) Limiting poppy cultivation to contiguous areas with a view to securing effective control ;

(ii) A cent per cent survey and measurement of the poppy fields by the staff of the Narcotics Department;

(iii) Intensive field inspection and preliminary weighment of opium produced immediately after collection of opium by the grower;

(iv) Early purchase of opium by the Government from the grower.

(v) Intensive vigilance and checks by the staff of the Narcotics Department in and around growing areas.

(vi) Elimination of unproductive areas and undesirable cultivators through a system of licensing principles.

(vii) Stepping up progressively from year to year the average yield required to be tendered by a grower for judging his eligibility for licence;

(viii) Adequate preventive measures at vulnerable points by all enforcement agencies including the State Excise and Police and the staff of the Customs. Central Excise and Narcotics Departments and check of road and rail traffic, wherever necessary.

(ix) Rummaging of suspected sea-going vessels and cancellation of registration certificates of sea-men convicted for narcotic offences.

(x) Collection of intelligence and maintenance of liaison by the staff of the Narcotics Department with enforcement agencies, both within the country and outside.

(b) During the current season opium is produced in certain specified areas in the districts mentioned below :—

State.	District.
1. Uttar Pradesh.	Faizabad, Gonda, Ghazipur, Azamgarh. Bara Banki, Lucknow, Bareilly and Shahjahanpur.
2. Madhya Pradesh.	Mandsaur and Ratlam.
3. Rajasthan.	Kotah, Jhalawar, Chittorgarh, Bhilwara and Udaipur.

The quantity of opium produced during 1966-67 season at 70° consistence, State-wise is as follows :—

State	Quantity (metric tonne)
Uttar Pradesh	97
Madhya Pradesh	230
Rajasthan	146
Total :	473

(d). Bulk of the opium produced in India is exported. The quantity exported to each country during 1967 is indicated below :—

S. N.	Country.	Quantity of opium exported at 90° consistence. (Metric Tonne)
1.	U. K.	167
2.	U. S. S. R.	60
3.	France.	50
4.	Japan	29
5.	U. S. A.	56
6.	Italy.	27
7.	West Germany.	12
8.	Spain.	12
9.	Argentina.	2
10.	Republic of China (Taiwan).	1

सामुदायिक केन्द्र, चण्डीगढ़ का दुरुपयोग

6718. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ की वृहत् योजना के अनुसार नगर के सेक्टर 1 में राज्यपाल के निवासस्थान के लिये रखे गये स्थान के निकट सार्वजनिक भवन समुदाय केन्द्र है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह भवन चंडीगढ़ क्लब को नाममात्र किराये पर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह संस्था इस सार्वजनिक भवन का लाभ उठाने के उद्देश्य से मदिरालय तथा जुआघर के रूप में प्रयोग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। इसका नाम चंडीगढ़ क्लब है जैसा कि चंडीगढ़ के मास्टर प्लान में दिखाया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) चंडीगढ़ में यह मुख्य क्लब है तथा इसके पास 30 अक्तूबर, 1957 से बार लाइसस है । यह एक नियमित क्लब के रूप में चलाया जा रहा है तथा लाभ के उद्देश्य से इसका जुआघर के रूप में उपयोग करने के विषय में सरकार को पता नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात कारखाना

6719. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री लाखन लाल गुप्त :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात करखाने को पानी उपलब्ध करानें के लिये 5 करोड़ रुपये की लागत की खरखरा परियोजना के लिये सरकार ने धन की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय धन राज्य सरकार को ऋण के रूप में दिया गया है अथवा अनुदान के रूप में;

(ग) क्या यह सच है कि हसदेव परियोजना का, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरबा ताप घर के लिये पानी ठंडा करना है ताकि वहां से भिलाई इस्पात कारखाने के लिये बिजली की सप्लाई की जा सके, निर्माण-कार्य चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हसदेव परियोजना के लिये भी उसी प्रकार केन्द्रीय धन की व्यवस्था करने का है जिस प्रकार खरखरा परियोजना के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय धन उपलब्ध कराया गया था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि इस परियोजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना तय हो जाने के बाद आरम्भ किया गया था, इसलिये इसके लिए केन्द्रीय सहायता राज्य की वार्षिक योजनाओं के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त विविध विकास ऋणों के रूपों में दी गई थी ।

(ग) पहला चरण तो ठण्डा करने वाले पानी के ही लिए है किन्तु अगले चरण सिंचाई व बिजली के लिये हैं ।

(घ) चूंकि राज्य योजना के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता में विविध विकास ऋणों के साधारण आवंटनों से इस परियोजना पर खर्च किया जा रहा है, इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता ।

Effect of Bumper Crop in Prices of Essential Commodities

6720. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the impact of bumper kharif crop on the prices of foodgrains and other essential commodities; and

(b) the manner in which it has affected the industrial recession ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) There has been a percepitble decline in prices in recent months. The wholesale price index (1952-53=100) for the week ended March 16, 1968 stood at 199.1 (provisional) and showed a decline of 11.2% from its peak level of 224.1 recorded in the middle of October, 1967. In

the case of food articles, the price decline over this period has been of the order of 15.6%. A detailed statement showing variations in prices of important commodities/Groups in recent months is attached. **[Placed in Library. See No. LT-809/68]**

(b) Data regarding industrial production are so far available for December 1967, and in the case of some industries for January 1968. These indicate that several agriculture based industries have showed improved performance. These include cotton textiles, vanaspati, tea and coffee.

Hony. Dental Adviser to the Government of India

6721. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether there is any dental adviser to the Government of India;

(b) whether it is a fact that this adviser toured Mysore and Goa in the eapacity of an adviser and Chairman of the Dental Council;

(c) whether he was treated as a State guest during this tour; if so, whether he claimed T. A. and D. A. also in respect of this tour; and

(d) whether it is also a fact that the election of Chairman and members to the various organisations of Dental Council under Section 3 of the Dental Act is illegal; and if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). Yes.

(c) He was treated as a State guest during his tour of Goa in 1964, He received T. A. and D. A. for this tour from the Dental Council of India.

Details about his visits to Mysore are not readily available. These are being collected.

(d) Election of the President of the Dental Council is held under Section 7 of the Dentists Act 1948 and the Executive Committee of the Council is constituted in accordance with the provisions of Section 9 of the said Act.

The legality of the election of the President or the constitution of the Executive Committee of the Council has not been questioned in any Court.

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कार्यालयों का फरीदाबाद ले जाया जाना तथा उन्हें पुनः दिल्ली में लाना

6722. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2785 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (विद्युत् स्कन्ध) के प्रभावित कर्मचारियों को, जब वह कार्यालय दिल्ली से हटा कर फरीदाबाद ले जाया गया था, विस्थापन भत्ता दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समय भी जब इस दफ्तर को वहां से हटा कर फिर दिल्ली लाया गया था इन प्रभावित कर्मचारियों को विस्थापन भत्ता दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जब स्टाफ को उनके कार्यालयों के साथ फरीदाबाद स्थानान्तरित किया गया था तो उनको कोई विस्थापन भत्ता नहीं दिया गया, किन्तु सरकारी आदेशों के अनुसार दिया जाने वाला प्रतिकारात्मक भत्ता दिया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कुछ कर्मचारियों को फरीदाबाद से दिल्ली आन्तरिक समायोजन के आधार पर कार्य हित के लिए पुनः स्थानान्तरित किया गया था ।

Hindi knowing Gazetted Officers in Finance Ministry

6723. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Gazetted Officers in his Ministry as on the 15th March, 1968 and the number of those among them who know Hindi ;

(b) the number of officers among the non-Hindi knowing officers who are learning Hindi at present under the Hindi Training Scheme ; and

(c) the time by which the remaining officers will acquire the knowledge of Hindi ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Non-Hindi knowing Employees in Finance Ministry

6724. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of non-Hindi knowing employees in Grade I, II and III respectively, in his Ministry as on 31st December, 1967 ;

(b) whether his Ministry has prepared any roster for teaching them Hindi ;

(c) if so, the time by which the work of teaching them Hindi is likely to be completed according to the said roster ; and

(d) if not, the time by which a roster would be prepared ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (d) . Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

भारतीय तेल निगम के एजेन्ट

6725. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने ईस्टर्न किरोसीन सप्लाइंग एजेन्सी को एजेन्ट नियुक्त किया है;

(ख) क्या सरकार के निर्णय के विरुद्ध भारतीय तेल निगम ने वेस्टर्न इण्डिया लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान आर्गनाइजर्स को भी एजेन्ट नियुक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समुदाय के गरीब वर्गों का आर्थिक विकास तथा कल्याण

6726. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1960 में समुदाय के गरीब वर्गों के आर्थिक विकास तथा कल्याण के लिये उपाय सुझाने के लिये सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके सुझाव कहां तक कार्यान्वित किये गये थे ; और

(ग) क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1960 में श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर समन्वय कार्यवाही की जिम्मेदारी 1961 में योजना-आयोग को सौंपी गई थी। इस सम्बन्ध में योजना आयोग से प्राप्त हुई जानकारी का सारांश अनुबन्ध में दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-810/68**]

Price Index

6727. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4144 on the 18th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that the prices of milk, foodgrains and rationed articles had gone up by 20 to 25 per cent, in December, 1967 and January, 1968, whereas the price index in those months registered an increase of 2.5 per cent ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the price index recorded in February and March, 1968 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The All India Working Class Consumer Price Index (1949-100) rose from 216 for November, 1967 to 220 for January 1968, an increase of 1.9% over two months. This was mainly on account of the substantial withdrawal of the food subsidy from 1st January 1968. Information relating to consumer prices of the food group for January 1968 is not yet available.

However, the wholesale price index shows that between the weeks ended 2nd December, 1967 and 27th January, 1968, while prices of cereals rose by 3.2%, those of pulses and milk declined by 7.2% and 6.1% respectively.

(c) Information relating the consumer price index for the months of February and March, 1968 is not yet available. The wholesale price index (1952-53-100) however, stood at 199.1 (provisional) during the week ended March 16, 1968 and latest week for which data are available, and showed a decline of 4·7% from the price level at the end of January, 1968.

मध्य प्रदेश में पम्प

6728. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि परियोजना के लिये बिजली से पम्प चलाने के हेतु मध्य प्रदेश सरकार को चालू वर्ष में धन का कोई विशेष नियतन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्यों को उन ग्रामविद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाती है जिनमें सिंचाई पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया हो। मध्य प्रदेश सरकार ने 1967-68 के वर्ष के लिये गांवों में बिजली लगाने के निमित्त 217 लाख रुपये मंजूर किये थे। 1968-69 के लिये आवंटन पर तब फैसला किया जायगा जब राज्य योजना के लिए कुल केन्द्रीय सहायता तय हो जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन

6729. **श्री अ० कु० किस्कु** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रत्येक राज्य के लिये अलग-अलग वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करायें और संकलित कराये जायें, ताकि उस पर राज्य विधान मंडलों में उपयोगी चर्चा की जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). यह बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के ध्यान में लायी गई है। आयुक्त का प्राधिकार सरकार के अधीन नहीं है, उस विषय में कोई निदेश जारी करना या प्रवर्तित करना समुचित न होगा।

आसाम के आदिवासी अधिकारियों को आयकर की राशि का लौटाया जाना

6730. **श्री अ० कु० किस्कु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 दिसम्बर, 1967, को 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ यह समाचार सही है कि आसाम के 400 आदिवासी अधिकारियों की आयकर की राशि लौटा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लौटाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्य राज्यों के आदिवासियों के प्रति भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि गैर-सरकारी कर्मचारियों की भांति, निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों की आय भी कर-मुक्त है। इन व्यक्तियों को आयकर वापस करने के सवाल पर विचार किया जा रहा है।

(ग) आयकर अधिनियम में, स्वयं संविधान में ऐसी आदिम जातियों के लिये की गई विशेष व्यवस्था की भावना के अनुरूप, केवल संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जातियों के मामले में ही आयकर से छूट की व्यवस्था है।

इंडियन आयल कम्पनी का निदेशक बोर्ड

6731. **श्री अ० कु० किस्कु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी का निदेशक बोर्ड गठित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख). भारतीय तेल निगम लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड का 30-9-1957 को पुनर्गठन किया गया था। इसमें 15 निदेशक हैं ; जिनमें राज्य सरकारों के तीन प्रतिनिधि और पांच गैर-सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।

सिलचर में मेडिकल कालेज

6732. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में सिलचर में मेडिकल कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार सिलचर मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को गोहाटी मेडिकल कालेज में दाखिल करने की अनुमति आसाम राज्य सरकार को कब तक देती रहेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) सिलचर में मेडिकल कालेज के भवनों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। कालेज भवन के पूरा होने में अभी दो वर्ष और लगने की सम्भावना है। तथापि राज्य सरकार का 1968 में किसी प्राइवेट कालिज में प्रि-मेडिकल की कक्षायें चलाने का प्रस्ताव है। उन्हें आशा है कि वे 1969 में प्री-क्लीनिकी कक्षायें अपने एक भवन में चलाना प्रारम्भ कर देंगे जिसके तब तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) यह पूर्णत: राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है।

Effect on India's Paper Currency Due to Gold Crisis Abroad

6733. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Rabi Ray :
Shri Srinibas Misra :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the recent gold crisis in Western Europe would have any adverse effect on the paper currency of India ; and

(b) if so, the extent thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise

आन्ध्र प्रदेश में पेय जल सप्लाई योजनायें

6734. **श्री एंथनी रेड्डी :**
श्रीमती अगम दासगुरू मिनिमाता :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1965-66 और 1966-67 के दौरान धन की मंजूरी हेतु अनन्तपुर जिले के रामदुर्ग और ब्रावा कंडा तालुकों तथा करनूल जिले के अलूर तालुकों के कुछ गांवों को पेय जल की सप्लाई के लिये दो योजनायें केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है और इनके निष्पादन के लिए धन का नियतन कर दिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने अगस्त 1967 में (i) अनन्तपुर जिले के ब्रवा कैंडा

और 16 दूसरे ग्रामों तथा (ii) करनूल जिले के अलूर तथा 38 ग्रामों की क्रमशः 29.50 लाख रुपये तथा 67 लाख रुपये की लागत की दो जल पूर्ति योजनाओं का अनुमोदन कर दिया था। इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये केन्द्र सरकार राज्य सरकार को 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता सहाय्यानुदान के रूप में देगी।

"सिंगल वायर अर्थ रिटर्न सिस्टम"

6735. **श्री एंथनी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं का विस्तार करने के लिये सरकार ने "सिंगल वायर अर्थ रिटर्न सिस्टम" अपना लिया है ;

(ख) इस व्यवस्था के आधार पर अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई गई है ; और

(ग) इस व्यवस्था के अनुसार बिजली की लाइनें बिछाने में कितने प्रतिशत बचत होती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). अक्तूबर 1964 में त्रिवेन्द्रम में हुए 9वें सिंचाई व बिजली सैमीनार में, जिसमें राज्यों के बिजली मंत्री तथा बिजली बोर्डों के अध्यक्षों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह निर्णय किया गया था कि उन क्षेत्रों में 'सिंगल वायर अर्थ रिटर्न' प्रणाली को प्रयोगात्मक रूप में अपनाया जाय जहां तुलनात्मक दृष्टि से दूरियां बड़ी हैं और भार कम है। अन्य उपायों के साथ इस सुझाव को अपनाने की भी सिफारिश ग्राम्य विद्युतीकरण की लागत को कम करने के लिए की गई थी। 'सिंगल वायर अर्थ रिटर्न' प्रणाली प्रयोगात्मक आधार पर बिहार (लगभग 5 किलोमीटर), मद्रास (लगभग 6.5 किलोमीटर), महाराष्ट्र (लगभग 17 किलोमीटर), उड़ीसा (लगभग 29 किलोमीटर) और पंजाब (लगभग 3 किलोमीटर) में अपनाई गई हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की बिजली अनुसंधान संस्था, बंगलौर भी इस प्रणाली पर परीक्षण कर रही है। इन परीक्षणों के परिणामों का अध्ययन इस प्रणाली की आर्थिक एवं तकनीकी संभाव्यता जानने के लिए किया जा रहा है।

कलकत्ता में भट्टी के तेल की सप्लाई

6736. **श्री मुहम्मद इमाम :** **श्री शिवप्पा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री गाडिलिंगन गौड : **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य नगरों में भट्टी का तेल कम मात्रा में सप्लाई हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अधिकांश कारखाने या तो बन्द हो गये हैं या क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में भट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारी

6737. **श्री शिवचरण लाल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों, डाक्टरों, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के अधिकारियों और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की, वर्गवार संख्या कितनी है ;

(ख) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों से पृथक-पृथक तथा वर्गवार कुल कितने घण्टे काम लिया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल में कुछ विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से आठ घण्टे से अधिक काम लिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा किन नियमों और आदेशों के अन्तर्गत आठ घण्टे से अधिक काम लिया जा रहा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना के दो परिशिष्ट 1 तथा 2 संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-811/68]**

(घ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के काम करने का समय अस्पताल के काम के अनुरूप निर्धारित किया गया है ।

रात की पारी में काम पर लगाये गये कर्मचारियों के काम करने का समय 8 घण्टे से अधिक होता है क्योंकि उस समय कार्यभार दिन की तुलना में काफी कम होता है । सामान्यतः जहां कहीं काम करने का समय 8 घण्टे से अधिक होता है, वहां काम निरंतर नहीं होता तथा बीच-बीच में विश्राम दिया जाता है ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में कैन्टीन

6738. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली विलिंगडन अस्पताल में कर्मचारियों के लिये कोई कैन्टीन/सहकारी कैन्टीन नहीं है ;

(ख) क्या विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ ने इसके लिये कोई मांग की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

विलिंगडन अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ता

6739. **श्री द० रा० परमार** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों से कई वर्षों से काम के आठ घण्टों से अधिक घण्टे काम लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ (रजिस्टर्ड) ने 23 दिसम्बर, 1967 के अपने हड़ताल सम्बन्धी नोटिस में समयोपरि भत्ते की मांग की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा समयोपरि भत्ता कब दिये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मांग पर 1964 में समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) ने विचार किया था । उसके अनुसार इस मांग में कोई दम नहीं था । कुछ कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय (केन्द्रीय), दिल्ली में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (ग) के अन्तर्गत अधिसमय भत्ते के दावे पेश किये थे किन्तु ये सभी दावे अस्वीकृत कर दिये गये थे ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न के भाग (ग) में दिये गये उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

6740. **श्री किकर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विलिंगडन अस्पताल में कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों में कितने क्वार्टर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं ; और

(ग) वे कर्मचारी किस श्रेणी के हैं तथा उनका सेवाकाल कितना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 61 क्वार्टर ।

(ख) 61 क्वार्टरों में से 37 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रह रहे हैं और 24 में अन्य श्रेणियों के कर्मचारी । गत दो वर्षों में 2 क्वार्टर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तथा 6 क्वार्टर परा-चिकित्सा कर्मचारियों को, जिनकी सेवायें आपत्काल में अपेक्षित हैं, दिये गये ।

(ग) इन परा-चिकित्सा कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवाकाल इस प्रकार है :

परा-चिकित्सा कर्मचारी	**सेवा काल (वर्षों में)**
1. संग्रहाध्यक्ष	12 वर्ष
2. सफाई निरीक्षक	2 वर्ष
3. प्रयोगशाला तकनीशियन (ई० ई० जी)	13 वर्ष
4. लेबोरेट्री तकनीशियन (लाक्षणिक रोग शास्त्र)	11 वर्ष
5. लेबोरेट्री तकनीशियन (जीव रसायन)	4 वर्ष
6. लेबोरेट्री सहायक (ऊति व्याधि शास्त्री)	4 वर्ष
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
1. बियरा	13 वर्ष
2. भिस्ती	18 वर्ष

विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान

6741. **श्री रामचन्द्र जे० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के सभी कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ कर्मचारी अस्पताल से बहुत दूर रहते हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों को अस्पताल के निकट रिहायशी क्वार्टर देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव को मानना व्यावहारिक नहीं है ।

विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारी

6742. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में विलिंगडन अस्पताल के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को अभी तक स्थायी अथवा अर्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया है, यद्यपि उन्हें नौकरी करते हुए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष तथा 15 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है ;

(ख) तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या वर्ग-वार तथा वर्षवार कितनी है ;

(ग) उन्हें अब तक स्थायी तथा अर्ध-स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का उन्हें स्थायी बनाने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

कर्मचारियों का वर्ग	**कर्मचारियों की संख्या जिन्हें कार्य करते हुए**		
	3 वर्ष से अधिक हो गए हैं	**5 वर्ष से अधिक हो गए हैं**	**10 वर्ष से अधिक हो गए हैं**
तृतीय श्रेणी	19	13	1
चतुर्थ श्रेणी	28	15	1

(ग) जिन कर्मचारियों को अभी स्थायी/अर्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया है उनके पास या तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता नहीं हैं अथवा वे इस विषय में सरकारी आदेशों/नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते । योग्य मामलों में शैक्षिक अर्हताओं में छूट देने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब उन पदों के ; जिन पर वे काम कर रहे हैं, भर्ती नियम अन्तिम रूप से तैयार हो जायेंगे ।

(घ) और (ङ). ऐसे लोगों को, जिन्होंने 3 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है, अर्ध-सरकारी घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । जिस दिन से कोई स्थायी पद उपलब्ध होता है अथवा हो जायेगा कर्मचारियों को उसी दिन से स्थायी कर दिया जायेगा बशर्ते वे इस विषय पर सरकारी आदेशों/नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हों ।

नई दिल्ली में चित्र गुप्त रोड पर दुकानें

6743. **श्री क० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5412-ज के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फेरी वालों तथा अन्य शरणार्थी व्यापारियों को बसाने के लिये नई दिल्ली में मुख्य चित्रगुप्त रोड पर दुकानें खोलने की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या घनी आबादी वाली रिहायशी बस्तियों में ऐसी दुकानें बनाने की अवांछनीयता के सम्बन्ध में उपराज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद को अभ्यावेदन भेजे जाने के बावजूद तथा चित्रगुप्त रोड पर भारी यातायात होने के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं के बावजूद भी वहां पर दुकानें बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों के अभ्यावेदनों की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम के सेक्टर 9 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का औषधालय खोलना

6744. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम में सेक्टर 9 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का कोई औषधालय नहीं है तथा वहां पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को डाक्टरी इलाज कराने के लिये बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस सेक्टर में कब तक औषधालय खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 9 में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या इस समय केवल 92 है जिनके लिए अलग डिस्पेंसरी खोलने का कोई औचित्य नहीं है। सामान्यतया 2000 से 2500 परिवारों तक के लिये एक डिस्पेंसरी खोलने का नियम है।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली का सेक्टर 9 उसी बस्ती के सेक्टर 7 में स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी से सम्बद्ध है जो इस समय कुल 1,151 परिवारों की जरूरतें पूरी कर रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली रामकृष्णपुरम के सैक्टर 9 में सुविधायें

6745. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम के सैक्टर 9 में पक्की सड़कें नहीं बनाई गई हैं और बागबानी प्रभाग द्वारा अन्य कोई विकास कार्य नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस सैक्टर में मार्केट नहीं बनाई गई है, यद्यपि सरकारी कर्मचारियों को बिजली बिना क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये सुविधायें उपलब्ध कराने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) बगैर कोलतार डाले (विदाउट प्रेमिक्स कार्पेटिंग) पक्की सड़कों की व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग बिजली लगाने का कार्य जिसमें कि बार-बार सड़क काटने की आवश्यकता होती है जब पूरा कर लेगी तब कोलतार (प्रेमिक्स कारपेटिंग) डाला जायगा। घास के मैदान लगा दिये गये हैं। पेड़ और झाड़ियां शीघ्र लगा दी जावेंगी। बाजार बनाने के लिये टेंडर मंगा लिये गये हैं। आशा है कि कार्य आरम्भ होने के बाद से छः महीने में पूरा हो जायेगा।

Ex-Chief Minister of Orissa

6746. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4207 on the 14th December, 1967 and state :

(a) whether the amount of Rs. 12·76 lakhs, as disclosed by Shri Biju Patnaik, was in his name only or in the name of his wife and son ; and

(b) the details of the immovable property in India and abroad, if any, with locations thereof?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The total wealth of Rs. 12.76 lakhs as on 31-3-1957 was in the name of Shri Biju Patnaik only.

(b) The above figure does not include the value of any immovable property. However, in a subsequent wealth statement as on 31-3-1966, a house at New Delhi valued at Rs. 5,92,852/- has been shown. No other immovable property either in India or abroad has been declared in the Wealth statements of Shri Patnaik

Share holding by the family Members of the former Chief Minister of Orissa

6747. **Shri Hukam Chand Kachwai.** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4206 on the 14th December, 1967 and state :

(a) the number of shares possessed by each member of the family of Shri Biju Patnaik, ex-Chief Minister of Orissa in the nine Companies referred to therein; and

(b) the amount of dues paid by these companies to Government since 1961 to-date; and

(c) the date by which Government expect to realise income-tax outstanding against these companies ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The bulk of outstanding taxes, Rs. 96.76 lakhs, is covered by writs and no recovery can be made. Appropriate steps, as provided in law, including levy of penalties, are being taken for recovery of the demand not covered by writs.

Recovery of Counterfeit Coins

6748. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large quantity of counterfeit coins was recovered in different parts of the country during 1967;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection in September, 1967 and January, 1968 in Calcutta, Bombay, Delhi and Madras and the number of those prosecuted; and

(c) the approximate value of the coins recovered ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Some Counterfeit coins were recovered from different parts of the country during 1967. Their number is very small in comparison with the number of genuine coins in circulation.

(b) No one was arrested or prosecuted in Calcutta, Bombay, Delhi and Madras in September 1967 and January 1968. However 17 persons were arrested in 1967 in other parts of the country. 11 of them are pending trial, two are pending investigation and in the other cases one was acquitted and 3 have been prosecuted.

(c) The approximate value of the coins recovered is Rs. 660/-.

रेडियो सीलोन से प्रचार पर व्यय

6749. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो सीलोन की व्यापार सेवा के माध्यम से भारतीय वस्तुओं के प्रचार के लिये गत दो वर्षों में कितनी भारतीय मुद्रा दी गई ;

(ख) क्या सरकार भारत से मुद्रा को बाहर जाने को रोकने के लिये रेडियो सीलोन से यह प्रचार बन्द करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय मुद्रा को बाहर जाने को रोकने के लिये सरकार का और क्या उपाय करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रेडियो सीलोन की वाणिज्यिक सेवा द्वारा विज्ञापन करने के लिये 1966 और 1967 में क्रमशः 4.81 लाख रुपये और 5.75 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा दी गई।

(ख) और (ग). भारतीय मुद्रा देश से बाहर नहीं भेजी जाती। रिजर्व बैंक जितनी रकम देने की स्वीकृति देता है उतनी रकम विदेशी मुद्रा में भेजी जाती है। इस समय इस सुविधा को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, समय-समय पर स्थिति पर पुनर्विचार किया जाता है।

विदेशों द्वारा दिये गये ऋण

6750. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में किन-किन देशों ने भारत को कितना-कितना ऋण दिया है ; और

(ख) उसमें से कितने धन का उपयोग किया है तथा इन ऋणों से किन-किन परियोजनाओं को लाभ पहुंचा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-812/68]**

फर्मों तथा व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

6751. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में तथा फरवरी, 1968 के अन्त तक किन-किन फर्मों तथा व्यक्तियों पर विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना किया गया और उनके पूरे पते क्या हैं ; और

(ख) उन्होंने इन विनियमों का क्या उल्लंघन किया और क्या किसी फर्म तथा व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जिन फर्मों और व्यक्तियों पर, प्रवर्त्तन निदेशक द्वारा 1-1-1967 से 29-2-1968 तक की अवधि में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उल्लंघन के कारण दण्ड लगाये गये हैं उनके नामों और पतों के बारे में और साथ ही उक्त अधिनियम के जिन उपबन्धों का उल्लंघन हुआ ठहराया गया है उनके बारे में एक विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-813/68**]

इसी अवधि में, 34 मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अदालतों में मुकदमा चलाने की कार्यवाही की गई।

तेल का वितरण

6752. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल के वितरण के बारे में सरकार ने कोई नई नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रूस के सहयोग से औद्योगिक परियोजनायें

6753. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के सहयोग से भारत में फरवरी, 1968 तक कुल कितनी औद्योगिक परियोजनायें बनाई गईं ; और

(ख) उस सम्बन्ध में रूस सरकार ने क्या सहायता दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जिन प्रायोजनाओं के लिये सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ से सहायता प्राप्त हुई है, उनकी सूची साथ दी जा रही है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-814/68**] सोवियत संघ इन प्रायोजनाओं के लिये आवश्यक मशीनें, उपकरण और तकनीकी सहायता आदि उधार दे रहा है। सोवियत संघ द्वारा अब तक कुल 122.55 करोड़ रूबल के ऋण दिये गये हैं।

विदेशों से आर्थिक सहायता

6754. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1967 से फरवरी, 1968 तक विभिन्न देशों से कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई ; और

(ख) यह सहायता किस-किस प्रयोजन के लिये प्राप्त हुई तथा किन-किन देशों से ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-815/68**]

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के प्रथम श्रेणी के अधिकारी का सेवाकाल बढ़ाया जाना

6755. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के एक तकनीकी अधिकारी के सेवाकाल को, उसके द्वारा अपने सेवाकाल में छोड़े गये बाकी कार्य को निपटाने के लिये उसकी 58 वर्ष की आयु के पश्चात बढ़ाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस अधिकारी को केवल उसके द्वारा छोड़े गये कार्य को निपटाने के लिये, जिसको उसके उत्तराधिकारी ने करने से इन्कार कर दिया था, उसकी सेवा-निवृत्ति के पश्चात् जनवरी 1967 में पुनः नियुक्त किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सेवाकाल में इस प्रकार से वृद्धि न कर और सेवा निवृत्त अधिकारियों की इस प्रकार पुनः नियुक्ति न कर नये इंजीनियरों को अवसर प्रदान कर प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के बिजली स्कंध के एक निदेशक को जो जनवरी, 1967 में निवृत्त हुए थे, बिजली अधिनियमों में संशोधनों के प्रस्तावों की जांच करने के लिये 5-10-1967 से 30-9-1968 तक विशेषपदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है क्योंकि इस खास काम के लिए ऐसा कोई और अधिकारी उपलब्ध नहीं था जिसे इस सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो।

(ग) अधिवार्षिकी-अवस्था के बाद किसी अधिकारी को खास स्थितियों और कार्य हित के लिये ही रखा जाता है अथवा पुनः नियुक्त किया जाता है।

चेचक उन्मूलन कार्यक्रम

6756. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चेचक का पूर्णतः उन्मूलन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में यह काम शुरू हो चुका है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में चल रहा है ।

(ग) 1962 के अन्तिम तीन महीनों से, जबसे इस कार्यक्रम को चलाया गया था, 52 करोड़ 40 लाख 40 हजार की कुल जनसंख्या (1968 की मध्य वर्षीय अनुमानित जनसंख्या) में से 8 करोड़ 68 लाख 70 हजार को प्राथमिक टीके तथा 49 करोड़ 30 लाख 70 हजार को दुबारा टीके लगाये जा चुके हैं । इस वर्ष इस कार्यक्रम को और तीव्र किया जा रहा है ।

रूस से अपोक्लोरीन का आयात

6757. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी डाक्टरों ने अधिक रक्त चाप के लिए एक नई औषधि 'अपोक्लोरीन' का आविष्कार किया है ;

(ख) क्या उक्त औषधि के आयात के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ग) क्या उक्त औषधि के उत्पादन के लिए रूस सरकार के सहयोग से कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

जाली नोटों का मुद्रण तथा परिचालन

6758. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री अम्बचेजियान :
श्री दीवीकन :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1968 को 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित हुआ यह समाचार सही है कि जाली नोटों का मुद्रण तथा परिचालन करने वाले एक गिरोह का हाल ही में पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(ग) उनके द्वारा किस-किस मूल्य के नोट छापे गये हैं और उनके पास से मिले जाली नोटों का मूल्य कितना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। बम्बई शहर की पुलिस के खुफिया विभाग ने जाली नोट छापने और चलाने वाले एक तथाकथित गिरोह का पता लगाया है।

(ख) अब तक 12 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

(ग) अभियुक्तों पर मुख्य रूप से दो रुपये के नोट छापने का आरोप है। अभी तक कुल मिलाकर 20,253 रुपये के मूल्य के दो-दो रुपये के 10,059, सौ रुपये का एक और पांच-पांच रुपये के 7 जाली नोट बरामद किये गये हैं।

(घ) जाली करेंसी और जाली बैंक नोटों सम्बन्धी अपराध भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आते हैं और इनके लिए पहले से ही निवारक दण्ड की व्यवस्था है।

राज्य की पुलिस भारतीय दण्ड विधान के उपबंधों के अनुसार और यदि जरूरी हुआ तो गृह मंत्रालय के केन्द्रीय जांच कार्यालय के परामर्श से अपराधियों को सजा देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करेगी।

मध्य प्रदेश की नदियों से सिंचाई

6759. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों से कुल कितनी बिजली राज्यवार पैदा की जाती है और उनसे अन्य राज्यों में कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है;

(ख) मध्य प्रदेश में इन नदियों का अपवाह-क्षेत्र (कैचमैंट एरिया) कितना है और यह राज्य प्रतिवर्ष प्रत्येक नदी से कितना पानी सप्लाई करता है; और

(ग) इसके बदले मध्य प्रदेश को यदि कोई फायदा होता है तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों पर स्थित बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से 1966-67 के अन्त तक सिंचित क्षेत्रों का राज्यवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

राज्य का नाम	सिंचित क्षेत्र (हजार एकड़ों में)
आन्ध्र प्रदेश	1111
बिहार	858
गुजरात	200
महाराष्ट्र	64
उड़ीसा	1285
राजस्थान	246
उत्तर प्रदेश	1015
कुल	4779 अर्थात् 47.8 लाख एकड़

मध्य प्रदेश में बड़ी नदियों के बेसिनों की वाहक्षेत्र तथा सहवर्ती राज्यों में उनसे प्रवाहित पानी की औसत मात्रा नीचे दी गई है :

नदी बेसिन	मध्य प्रदेश में वाहक्षेत्र (वर्गमील)
1. यमुना (चम्बल, सिंध, बेतवा और केन)	54,100
2. गंगा (टोंस व सोन)	23,400
3. नर्मदा (शेलर, हिरण, शेर, शक्कर, तावा)	33,100
4. महानदी (सीयोत्रथ, पैरी, जोक, हसद्यो)	29,800
5. गोदावरी (वेनगंगा, इन्द्रावती, सावरी)	25,000
6. अन्य बेसिन (तापी, माही, आदि)	5,800
कुल	1,71,200

सीमाओं पर प्रवाहित होने वाले पानी की सही मात्रा का पता नहीं है क्योंकि इसे मापा नहीं गया है ।

मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों पर बनाये गये बिजली केन्द्रों की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता नीचे दी गई है :

मध्य प्रदेश/राजस्थान	चम्बल नदी पर राणाप्रताप सागर और गान्धी सागर पर 158 मैगावाट
उत्तर प्रदेश	बेतवा नदी पर मातातिला पर 30 मैगावाट
	रिहन्द नदी पर रिहन्द पर 300 मैगावाट
उड़ीसा	महानदी नदी पर हीराकुड पर 270 मैगावाट
कुल :	758 मैगावाट

मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों पर निर्मित बिजली परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को होने वाला लाभ :

(1) चम्बल परियोजना	इस परियोजना के अन्तर्गत निर्मित बिजली केन्द्र से उत्पन्न बिजली का 50% मध्य प्रदेश को मिलती है ।
(2) मातातिला	मातातिला पर साल दर साल उपलब्ध बिजली का एक तिहाई भाग मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से मिलेगा । इस बिजली के लिए लागत के अतिरिक्त 5% और देना पड़ेगा ।

(3) रिहन्द परियोजना — रिहन्द पर साल दर साल उपलब्ध होने वाली बिजली का 15% मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से मिलेगा। इस बिजली के के लिए लागत के अतिरिक्त 5% और देना पड़ेगा।

(4) महानदी — मध्य प्रदेश, उड़ीसा सरकार से हीराकुड परियोजना से 5000 किलोवाट बिजली लेगा।

Rural Housing Scheme in Mysore

6760. **Shri Ram Chandra Veerappa:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the amount allocated to Mysore State during 1966-67 and 1967-68 for rural housing scheme;

(b) the amount utilised by the State Government for this purpose during the above period; and

(c) the amount allocated for 1968-69?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). The amounts of Central assistance allocated to Mysore Government under the Village Housing Projects Scheme during 1966-67 and 1967-68 were Rs. 4.60 lakhs and Rs. 7.10 lakhs, respectively. These amounts were allocated on the basis of the actual expenditure reported by the State Government for the first 3 quarters and anticipated expenditure for the last quarter. Final figures of expenditure are still awaited.

(c) An outlay of Rs. 8 lakhs has been proposed for 1968-69.

Loan by Money-Lenders to Backward Classes of Mysore and Andhra Pradesh

6761. **Shri Ram Chandra Veerappa:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state the action taken by Government to save persons belonging to the backward classes in Mysore and Andhra Pradesh for falling into the clutches of such money lenders who snatch away their landed property by their money lending business.

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): The following legislation exists for controlling the undesirable activities of money-lenders:—

Andhra Pradesh.

1. The Andhra Pradesh (Andhra Region) Scheduled Areas Money-lenders Regulation, 1960 (now extended to Telangana area also).
2. The Andhra Pradesh (Andhra Areas Scheduled Tribes) Debt Relief Regulation, 1960 (now extended to Telangana area also).
3. The Agency Debt Bondage Abolition Regulation, 1946.
4. The Madras Agricultural Debt Relief (Partially Excluded Areas) Amendment Regulation, 1944.

Mysore.

1. The Mysore Money-Lenders Act, 1961.
2. The Mysore Pawn Brokers Act, 1961.
3. The Bombay Money-Lenders Act, 1946.
4. The Coorg Money-Lenders Act, 1939.
5. The Madras Pawn Brokers Act, 1943.
6. The Hyderabad Money-Lenders Act, 1938.
7. The Mysore Agriculturist Relief Act, 1928.
8. The Mysore Debt Conciliation Act, 1937.

कृष्णा-गोदावरी जल विवाद

6762. **श्री दामानी :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने कृष्णा-गोदावरी जल विवाद के बारे में केन्द्रीय सरकार के साथ आगे बातचीत न करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले को महा-अधिवक्ता को सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपी खबरें सरकार के ध्यान में आई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मिस्टर थोमस गैस्ट को 'पी' फार्म मंजूरी दिया जाना

6763. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री एस्थोस : **श्री अब्राहम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक विशेषज्ञ, श्री थोमस गैस्ट को, जिसकी कार्यवाहियों पर 'ब्लिट्स' के गणतन्त्र दिवस संस्करण में प्रकाश डाला गया था, पी फार्म मंजूरी दी गई; और

(ख) उसे किन परिस्थितियों में पी फार्म मंजूरी दी गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). श्री थामस गैस्ट को 'पी' फार्म सम्बन्धी मंजूरी नहीं दी गयी थी । इस सम्बन्ध में यह बताया जा सकता है कि उन विदेशियों पर 'पी' फार्म सम्बन्धी नियम लागू नहीं होता जो भारत में थोड़े अरसे के लिए आते हैं और जिनके पास टिकट की रकम की पूर्व-अदायगी के अधिपत्र (प्री-पेड टिकट एडवाइस) होते हैं या जिनके पास वापसी टिकट होते हैं ।

मद्रास के स्वर्णकारों को प्रमाण-पत्रों का दिया जाना

6764. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री रमानी : **श्री नायनार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में बड़ी संख्या में स्वर्णकारों ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र लेने के लिये आवेदन-पत्र दिये थे परन्तु प्राधिकारियों ने उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं दिये ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1967 में ऐसे कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये थे तथा किस आधार पर ; और

(ग) क्या उन्हें प्रमाण-पत्र देने के लिये अस्वीकृत आवेदन-पत्रों पर पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सितम्बर 1963 से, जब कि भारत रक्षा नियम 1962 के अधीन नियम 126—एच० एच० लागू किया गया था, 1967 के अन्त तक मद्रास राज्य में 28,065 सुनारों ने उक्त नियम के अन्तर्गत स्वयं सुनारों के रूप में कार्य करने के 'प्रमाण-पत्र' जारी करने के लिए आवेदन किये इनमें से केवल 2063 सुनारों को 'प्रमाण-पत्र' देने से इन्कार किया गया ।

(ख) वर्ष 1967 में इन प्रमाण-पत्रों के लिए 69 आवेदन-पत्र नामंजूर किये गये । उनके नामंजूर किये जाने का कारण यह है कि नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट अवधि के अन्दर, जो 31-5-1967 को समाप्त हो गयी थी, ऋणों की अदायगी नहीं की गई थी ।

(ग) पर्याप्त कारण बताए जाने पर असमर्थ और योग्य सुनारों के लिए निर्दिष्ट अवधि को बढ़ा देने की भी व्यवस्था है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के निवारक अधिकारी

6765. **श्री कुचेलर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के निवारक अधिकारी स्वप्रेरणा से तस्करी के मामलों का पता नहीं लगाते, अपितु पुलिस द्वारा ऐसे मामलों का पता लगाये जाने के बाद ही वे उनकी जांच-पड़ताल करते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1967-68 में केरल, मैसूर और आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के निवारक अधिकारियों द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया और आवश्यक शुल्क वसूल किया गया और पुलिस ने कितने मामलों का पता लगाकर वे मामले केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग को दिये ;

(ग) क्या यह सच है कि निवारक अधिकारियों को इन सब मामलों के लिये पुरस्कार दिये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों के लिये कितने पुरस्कार दिये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हालांकि, पुलिस अधिकारियों द्वारा खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा पश्चिमी समुद्र-तट पर तस्कर व्यापार के कई मामलों का पता लगाया गया है, तथापि स्वयं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने जिन मामलों का पता लगाया है उनकी संख्या काफी बड़ी है। जहां पुलिस अधिकारियों को सीमाशुल्क सम्बन्धी समुचित अधिकार नहीं दिये गये हैं। वहां जांच-पड़ताल अनिवार्य रूप से सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा की जानी होती है।

(ख) 1 जनवरी, 1967 से 15 मार्च, 1968 तक की अवधि से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गयी है :

	सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामले	पुलिस अधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामले
केरल	4,49,094 रुपये मूल्य की वस्तुओं के 538 मामले	1,446 रुपये मूल्य की वस्तुओं के 6 मामले
आन्ध्र प्रदेश	10,85,344 रुपये मूल्य की वस्तुओं के 356 मामले।	कुछ नहीं।
मैसूर	25,85,853 रुपये मूल्य की वस्तुओं के 219 मामले	36,023 रुपये मूल्य की वस्तुओं के 7 मामले

मैसूर राज्य में सन् 1967 में पुलिस और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने सम्मिलित रूप से 23,591 रुपये मूल्य की वस्तुओं के 13 मामलों का पता लगाया था।

(ग) और (घ). अधिकारियों को पुरस्कार का दिया जाना किसी मामले में प्रत्येक अधिकारी द्वारा अदा किये गये पार्ट पर निर्भर करता है। पुरस्कार प्रत्येक मामले में नेमी तौर पर मंजूर नहीं किये जाते। केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही जिनमें शारीरिक जोखिम होती है अथवा जिनमें असाधारण साहस अथवा पहल दिखाई जाती है, पुरस्कार मंजूर किये जाते हैं।

1 जनवरी, 1967 से 15 मार्च, 1968 के बीच, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामलों में से केवल नौ मामलों में केरल के ऐसे अधिकारियों को 828 रुपये पुरस्कार के रूप में दिये गये हैं, और आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में अब तक ऐसे कोई पुरस्कार नहीं दिये गये हैं। इन तीनों राज्यों में इसी अवधि में पुलिस द्वारा पता लगाये गये तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग को सौंपे गये मामलों में किसी भी सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है।

तमिलनाडु में सुनारों को प्रमाण-पत्र

6766. **श्री एस्थोस :** **श्री रमानी :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री नम्बियार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में सुनारों ने, उस ऋण की राशि को वापिस देने के पश्चात् जो उन्होंने सरकार से ली थी, जेवरात बनाने का अपना काम करने की अनुमति दिये जाने के प्रमाण-पत्र लेने के लिये आवेदन-पत्र दिये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास अब तक कितने ऐसे आवेदन-पत्र आ चुके हैं; और उनमें से कितने आवेदन-पत्रों को स्वीकार कर लिया गया है तथा प्रमाण-पत्र दे दिये गये हैं;

(ग) क्या ऐसे अनेक आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने तथा इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1966 के जारी होने के बाद केवल 72 सुनारों ने, जिन्होंने लिया गया ऋण वापस कर दिया था, सुनारों के रूप में कार्य करने के प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन किया । इन आवेदन-पत्रों में से तीन सुनारों को प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ।

(ग) और (घ). 'प्रमाण-पत्रों' के लिए किए गए शेष 69 आवेदन-पत्र केंद्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा भारत रक्षा नियम 1962 के भाग XII-ए में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर ऋण की अदायगी न किये जाने के कारण नामंजूर किये गये । नियमों में निर्दिष्ट अवधि, जो 31-5-1967 को समाप्त हो गयी थी, असमर्थ और योग्य सुनारों के मामलों में पर्याप्त कारण बताये जाने पर, समुचित रूप से बढ़ाई जा सकती थी ।

मिस्टर थोमस गेस्ट द्वारा लाई गई विदेशी मुद्रा

6767. **श्री प० गोपालन :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री नम्बियार : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 1968 'ब्लिट्ज' गणतन्त्र दिवस अंक में प्रकाशित हुआ है एक कथित उर्वरक विशेषज्ञ मिस्टर थोमस गेस्ट द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा लाई गई; और

(ख) यदि हां, तो श्री थोमस गेस्ट भारत से कुल कितनी विदेशी मुद्रा ले गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). थोड़े अर्से के लिए भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने साथ विदेशी मुद्रा ला सकते हैं और देश के अन्दर होने वाली इस प्रकार की प्राप्तियों पर कोई पाबंदी

नहीं है। उन्हें खर्च न की गयी बाकी रकम वापस ले जाने की भी इजाजत है। विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में लायी जाने वाली या देश से बाहर ले जायी जाने वाली कुल रकमों का कोई लिखित रेकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह बताना संभव न होगा कि श्री गेस्ट कितनी विदेशी मुद्रा यहां लाये या अपने साथ बाहर ले गये।

कुडीलाल जी सकसरिया की ओर आयकर की बकाया राशि

6768. **श्री प० गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री नम्बियार :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री कुडीलाल जी सकसरिया, बम्बई की ओर वर्ष 1950-51 से 1962-63 तक 125.31 लाख रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार बकाया राशि को बट्टे खाते डालने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31-3-1967 को 125.33 लाख रुपये की रकम वसूल होनी बकाया थी।

(ख) वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा सभी सम्पत्तियां अभिग्रहणाधीन कर दी गयी हैं।

(ग) बट्टे खाते डाले जाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई के मैसर्स बलराम तुलाराम द्वारा देय आयकर की बकाया राशि

6769. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री अब्राहम :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के मैसर्स बलराम तुलाराम, हिन्दू अविभक्त परिवार से वर्ष 1956-57 से 1962-63 तक के लिये केन्द्रीय आयकर की 165.55 लाख रुपये की राशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बकाया राशि को वसूल करने लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च, 1967 को 165.55 लाख रुपये की रकम वसूल होने को बकाया थी।

(ख) कर-निर्धारिती को यह छूट दे दी गई थी कि वह बकाया रकमों की अदायगी किस्तों में कर सकता है। कर-निर्धारिती ने किस्तों की अदायगी में चूक की। इसलिये, कर-वसूली अधिकारियों को, भू-राजस्व बकाया के रूप में उसकी वसूली के आदेश जारी कर दिये गये थे। कर-वसूली अधिकारियों को चल तथा अचल सम्पत्तियों और अन्य परिसम्पत्तियों की विस्तृत सूचियां भी दी गई थीं ताकि वे सार्वजनिक नीलामी द्वारा उन्हें बेचकर शीघ्रता से कर की वसूली कर सकें। धारा 226 (3) के अधीन उन रकमों का अभिग्रहण करने के लिये नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं, जो कि कर-निर्धारिती को उसके देनदारों द्वारा दी जानी हैं। कर की अदायगी न किये जाने के लिये दण्ड लगाये गये हैं।

मैसर्स प्रकाश कौटन मिल्स लिमिटेड बम्बई द्वारा देय आयकर की बकाया राशि

6770. **श्री गणेश घोष** :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अब्राहम :
श्री उमानाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के मेसर्स प्रकाश कौटन मिल्स लिमिटेड से वर्ष 1957-58, 1958-59, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 और 1964-65 के लिये आयकर की 161 लाख 61 हजार रुपये की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उस राशि को बट्टे खाते में डालने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि उल्लिखित वर्षों के लिये 31 मार्च, 1967 को 161.61 लाख रुपये की रकम बकाया थी, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है।

(ख) वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। कर-निर्धारणों में जो वृद्धियां दी गई हैं उन्हें अपीलीय सहायक आयुक्त तथा आयकर न्यायधिकरण के पास सुनवाई के लिये पड़ी विभिन्न अपीलों में चुनौती दी गई है। मांगों के विवादास्पद होने पर भी निर्धारिती की सभी ज्ञात परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी की ओर आयकर की बकाया राशि

6771. **श्री भगवान दास :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1959-60 के लिये निर्धारित की गई 113.39 लाख रुपये की आयकर की बकाया राशि अभी तक मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड की ओर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बकाया राशि को बट्टे खाते डालने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अब यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि 31 मार्च, 1967 को 1959-60 से 1962-63 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर की 113.39 लाख रुपये की रकम वसूली के लिये बाकी थी।

(ख) जब तक अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपील का निपटारा नहीं कर दिया जाता, तब तक के लिए आयकर अधिकारी ने मांग के एक अंश को स्थगित कर दिया है। बकाया रकम की वसूली के लिए कानून में दिये गये कदम उठाये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रेस वर्कर्स यूनियन, कोयम्बटूर के संयुक्त मंत्री को मुअत्तिल किया जाना

6772. **श्री रमानी :** **श्री उमानाथ :**
श्री नायनार : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रेस वर्कर्स यूनियन, कोयम्बटूर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, के संयुक्त मंत्री को प्रेस के मैनेजर ने मुअत्तल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसे मुअत्तली की अवधि के लिये निर्वाह भत्ता दिया गया है;

(घ) क्या उसकी मुअत्तली के बारे में अधिकारियों द्वारा कोई जाँच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गवर्नमेंट आफ इन्डिया प्रेस वर्कर्स यूनियन के संयुक्त सचिव श्री वाहव को निलंबित किया गया था क्योंकि उन पर अनुशासनहीनता के कार्य करने और प्रेस के अन्य कर्मचारियों को इसी प्रकार के कार्य करने के लिए उकसाने के आरोप थे।

(ग) उन्हें 24 नवम्बर, 1967 को निलंबित किया गया था तथा 31, जनवरी 1968 तक की निलंबनाधीन अवधि के लिए निर्वाह भत्ता दे दिया गया था। फरवरी और मार्च का भत्ता बगैर भुगतान के रह गया क्योंकि वे यह निर्धारित प्रमाण पत्र नहीं दे सके कि वे किसी अन्य रोजगार, व्यापार, पेशे अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

(घ) और (ङ) संयुक्त सचिव द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर मुख्य नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन-सामग्री ने विचार किया तथा उन्होंने यह पाया कि अनवरत निलंबन आवश्यक नहीं है। तदनुसार उसके विरुद्ध आदेश की गयी जांच पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे बहाल करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

फरीदाबाद में भूमि का आवंटन

6773. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरीदाबाद में सेक्टर 15 में भूमि के प्लाटों के आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तिथि क्या थी;

(ख) कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे और आवंटन किस तिथि को किया गया था;

(ग) कितने व्यक्तियों को अलाटमेंट की गई थी और उनमें से कितने लोगों ने प्लाट लेने से इंकार किया;

(घ) कितनी राशि बयाने में प्राप्त हुई;

(ङ) ऐसे प्रार्थियों की जिन्हें प्लाट नहीं मिले तथा जिन्होंने प्लाट लेने से इंकार कर दिया था तथा बयाने की राशि वापिस मांगी है, संख्या कितनी है; और

(च) क्या उन व्यक्तियों को इस बीच बयाने की राशि लौटा दी गयी है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 30 अप्रैल, 1967।

(ख) 11,605 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे। आवण्टन 27 और 28 सितम्बर, 1967 को किये गये।

(ग) अलाटमेण्ट 3708 व्यक्तियों को की गई थी। 919 व्यक्तियों ने प्लाट लेने से इनकार किया।

(घ) लगभग 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

(ङ) प्लाट न मिल सकने वाले तथा प्लाट लेने से इनकार करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 8,816 थी।

(च) 4500 व्यक्तियों को 58 लाख रुपये 29 फरवरी, 1968 तक लौटा दिये गये हैं। बयाने की रकम उन व्यक्तियों को नहीं लौटायी गई है जो यह चाहते हैं कि भविष्य में होने वाले अलाटमेण्ट में उनके आवेदनों पर विचार किया जाये। कतिपय औपचारिकताओं के पूरा होते ही शेष व्यक्तियों को भी बयाने की रकम लौटा दी जायेगी।

Pay of Drivers of Government Hospitals in Delhi

6774. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memoranda from some Members of Parliament and Secretaries of Union with regard to the revision of pay scales of drivers of Safdarjang and Willingdon Hospitals, New Delhi ; and

(b) if so, the action taken in that regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Representation was received previously from the Central Government Staff Car Driver's Association that the drivers in Willingdon Hospital, New Delhi, who are engaged in plying heavy vehicles be given higher scales of pay. The Association has now represented that the Ambulance Drivers should be given higher pay scale prescribed for staff car drivers employed in Ministries/Departments of the Government of India.

(b) The matter is under examination.

श्री राम नाथ बाजोरिया द्वारा देय केंद्रीय करों की बकाया राशि

6775. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री उमानाथ : **श्री नायनार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री राम नाथ बाजोरिया पर 1944 से 1961 की अवधि के केंद्रीय करों की 117. 68 लाख रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) कर की बकाया राशि वसूल करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च, 1967 को 117.68 लाख रुपये की रकम वसूल होनी बाकी थी।

(ख) सभी कानूनी उपाय किये गये हैं, जिनमें कर वसूली अधिकारी द्वारा दण्ड लगाना तथा चल और अचल परिसम्पत्ति का अभिग्रहण भी शामिल है।

(ग) कर-निर्धारिती आदतन कर अदा नहीं करता था। वह 17 अक्तूबर 1959 को मर गया। कर की अदायगी से बचने के लिये उसने अपने जीवन-काल में अपनी अधिकांश परिसम्पत्तियों को अपनी पत्नियों, पुत्रों तथा पुत्रियों के नाम अन्तरित कर दिया था। अन्तरित परिसम्पत्तियों का विधिवत् अभिग्रहण किया गया था, किन्तु जिन लोगों को वे परिसम्पत्तियां अन्तरित की गयी थीं उनके द्वारा मुकद्दमे दायर कर दिये जाने तथा अदालतों द्वारा व्यादेश जारी कर दिये जाने के कारण वसूली के काम में सफालता नहीं मिली।

मई 1956 में, सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कर-निर्धारिती के घर पर छापा मारा था तथा 3.25 लाख रुपये के मूल्य के जवाहरात, घड़ियों तथा हीरे आदि पकड़े थे। कर वसूली अधिकारी द्वारा इनका भी अभिग्रहण किया गया था, किन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा व्यादेश जारी कर दिये जाने के कारण, जो अभी तक रद्द नहीं किया गया है, कोई वसूली सम्भव नहीं हो सकी है।

इस प्रकार वसूली में विलम्ब का कारण कर-निर्धारिती द्वारा टालमटोल के हथकण्डों का अपनाया जाना तथा कर-निर्धारिती के कानूनी वारिसों द्वारा अदालती कार्यवाही कर देना है।

कथित बम बनाने में अन्तर्ग्रस्त कलकत्ता के नवयुवकों को विदेशी मुद्रा

6776. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता (कालीघाट) के दो नवयुवकों को, जिनका बम बनाते समय अंग भंग हो गया था, विदेश में इलाज तथा शल्यक्रिया के खर्च के लिये विदेशी मुद्रा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के एक अधिकारी द्वारा दस्तावेजों में हेरफेर किया जाना

6777. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और उड़ीसा सर्किल में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग में कितने मामलों में उप-अधीक्षक (प्रशासन) के पद के लिये नियुक्ति-पत्रों में हेरफेर किये जाने तथा जाली दस्तावेज पेश किये जाने के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) इन मामलों का ब्योरा क्या है;

(ग) नियुक्ति पत्र किस-किस तारीख को भेजे गये थे;

(घ) ये आरोप-पत्र किस-किस तारीख को जारी किये गये थे ; और

(ङ) क्या अन्तर्ग्रस्त उपाधीक्षकों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है और यदि हां, तो कितनी बार और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक ।

(ख) एक उप-अधीक्षक (उत्पादन शुल्क) पर उसके नाम जारी किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उप-अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के आफर में अनधिकृत परिवर्तन करने का और सेवा विषयक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त दस्तावेज को अवैधरूप से परिवर्तित रूप में पेश करने का आरोप था । जांच अधिकारी ने इस आरोप को प्रमाणित करार दे दिया । अनुशासनिक अधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो गये और सम्बन्धित उप-अधीक्षक को यह दण्ड दिया गया कि अधीक्षक श्रेणी II के पद पर उसकी पदोन्नति दो वर्षों की अवधि के लिये रोक दी गई । किन्तु अपील में सम्बन्धित अधिकारी को संदेह का लाभ देकर दण्ड लगाने के उस आदेश को रद्द कर दिया गया ।

(ग) 11 सितम्बर, 1946

(घ) 6 जून, 1966

(ङ) जी हां । वह तीन अलग-अलग मुद्दों को लेकर, तीन बार कलकत्ता उच्च न्यायालय में जा चुका है । पहली बार मई 1959 में विभाग के उस आदेश के विरुद्ध उसने ऐसा किया जिसके द्वारा दण्ड-स्वरूप उसे उसके पद से पांच वर्ष की कार्य-अवधि के लिए निरीक्षक (साधारण ग्रेड) के ओहदे पर पदावनत कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने 1960 में तकनीकी आधार पर वह आदेश रद्द कर दिया । न्यायालय ने निदेश दिया कि इस मामले में 'विभागीय कार्य-वाहियां' नये सिरे से शुरू की जा सकती हैं । ऐसा किया गया और जब 1962 में विभाग ने सम्बन्धित उप-अधीक्षक को इस आशय का 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया कि उसे एक वर्ष की अवधि के लिये निरीक्षक के पद पर पदावनत करने का दण्ड क्यों न दिया जाय, तो उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी, जो खारिज कर दी गई ।

यह अधिकारी तीसरी बार 1966 में न्यायालय की शरण गया जबकि उप-अधीक्षक का ग्रेड समाप्त कर दिये जाने के कारण उसे वरिष्ठ ग्रेड निरीक्षक के पद पर पदावनत करने का विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था । न्यायालय ने एक अन्तरिम व्यादेश दे दिया जिसके द्वारा ता० 6-2-67 से तीन सप्ताह की अवधि के लिए उक्त आदेश को कार्यान्वित करने से विभाग को रोक दिया गया था और उक्त अधिकारी को अन्तरिम व्यादेश की अवधि बढ़वाने के लिये आवेदन करने की आजादी भी दी गई थी । उसने अन्तरिम व्यादेश की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन किया जिसका विभाग ने विरोध किया है । मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

मनीपुर में लोक-टक परियोजना

6778. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4352 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में मनीपुर में लोक-टक बहुप्रयोजनीय परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये योजना में कोई धन नियत नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). लोक-तक बहुधन्धी परियोजना की बिजली भाग सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट मणिपुर सरकार से प्राप्त हो चुकी है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इसकी जांच कर रहा है। जब तक स्कीम को मंजूरी नहीं मिल जाती, योजना व्यय में 1968-69 के वर्ष के लिए इस परियोजना के निमित्त 2.62 लाख रुपये का प्रबन्ध कर दिया गया है।

नामरूप उर्वरक कारखाने तथा नूनमती तेल शोधक कारखाने के अधिकारी

6779. **श्री धीरेश्वर कलिता** :

श्री हेम बरुआ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नामरूप उर्वरक कारखाने तथा नूनमती तेल शोधक कारखाने में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी आसामी हैं;

(ग) क्या स्थानीय कर्मचारियों को अधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने की सरकार की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि आसाम के लोग इस मांग के लिये आंदोलन कर रहे हैं कि नामरूप उर्वरक कारखाने में वर्तमान प्रबन्धक के सेवानिवृत्त होने पर एक आसामी व्यक्ति को उसका प्रबन्धक नियुक्त किया जाये ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : नूनमती शोधनशाला के बारे में सूचना निम्न प्रकार है :

(क) 103

(ख) 37

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नूनमती शोधनशाला के संदर्भ में लागू नहीं है।

नामरूप उर्वरक कारखाने से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अशोक होटल, नई दिल्ली

6780. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल में स्थायी ग्राहकों को 20 जनवरी, 1968 से लेकर 13 फरवरी, 1968 तक स्थान आरक्षित करने से इंकार कर दिया गया था यद्यपि वहां पर कम लोग ठहरे हुए थे;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन शुरू होने से कुछ समय पहले बहुत से अनुभवी कर्मचारियों का एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में तबादला कर दिया गया था;

(ग) क्या इस तबादले से ग्राहकों से बिल लेने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 20 जनवरी से लेकर 31 मार्च, 1968 तक अंकटाड-II के प्रतिनिधियों (डेलीगेट्स) के लिए अशोक होटल में खंड आरक्षण (ब्लाक रिजर्वेशन) 30 दिसम्बर, 1967 को कर दिया गया था । कुछ अंकटाड प्रतिनिधियों के न आने अथवा देर से आने के कारण अशोक होटल में 20 जनवरी से लेकर 13 फरवरी, 1968 तक अपेक्षाकृत कम लोग ठहरे । अंकटाड के पूर्व आरक्षण के कारण होटल के कुछ नियमित ग्राहकों को स्थान अस्वीकार कर देना पड़ा ।

(ख) जी हां, अंकटाड के दौरान सभी विभागों को समुचित रूप से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वित्त मंत्री का भूटान का दौरा

6781. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान की अपनी चार-दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने भूटान की सरकार के प्रतिनिधि के साथ उन योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया था जिनके अन्तर्गत भूटान के विकास के लिये भारतीय सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस बातचीत को दृष्टि में रखते हुए 1968-69 में भूटान के विकास के लिये सरकार क्या सहायता देगी और यह सहायता किन-किन परियोजनाओं के लिये दी जायेगी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). भारत की सहायता से 1960-61 में भूटान में जो योजनाएं आरंभ की गई थीं उनकी प्रगति पर इस यात्रा के दौरान विचार-विमर्श किया गया। भूटान को दी जाने वाली भारतीय सहायता में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं था। इस सहायता के लिये 1968-69 के बजट में 381.5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना में शामिल विशिष्ट परियोजनाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई लेकिन इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि विकास की गति में तीव्रता लाने की दृष्टि से जो भी समायोजन फिर से किये जाने जरूरी हों वे किये जायं और स्थानीय साधनों पर अधिकाधिक निर्भर रहा जाय। विचार-विमर्श के दौरान यह भी सुझाव आया था कि भूटानी कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य में और गति लाई जाय जिससे कि वे विकास योजनाओं के निष्पादन का काम यथासंभव शीघ्र अपने हाथ में ले सकें।

ईरान तथा कुवैत से गंधक तथा फास्फोरिक एसिड का आयात

6782. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री दामानी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारत में उर्वरक कारखाने के लिये गंधक तथा फास्फोरिक एसिड की सप्लाई के लिये ईरान तथा कुवैत से दीर्घकालीन करार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब निर्णय किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). ईरान/कुवैत से गंधक/फास्फोरिक एसिड के प्राप्त करने की संभाव्यता पर अध्ययन किया जा रहा है और इस मामले में निर्णय किये जाने में कुछ समय लगेगा।

आयकर निर्धारण की अवधि को कम करना

6783. **श्री अ० दीपा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में आयकर निर्धारण की अवधि को चार वर्ष से घटा कर दो वर्ष कर दिया गया है;

(ख) क्या इस काम के लिये आय कर विभाग में कुछ नये पद भी बनाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो श्रेणीवार कितने पद बनाये गये हैं उन पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वित्त विधेयक 1968 के खण्ड 12 में आयकर अधिनियम 1961 में ऐसे संशोधन की व्यवस्था है कि कर-निर्धारण वर्ष

1969-70 और बाद के वर्षों के सम्बन्ध में मूल कार्यवाहियों में आयकर निर्धारण पूरा करने की चार वर्ष की समय-सीमा को घटाकर सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की जा सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चलचित्र कलाकारों द्वारा कर अपवंचन

6784. **बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में चलचित्र उद्योग से संबंधित निम्नलिखित व्यक्ति आय-कर तथा अन्य करों की अदायगी टालते आ रहे हैं :

(1) श्री सुन्दर लाल नाहाटा

(2) श्री अजीत बोस

(3) श्री सी० बी० मंसाटा

(4) श्री एस० एल० जालान, फिल्म वितरक

(5) श्री वी० नागी रेड्डी

(6) श्री ए० एल० श्रीनिवासन

(7) श्री सी० वी० देसाई

(8) श्री रोशन लाल मलहोत्रा

(9) श्री पी० के० दास, कलकत्ता

(10) श्री आर० डी० बौसल, कलकत्ता।

(ख) उनके विरुद्ध क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है और क्या इनमें से किसी पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). प्रश्न में उल्लिखित मामलों में से किसी भी मामले में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है। अन्य सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना इकट्ठी करके सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सिक्किम की विकास योजनाओं के लिये सहायता

6785. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम की हाल की यात्रा के दौरान उन्होंने सिक्किम सरकार से आगामी वर्ष की सिक्किम की विकास योजनाओं के लिये भारतीय सहायता के प्रश्न पर बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किन परियोजनाओं पर बातचीत हुई थी और प्रत्येक के लिये कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). भारत की सहायता से 1956 में सिक्किम में जो योजनायें आरम्भ की गई थीं उनकी प्रगति पर इस यात्रा के दौरान विचार-विमर्श किया गया। सिक्किम को दी जाने वाली भारतीय सहायता में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं था। इस सहायता के लिये 1968-69 के बजट में 206 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। योजना में शामिल विशिष्ट परियोजनाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस बात पर सहमति प्रकट की गयी कि विकास की गति में तीव्रता लाने की दृष्टि से जो भी समायोजन फिर से किये जाने जरूरी हों वे किये जायें और स्थानीय साधनों पर अधिकाधिक निर्भर रहा जाये।

भारतीय बीमा कंपनी संघ की वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्षीय भाषण

6786. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1968 को कलकत्ता में हुई भारतीय बीमा कंपनियों की एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य बैठक में दिये गये अध्यक्षीय भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें सामान्य बीमा पर सामाजिक नियंत्रण के लिये की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही में संशोधन करने के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है ताकि संक्रमण काल में बीमा एककों को अनुभव होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों को रोका जा सके।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उस एसोसिएशन द्वारा उपरोक्त बैठक में क्या सुझाव दिये गये थे; और

(ग) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) अभिभाषण में दिये गये मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं :

(i) शोधक्षमता की सीमा और सांविधिक जमाओं की सीमा कम करना;

(ii) बीमा नियंत्रक की कार्यवाही के विरुद्ध अपील की व्यवस्था;

(iii) बीमा कम्पनियों के निरीक्षण और उनके दस्तावेजों को पकड़ने के सम्बन्ध में बीमा नियंत्रक को जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें सीमित करना।

(ग) सरकार ने सुझावों को विचारार्थ नोट कर लिया है।

गुजरात की मिलों और उद्योगों की फैडरेशन, बड़ौदा से वित्त मंत्री को ज्ञापन

6787. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मिलों और उद्योगों की फैडरेशन, बड़ौदा ने उनको एक ज्ञापन

पेश किया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि गैर-विकास और गैर-योजना व्यय को कम किया जाये, जिसकी उनके मतानुसार पर्याप्त गुंजाइश थी और उत्पादन शुल्कों में कुछ राहत दी जाय ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). फैडरेशन आफ गुजरात मिल्स ऐण्ड इंडस्ट्रीज, बड़ौदा की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस ज्ञापन में, आयकर, निगम-कर और सम्पत्ति-कर में राहत देने और कुछ खास-खास वस्तुओं के उत्पादन-शुल्कों में कमी करने का अनुरोध किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि बजट सम्बन्धी घाटे को कम करने के लिये गैर-विकास और गैर-आयोजना व्यय में कमी करने की काफी गुंजाइश है ।

(ग) कराधान के प्रस्ताव सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जाते हैं, जैसे अर्थ-व्यवस्था की स्थिति, निर्यात वृद्धि का महत्व और विकास की गति को बनाये रखने के लिये साधनों की आवश्यकता और देश की रक्षा। जहां तक गैर-आयोजना और गैर-विकास व्यय का सम्बन्ध है, सरकार का निरन्तर यह प्रयत्न रहता है कि इस व्यय को राष्ट्रीय सुरक्षा, ऋण-परिशोधन के दायित्वों और पूरी हो चुकी योजनाओं के रखरखाव आदि सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए, कम से कम रखा जाय।

Pending Pension Cases

6788. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of pension cases of Central Government Employees which have been lying pending for the last three years or more ;

(b) the reasons for the delay in the disposal of these cases ;

(c) the categories of employees to which they relate ; and

(d) the action proposed to be taken by Government for the speedy disposal of these cases ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

मनीपुर के लिये बिजली की सप्लाई

6789. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर में प्रयोग के लिये आसाम राज्य से बिजली (इलेक्ट्रिक पावर) खरीदने की योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) मनीपुर को प्रति-वर्ष बिजली की कुल कितनी आवश्यकता होती है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत बदरपुर, आसाम से इम्फाल, मणिपुर, तक प्रारम्भ में 2 मैगावाट तथा 1975-76 तक बढ़ाकर 8 मैगवाट थोक बिजली प्राप्त करने के लिये 132 के० वी० पारेषण पथ का निर्माण होना है ।

(ग) असम राज्य बिजली बोर्ड और असम सरकार के बीच थोक बिजली सप्लाई के बारे में करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इस बीच, पारेषण पथों के लिये कण्डक्टरों और भूमिगत तारों, सर्किट ब्रेकरों आदि को खरीदने के लिये आदेश दे दिये गये है ।

(घ) मणिपुर में बिजली की प्रत्याशित मांग नीचे दी गई हैं :

	मैगावाट
1968-69	4.00
1970-71	6.00
1973-74	9.00

पर्यटन विभाग के पर्यटक वितरण अनुभाग का स्थानान्तरण

6790. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग, नई दिल्ली का पर्यटक वितरण अनुभाग फरीदाबाद ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थानान्तरण के कारण कम वेतन वाले कर्मचारियों को भारी वित्तीय हानि होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थानान्तरण को रोकने अथवा उनके वेतन सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जो कर्मचारी फरीदाबाद भेजे गये हैं उनके वेतन में कोई कमी नहीं होगी वे मंहगाई भत्ता उसी दर पर लेंगे जैसा कि दिल्ली में है । तथापि, फरीदाबाद को स्थानान्तरित होने पर वे निम्नांकित प्रतिकर भत्ता लेंगे :

(i) स्थानान्तरित होने की तारीख से पहले वर्ष के लिये ।	दिल्ली में देय दरों पर
(ii) अगले छः महीनों में	उपर्युक्त (i) में उल्लिखित दरों का 75 प्रतिशत ।

(iii) अगले छः महीनों में	उपर्युक्त (i) में उल्लिखित दरों का 50 प्रतिशत
(iv) अगले छः महीनों में	उपर्युक्त (i) में उल्लिखित दरों का 25 प्रतिशत
(v) इसके बाद	कुछ नहीं ।

फरीदाबाद में सामान्य सहायता प्राप्त किराये पर जितने कर्मचारियों को संभव होगा सरकारी निवास स्थान आवंटित करने का प्रस्ताव है । जिन कर्मचारियों को सरकारी वास का आवंटन नहीं हुआ है वे निम्न प्रकार मकान किराया भत्ता लेने के अधिकारी होंगे :

वेतन प्रति माह	भत्ते की दर
500 रुपये से कम	वेतन का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत, कम से कम 7.50 रुपये हो ।
500 रुपये तथा इससे अधिक,	वह राशि जिससे कि वेतन 536 रुपये से कम पड़े

राजधानी में जमाव को कम करने के लिये दिल्ली से कार्यालयों को हटाने की सरकारी सामान्य नीति के अनुसरण में वितरण अनुभाग को स्थानान्तरित करना आवश्यक हो गया । इसे टाला नहीं जा सकता था ।

Jaisalmer Airport

6791. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the hanger at Jaisalmer Airport has been pulled down by the Pakistani spies;

(b) whether it is also a fact that a number of persons have died and Government have suffered loss of lakhs of rupees as a result thereof; and

(c) if so, the action taken to protect the Indians lives and property?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No.

(b) The collapse of the shuttering at Jaisalmer airport was accidental. It is not a case of sabotage. As a result of this accident, four carpenters engaged by the contractor died. No loss has been suffered by Government.

(c) Does not arise.

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

6792. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का, जो चालू वर्ष में समाप्त हो जाना था, और विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस कार्यक्रम को कितने समय के लिये और बढ़ाने का विचार है ;

(घ) कार्यक्रम आरम्भ किये जाने से अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ङ) इस कार्यक्रम को कितने समय तक बढ़ाने का विचार है, उस अवधि में इस पर अनुमानतः कितना धन खर्च होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अब 1975-76 तक चलते रहने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने का मुख्य कारण संनिरीक्षा कार्यों की अपर्याप्तता, सामान की कमी और स्थान-स्थान पर वेक्टर प्रतिरोधिता का बढ़ जाना है।

(घ) और (ङ). इस कार्यक्रम का अनुमानित व्यय इस प्रकार है :

(i) 1967-68 तक	...	लगभग 151 करोड़ रुपये
(ii) 1968-69		लगभग 16 करोड़ रुपये
(iii) 1969-70 से 1975-76 तक	...	लगभग 76 करोड़ रुपये +

आयकर की बकाया राशि

6793. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को (1) मैसर्स ईगल रोलिंग मिल्स लिमिटेड (2) टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड (3) टाटा फिनले लिमिटेड और (4) टाटा कैमिकल्स लिमिटेड की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) इन समवायों से आयकर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इन समवायों को किस वर्ष के आयकर का निर्धारण नहीं किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी से बकाया आयकर

6794. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुतुब रोड दिल्ली की नेशनल इलेक्ट्रिक कम्पनी के विरुद्ध आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

यह अनुमान अन्वीक्षात्मक है।

(ख) उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह फर्म गत चार वर्षों से आयकर तथा अन्य करों के भुगतान से बचती रही है ;

(घ) यदि उक्त अवधि में वर्षवार आयकर तथा अन्य करों को राशि का भुगतान किया गया है तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) उक्त अवधि में कितना मुनाफा दिखाया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वसूली के लिये बकाया रकमें इस प्रकार हैं :

मांग का स्वरूप	**कर-निर्धारण वर्ष**	**रकम**
नियमित कर-निर्धारण पर मांग	1964-65	279 रुपये
..... यथोपरि	1966-67	213 रुपये
अग्रिम कर	1967-68	1010 रुपये

(ख) वसूली के लिये बकाया रकमें थोड़ी ही हैं। उपर्युक्त मांगों की अदायगी के लिये कर-निर्धारिती को 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिया गया है।

(ग) यह एक रजिस्टर्ड फर्म का मामला है और निर्धारित-कर नियमित रूप से अदा किये जा रहे हैं। आय छिपाने की कोई बात नहीं पायी गई है, केवल 10,000 रुपये की नकद जमा की एक ऐसी इन्दराज पाई गयी है जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है, और जो कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 की कुल आय में जोड़ ली गई थी। अपील में यह रकम अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा छोड़ दी गई। अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त का फैसला विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और न्यायाधिकरण में अपील दायर कर दी गई है।

(घ) **कर-निर्धारण वर्ष**	**अदा किया गया आयकर**
1963-64	2,406 रुपये
1964-65	4,310 रुपये
1965-66	6,004 रुपये
1966-67	9,000 रुपये
1967-68	5,000 रुपये

फर्म द्वारा कोई अन्य प्रत्यक्ष-कर देय नहीं पाया गया है।

(ङ) **कर-निर्धारण वर्ष**	**दिखाया गया लाभ**
1963-64	48,850 रुपये
1964-65	76,164 रुपये
1965-66	90,283 रुपये
1966-67	1,07,266 रुपये
1967-68	47,222 रुपये

महाराष्ट्र में वर्णा नदी पर बांध बनाने का विरोध

6795. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयना नगर में तथा आस पास के क्षेत्र में हाल में आये भूकम्प के बाद सांगली जिले (महाराष्ट्र) के लोगों ने खुजगांव के निकट वर्णा नदी पर बांध बनाये जाने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं । भूकम्प के कारण नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रिजर्व मुद्रा के रूप में स्वर्ण की स्थानापन्न वस्तु

6796. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल बैंक आफ इंग्लैण्ड के गवर्नर ने विश्व को चेतावनी दी है कि रिजर्व मुद्रा के रूप में स्वर्ण की स्थानापन्न वस्तु ढूंढ निकालने में असफलता का परिणाम होगा विश्व संकट ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बताया जाता है कि बैंक आफ इंग्लैंड के गवर्नर ने यह कहा है कि सोने की कीमत में वृद्धि किये जाने से, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के सोने और प्रारक्षित मुद्राओं पर पूर्णतया निर्भर रहने की मौजूदा स्थिति से प्रारक्षित परिसम्पत्ति के, निर्माण की दिशा में विकसित होने का काम कई वर्षों के लिये स्थगित हो जायगा और यह एक ऐसा संकट होगा जो मौजूदा प्रणाली के अस्त-व्यस्त हो जाने की स्थिति से ही कम गम्भीर होगा ।

(ख) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-साधनों के विस्तार के पक्ष में है और उसे आशा है कि विशेष निकासी अधिकारों की योजना (स्कीम फार स्पेशल ड्राइंग राइट्स) को, जिसका ब्योरा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया जा रहा है, स्वीकार कर लिया जायगा और बिना किसी अनुचित विलम्ब के अमल में लाया जायगा ।

भुवनेश्वर नगर का दर्जा बढ़ाना

6797. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उस नगर को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने की बार-बार मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों को ऋण

6798. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में किन-किन सरकारी उपक्रमों को ऋण दिये गये थे और जिन्होंने लाभ दिखाया है तथा अपने कर्मचारियों को लाभांश दिया है; और

(ख) सरकारी उपक्रमों को ऋण मंजूर करने की कसौटी क्या है जब लाभ के मामले में मूल परियोजना रिपोर्ट से बहुत अन्तर हो ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्रीमोरारजी देसाई) : (क) सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा 1967-68 के वार्षिक लेखे तैयार किये जा रहे हैं। ऐसे 38 सरकारी प्रतिष्ठानों में से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने 1962-63 से 1966-67 तक की पांच वर्षों की अवधि में ऋण दिये थे, निम्नलिखित प्रतिष्ठानों ने, मूल्यह्रास, ब्याज और करों के लिये व्यवस्था करने के बाद, इन पांचों वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया है :

(1) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
(2) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
(3) इण्डियन टेलीफोन इण्टस्ट्रीज लिमिटेड
(4) हिन्दुस्तान लिमिटेड
(5) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
(6) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड
(7) माझगांव डाक लिमिटेड
(8) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड
(9) नेशनल न्यूजप्रिंट ऐण्ड पेपर लिमिटेड
(10) एयर इण्डिया
(11) मुगल लाइन लिमिटेड
(12) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
(13) अशोक होटल्स लिमिटेड
(14) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
(15) नेशनल प्रोजैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
(16) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

जिन 22 सरकारी प्रतिष्ठानों ने इन पांच वर्षों में एक या एक से अधिक वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया है उनके नाम ये हैं :

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
(2) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (भूतपूर्व हिन्दुस्तान एयरक्राफ्टस लिमिटेड)
(3) हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड
(4) हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड
(5) फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर लिमिटेड)
(6) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
(7) मिनरल्स ऐण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड;
(8) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
(9) प्रागा टूल्स लिमिटेड
(10) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
(11) नेशनल कोल डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
(12) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
(13) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन लिमिटेड
(14) सेन्ट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
(15) जनपथ होटल्स लिमिटेड
(16) नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
(17) आयल एण्ड नेचूरल गैस कमीशन
(18) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड
(19) नेशनल सीड्स कारपोरेशन
(20) फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया
(21) नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
(22) फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

जहां तक लाभांश का सम्बन्ध है, सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत उन प्रतिष्ठानों की ओर है जिन्होंने सामान्य पूंजी पर लाभांश घोषित किया है । निम्नलिखित 6 प्रतिष्ठानों ने 1962-63 से 1966-67 की अवधि में सभी पांच वर्षों में लाभांश घोषित किया है :

(1) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
(2) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
(3) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
(4) एयर इण्डिया
(5) अशोक होटल्स लिमिटेड
(6) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रतिष्ठानों ने इन पांच वर्षों में से एक या एक से अधिक वर्ष के लिए लाभांश घोषित किया है :

(1) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
(2) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
(3) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
(4) हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड
(5) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड
(6) माझगांव डाक लिमिटेड
(7) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड
(8) नेशनल न्यूजप्रिंट ऐण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड
(9) मुगल लाइन लिमिटेड
(10) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
(11) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
(12) मिनरल्स ऐण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
(13) नेशनल प्रोजैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
(14) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
(15) प्रागा टूल्स कारपोरेशन
(16) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन
(17) सेंट्रल रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

सरकारी प्रतिष्ठानों की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये आमतौर से सामान्य शेयरों और ऋणों के रूप में बराबर-बराबर के अनुपात में पूंजी की मंजूरी दी जाती है। मूल प्रायोजना रिपोर्ट में बतायी गयी पूंजीगत लागत, लाभ आदि के अनुमानों में, जहां कहीं परिवर्तन की सम्भावना होती है, वहां इन संशोधित अनुमानों की जांच की जाती है और इस जांच के बाद ही अतिरिक्त धन का निर्धारण किया जाता है, चाहे यह रकम सामान्य शेयरों के रूप में दी जानी हो या ऋण के रूप में।

'ट्रूप डालर'

6799. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका ने अपने विदेशस्थ सैनिक अड्डों और मिशनों के लिये ट्रूप डालर मुद्रा चलाई है ताकि डालर की बचत की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की स्थिति सुधारने के लिये किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार कुछ देशों में स्थित अपने सैनिक कर्मचारियों को पावती-पत्रों (स्क्रिप) में अदायगी करती रही है जिन्हें सैनिक बैंकिग विभागों से सम्बद्ध देश की मुद्रा में बदला जा सकता है, लेकिन डालरों में नहीं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशों में स्थित राजनयिक मिशनों के लिए यह प्रक्रिया लागू नहीं होती ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुई अवधि के लिये हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्य के बारे में सरकार द्वारा प्रतिवेदन ।

(2) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुई अवधि के लिये हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-744/68]

सीमा शुक्ल अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 606 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 621 जो दिनांक 27 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-787/68]

(2) सीमा-शुक्ल अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 34वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 568 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 35वां संशोधन नियम, 1968 को जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 569 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 36वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 570 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 37वां संशोधन नियम 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 604 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 38वां संशोधन नियम 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 605 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) जी० एस० आर० 607 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 3 फरवरी, 1968 की जी०एस०आर० 211 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(सात) जी० एस० आर० 608 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 3 फरवरी, 1968 की जी० एस० आर० 216 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-788/68]

(3) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) दूसरा संशोधन नियम 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 603 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 609 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 12 जनवरी, 1968 की जी० एस० आर० 95 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-789/68]

नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-790/68]

भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम आदि

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं अखिल भारतीय योजनाएं अधिनियम 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1968 जो दिनाक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 528 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 मार्च 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 529 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासन सेवा (एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 530 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 531 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रशासन सेवा (एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 532 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 533 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-791/68]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

चालीसवां और तेंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग)—

(एक) गहन समुद्र मत्स्यग्रहण संगठन बम्बई ; और

(दो) अवतरण तथा घाट लगाने सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग)—मत्स्यक्षेत्र विकास—के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

बीमा (संशोधन) विधेयक
INSURANCE (AMENDMENT) BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमा कर्ताओं पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तारण का और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने वाले को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जैसाकि आपको पता ही है हमने इस सभा में यह कहा है कि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। कांग्रेस की बैठक में कुछ ऐसे वक्तव्य दिये गये हैं कि बीमा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। परन्तु अब हमें ऐसा लगता है कि इस मामले को समाप्त कर दिया गया है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये। और उन्हें वर्तमान स्थिति में ही रहने दिया जाना चाहिए। अब मैं आपसे और आपके माध्यम से वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को इस सभा के सामने न लाया जाये। सरकार को आज सभा में

घोषणा करनी चाहिये कि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है माननीय सदस्य द्वारा की गई आपत्ति उचित नहीं है । यदि माननीय सदस्य का विचार है कि सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नीतियों का पालन नहीं करती है तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ही हमें इस बारे में कुछ कह सकती है न कि माननीय सदस्य हमें कुछ कह सकते हैं । इस विधेयक को बैंकिंग और सामान्य बीमा दोनों के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तारण का और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में और संशोधन करने वाले तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में भी संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Sir, in an accident which took place in a fertiliser factory in Kotah about thirty persons have been Killed.....

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिखा जायेगा ।**

दुर्घटनायें तो प्रतिदिन होती हैं । परन्तु इस तरह से कोई मामला सभा में नहीं उठाया जा सकता है ।

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—contd.

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय की मांग संख्या 60 से 62, 121 और 122 पर चर्चा तथा मतदान होगा ।

जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे अपने कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या लिखकर 15 मिनट के अन्दर सभा-पटल पर भेज सकते हैं ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

वर्ष 1968-69 के लिये सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
60	सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय	29,57,000
61	बहु प्रयोजनी नदी योजनायें	1,18,05,000
62	सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,15,47,000
121	बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	14,86,46,000
122	सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	13,13,45,000

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): डा० राव जैसे प्रसिद्ध इन्जीनियर के कन्धों पर सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का उत्तरदायित्व है। अतः इस अवसर पर मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के ऐसे अनेक इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों को बधाई देता हूँ जिन्हें अकाल और सूखे के काम पर लगाया गया है। इस मंत्रालय के लिये जो धनराशि निर्धारित की गई है वह विदेशों से अनाज का आयात करने पर होने वाले व्यय का एक अंश है। मेरा सुझाव यह है कि इस मंत्रालय के लिये अधिक धनराशि नियत की जानी चाहिये ताकि वह अपने काम को ठीक प्रकार से कर सके।

दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी नदियों से लगभग 135 करोड़ एकड़ फुट पानी समुद्र में बेकार चला जाता है और यदि इस पानी का उपयोग किया जा सकता तो हमारे खेतों में इससे सिंचाई की जा सकती है। इसलिये इस कीमती पानी की सुरक्षा करना तथा भूमिगत पानी का इस्तेमाल करना नितान्त आवश्यक है।

गत 15 वर्षों में 500 बड़ी और मध्यम दर्जे की योजनायें आरम्भ की गई हैं। मैं यहां पर तालाबों की छोटी सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है। हमने देखा है कि सूखे के समय तालाब बेकार हो गये क्योंकि वर्षा न होने के कारण तटबन्ध क्षेत्र सूख गया। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि छोटी तालाब परियोजना के कोई शीघ्र परिणाम निकलने की आशा नहीं है। मैं तो यह समझता हूँ कि हम परिरक्षण परियोजनाओं से अकाल को खत्म कर सकते हैं चाहे इसके लिये अधिक समय लगे।

जब हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी विकास योजना जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं की कार्यान्विति राज्यों के आपसी झगड़ों के कारण रुक गई है अथवा जब हम देखते हैं कि

कृष्णागोदावरी बेसिन के लिये धन नियत करने का मामला राज्यों के बीच झगड़े का विषय बन गया है तो हमें बहुत आश्चर्य होता है । इस प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये तथा देश के समूचे विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिये । मैं तो यह समझता हूं कि इस समस्या को आपसी परामर्श से हल किया जा सकता है ।

मेरा निवेदन यह है कि जिन क्षेत्रों में काफी समय से अकाल पड़ रहा है उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । जहाँ तक मेरे जिला कालाहांडी का सम्बन्ध है यह जिला उड़ीसा में बहुतायत वाला दूसरा जिला है । मेरे दल के नेता श्री रंगा वहाँ गये थे तथा उन्होंने देखा है कि लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उनकी कठिनाइयों को दूर करने का एक मात्र तरीका यह है कि अपर इन्द्रावती परियोजना को शीघ्र आरम्भ किया जाये ताकि इस जिले में तीन लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सके । इस परियोजना के चालू होने से 600 मैगावाट बिजली भी पैदा होगी ।

जहाँ तक भूमिगत जल का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाड के सीमावर्ती क्षेत्रों में नलकूप बनाने होंगे तथा सिंचाई के लिये भूमि के नीचे से पानी निकालना होगा । गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी, जहां विश्व में सबसे अधिक जल के भण्डार पाये जाते हैं, नलकूप लगाने पड़ेंगे तथा अधिक से अधिक कुएं खोदने की ओर ध्यान देना होगा ।

जब पिछली बार अकाल पड़ा था तो लोगों में यह जागृति पैदा की गई थी कि पम्पों से भी सिंचाई हो सकती है । इसका व्यापक विस्तार किया जाना चाहिये ।

अब मैं उठाऊ सिंचाई पर आता हूँ । जहाँ तक उठाऊ सिंचाई का सम्बन्ध है, उड़ीसा की बारहमासी नदियों पर, अर्थात् ब्राह्मणी, वैतरणी, तेल तथा महानदी पर पम्प लगाये जाने चाहिये । इन नदियों के किनारों पर बिजली से चलने वाले पम्प लगाये जाने चाहिये ताकि कालाहांडी, बालासोर, सुन्दरगढ़ और ढेकानाल जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की जा सके । दिल्ली के आस-पास भी ऐसी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये । हरियाणा की भी यही स्थिति है ।

जहां तक तालाबों का सम्बन्ध है हमें प्रायः ऐसे समाचार मिलते हैं कि तालाबों के किनारों को गिराया जा रहा है । यह अच्छी बात नहीं है । तालाबों को अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिये । पानी के रिसने के कारण भूमिगत जल का स्तर ऊंचा हो जाता है । तालाबों को ठीक हालत में रखा जाना चाहिये ताकि भूमिगत जल के स्तर को एकसा रखा जा सके ।

पानी का एक स्थान पर खड़ा रहना एक भारी समस्या है । जल निकासी की समस्या का एक बहुत महत्व है । आन्ध्र, पंजाब और हरियाणा में यह समस्या बहुत जटिल है । पानी के अधिक मात्रा में खड़े रहने से खेती नहीं हो सकती तथा उस भूमि में लवणता बढ़ जाती है । अतः इस समस्या को हल करने के लिये अधिक से अधिक वरीयता दी जानी चाहिये ।

अब मैं बिजली के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चौथे बिजली सर्वेक्षण प्रतिवेदन में अनुमान लगाया गया है कि देश को 146·3 लाख किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। पनबिजली पैदा करने की लागत सबसे कम है और हमें देश की पनबिजली की क्षमता से बिजली पैदा करनी चाहिये। हमने देखा है कि हम अब तक केवल 10 प्रतिशत बिजली की क्षमता का उपयोग कर सके हैं। हमें अपनी बड़ी-बड़ी नदियों से बिजली पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें समुद्र की लहरों तथा गरम चश्मों से भी बिजली पैदा करना सीखना चाहिये।

अमरीका के देहाती क्षेत्रों के विद्युतीकरण के कारण वहां के लोग समृद्ध हो गये। इससे रोजगार बढ़ गये, सफाई की हालत सुधर गई और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई। अब अमरीका में 98 प्रतिशत फार्मों को बिजली मिली हुई है। अमरीका में देहाती विद्युतीकरण अधिनियम के अधीन ऋण का भुगतान 25 वर्षों में करने और ब्याज की कम दर की व्यवस्था की गई। वहां पर किसानों को बिजली दी जाती है और बहुत ही दूर स्थित फार्म को राज्य लागत पर बिजली दी जाती है। ऐसी बात इस देश में सोची भी नहीं जा सकती।

कम से कम प्रेषण लाइनों में राजसहायता दी जानी चाहिये। भारत का किसान प्रेषण लाइन का खर्चा नहीं अदा कर सकता। अखिल भारत ग्रिड की भी व्यवस्था की जानी चाहिये और यह देश भर में एकसी होनी चाहिये।

बाढ़ों से देश को बहुत हानि होती है। 1967 में कुल 75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पिछले वर्ष महानदी, बालासोर, मयूरभंज जिलों में बाढ़ से काफी क्षति हुई। इसलिये बाढ़ों से सुरक्षा के लिये तेल, महानदी, सुवर्णरेखा, बुद्धबलंग और बैतरणी नदियों पर बान्ध बांधे जाने चाहिये।राज्य सरकार इतना बड़ा काम नहीं कर सकती क्योंकि इसके साधन सीमित हैं और केन्द्रीय सहायता नितान्त आवश्यक है।

पर्याप्त भूसंरक्षण उपायों के अभाव के कारण बड़ी परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा है और उनका जीवन-काल कम किया जा रहा है। तलछाटन अध्ययन से पता चला है कि रेत जमने की दर अनुमान से बहुत ज्यादा है। वनरोपण और ऊंचे बांध बांधने जैसे भूमि कटाव विरोधी उपाय किये जाने चाहिये। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। दण्डकारण्य क्षेत्र में पूर्वी बंगाल के विस्थापित लोगों को पुनः बसाने के लिए साल वनों को काटा जा रहा है। इसे बन्द किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का काम संतोषजनक नहीं है। औपचारिक समझौता होने तक निगम को फरक्का बांध परियोजना में 14.5 करोड़ रुपये और 20 प्रतिशत ऊपरी खर्च का काम सौंपा गया था। लेकिन 25 लाख रुपये का भुगतान हो चुका है। करदाताओं का धन इस तरह बर्बाद नहीं किया जाना चाहिये।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसान परिवार का हूं इसलिए सिंचाई और विद्युत

का महत्व भली प्रकार जानता हूं। भारत में हमें यह नहीं समझना चाहिये कि इन चीजों की जरूरत शहरी क्षेत्र को होती है। इस सम्बन्ध में हमें देहाती भारत की बात भी सोचनी होगी जहां 80 प्रतिशत जनता रहती है। खाद्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले अधिक खाद्य उत्पादन की बात सोची जानी चाहिये।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : 5 बजे सांयकाल मंत्री महोदय उत्तर देंगे तथा 5.30 बजे सांयकाल खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। आज आधे घन्टे की चर्चा नहीं ली जायेगी।

अनुदानों की मांगे 1968-69—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—1968-69—Contd.

श्री चेंगलराया नायडू : कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी है। सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि हमारी सिंचाई की क्षमता केवल 25 प्रतिशत भूमि की है और शेष भूमि के लिये वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले 20 वर्षों से हम योजनायें बना रहे हैं लेकिन यह विचित्र बात है कि अभी तक हम केवल 25 प्रतिशत कृषि योग्य भमि में ही सिंचाई कर सकते हैं।

हमारे देश में गंगा का मैदान सबसे अधिक सम्पन्न क्षेत्र है। वहां पर बड़ी-बड़ी नदियां हैं और वहां की आबादी काफी है। फिर भी वहां पर अकाल पड़ते हैं। यदि रायल-सीमा जैसे स्थान पर, जहां वर्षा बहुत कम होती है, अकाल पड़े तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन यदि गंगा के मैदान में अकाल पड़ता है तो इसका अर्थ यह है कि योजना आयोग की योजनाओं में कोई त्रुटि है और केन्द्रीय सरकार ने अकाल रोकने और ऐसे सम्पन्न इलाकों में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 3 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री चेंगलराया नायडू : ब्यास परियोजना पर 1962 में काम शुरू किया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश हम अभी तक इस परियोजना को पूरा नहीं कर सके जबकि पाकिस्तान ने मंगला बांध का निर्माण 1962 में आरम्भ करके अब पूरा कर लिया है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार इसे 1972 तक पूरा किया जा सकेगा। मंत्री महोदय बतायें कि इस धीमी प्रगति के लिये कौन जिम्मेदार है ?

योजना आयोग को ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये जिनसे शीघ्र लाभ हो। हमें पहली बात यह करनी चाहिये कि वर्षा न होने पर भी सिंचाई का काम होता रहे। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिये हमें विदेशी विशेषज्ञ की सलाह पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। हमें एक अच्छी योजना बनानी चाहिये और खाद्य में आत्म-निर्भरता को प्राथमिकता देनी चाहिये।

हम अनाज के आयात पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम सिंचाई पर इतना रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा आयोजन कैसा है और हमारे योजना आयोग का प्रबन्ध किस तरह के लोगों के हाथ में है। यह उचित समय है कि हम इससे छुटकारा पायें और परियोजनाओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करें जो धनराशि नियत करे और इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करे।

आन्ध्र में सिंचाई की काफी गुंजाइश है। वहां पर परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर उनके पानी का तत्काल उपयोग किया जा सकेगा और इससे शीघ्र ही लाभ हो सकेगा। पोचमपाद परियोजना दस वर्ष पहले शुरू की गई थी लेकिन इसे पूरा करने के लिए बहुत कम धनराशि दी जा रही है। यह एक साधारण परियोजना है जिसके द्वारा पानी का रुख बदला जा सकता है और लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। इतना काम भी पिछले 10 वर्षों में नहीं किया जा सका।

नैल्लोर जिले में पनार नामक नदी में वर्षा होने पर काफी पानी होता है और यह पानी समुद्र में बह जाता है। वहां पर एक छोटा सा जलाशय बनाया जाना चाहिये जिसमें पानी जमा किया जा सके और उसे सिंचाई के लिये इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा करके नैल्लोर जिले को अकाल से बचाया जा सकता है।

नागार्जुनसागर परियोजना दस वर्ष पहले शुरू की गयी थी और अब तक केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए 130 करोड़ रुपये ऋण दिया है। लेकिन सरकार चाहती है कि ब्याज का भुगतान हर साल किया जाये हालांकि हमने परियोजना को पूरा नहीं किया है। यह उचित नहीं है। यदि हमें अधिक धन दिया जाता तो हम इस परियोजना को पूरा कर सकते थे और अधिक अनाज पैदा कर सकते थे।

रायलसीमा में कोई बड़ी परियोजना नहीं है। तुंगभद्रा उच्च-स्तर नहर के लिये धनराशि दी जानी चाहिए ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके।

तुरुगुपेत्ता परियोजना की आधारशिला 1961 में रखी गई थी। सड़कों और इमारतों के निर्माण पर 5 लाख रुपये खर्च किये गये हैं लेकिन परियोजना पूरा करने के लिये कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है।

रायलसीमा क्षेत्र में जो हमेशा अकालग्रस्त रहता है कोई बिजली परियोजना नहीं है। पानी प्राप्त करने के लिए वहां पर बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है। इसलिए वहां पर सस्ती बिजली की व्यवस्था कर दी जाये तो पम्पों से पानी निकाल कर सिंचाई की जा सकती है और अकाल से छुटकारा पाया जा सकता है।

मंत्री महोदय को आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए धनराशि मंजूर करनी चाहिये ताकि बिजली से सिंचाई की जा सके। पारेषण लाइनें बिछाने के लिये भी धनराशि मंजूर की जानी चाहिये। राज्य सरकारें अपने सीमित साधनों से केवल छोटी लाइनें बना सकती हैं। इसलिए केन्द्र को पारेषण लाइनें बिछाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिये।

Dr. Surya Prakash Puri (Nawada): It is very strange that although we have 16,77,500 cubic feet of water resources which is equal to that of the U.S.A's, we are still short of food-grains whereas the U.S.A. is supplying foodgrains to other countries. It is due to the fact that we are not properly utilising our resources. Therefore, it is necessary that the experts of the Ministry should go to the field and see what are the needs of farmer and try to fulfil those needs.

The Programme Evaluation organisation of the Planning Commission have made some important suggestions. They have said that water should be made available to the farmer at proper time. They have also said that the farmers should be educated regarding to irrigation. The Ministry publishes a number of magazines which contain useful material for the farmers. The Minister should see that the magazines reach in the hands of farmers so that they can be benefited.

The organisation have also suggested that further research should be conducted in regard to the productive power of soil, water and seeds. But this is possible only when a co-ordination committee of the Ministries of Irrigation and Power and Food and Agriculture is fomed which should ensure proper implementation of the schemes.

If we want to improve the conditions of the rural areas, it is necessary that power should be supplied there. Consideration of profit should not come in, in this regard and even the small villages should be provided with power. There should be uniform progress in all the parts of the country in this regard. Also, the minimum of maximum rates of power should be fixed by the Central Government so that there is a uniformity in the different parts of the country.

The progress of the work on Gandak Project is very slow. It is suffering due to paucity of funds. Either the Centre should take it over or it should provide necessary funds to the State Governments for its implementation.

In a meeting of the Irrigation Minister and Officers of Bihar, the Dy. Minister in his capacity as a Member of Parliament had made a suggestion to give water to Gaya, Patna and Monghyr districts from Tilaiya Dam. It should be stated whether he has taken up the matter with the Government ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
60	7	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में वर्तमान सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिये उस राज्य को दस करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने और चौथी पंच वर्षीय योजना में कुछ नई परियोजनाओं को आरम्भ करने की अविलम्बनीय आवश्यकता।	100 रुपये
60	8	श्री प्र० के० देव	जिला कालाहांडी के सर्वदा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिये अपर इन्द्रावती परियोजना को आरम्भ करने की अविलम्बनीय आवश्यकता।	100 रुपये
60	9	श्री प्र० के० देव	समेकित आधार पर अखिल भारतीय बिजली ग्रिड की व्यवस्था करने की बांछनीयता।	100 रुपये
60	10	श्री प्र० के० देव	राजस्थान नहर के निर्माण में शीघ्रता लाने और विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र को सिंचाई योग्य बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
60	11	श्री प्र० के० देव	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के आयकर क्षेत्रों में जल निकासी एवं जल इकट्ठा हो जाने की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
60	12	श्री प्र० के० देव	विभिन्न परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों (कैचमैंट एरिया) में भू-परिरक्षण कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
60	13	श्री प्र० के० देव	तूफानी लहरों से बिजली पैदा करने के लिये अध्ययन करने और देश में जहां-जहां संभव हो ऐसे बिजली घरों का निर्माण करने की वांछनीयता ।	100 रुपये
60	14	श्री प्र० के० देव	देश के गर्म पानी के चश्मों का बिजली पैदा करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता	100 रुपये
60	15	श्री प्र० के० देव	देश में, विशेषकर उड़ीसा राज्य में, ग्रामीण विद्युती-करण कार्यक्रम की गति बढ़ाने की आवश्यकता ।	
60	16	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा के कालाहांडी, ढेंकानाल, बोलनगिर और सुन्दरगढ़ जैसे सर्वदा सूखा-ग्रस्त जिलों में सिंचाई के लिये उड़ीसा की ब्राह्मणी, महानदी और टेल नदियों के साथ-साथ बिजली से चलने वाले पानी के पम्पों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
60	17	श्री प्र० के० देव	कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली प्रशुल्क में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
60	18	श्री प्र० के० देव	पम्पों द्वारा पानी निकालने के लिए किसानों की भूमि तक राज सहायता देकर बिजली की लाइनें लगाने की वांछनीयता ।	100 रुपये
60	19	श्री प्र० के० देव	बाढ़ रोकने के लिये बन्ध बनाने और उड़ीसा में, विशेषकर कालाहांडी, बोलंगीर, बालासोर, मयूरभंज तथा कटक जिलों में, नदियों के किनारों पर, जहां कहीं भी किनारे टूट गये हों, मरम्मत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
60	20	श्री प्र० के० देव	नर्मदा घाटी विकास तथा कृष्णा और गोदावरी के जल संसाधनों के वितरण सम्बन्धी अन्तर्राज्य विवादों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की वांछनीयता ।	100 रुपये
60	21	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में बालीमेला परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
60	22	श्री प्र० के० देव	फरक्का बांध परियोजना के बारे में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का कार्यचालन ।	100 रुपये
60	23	श्री प्र० के० देव	देश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत 13 लाख सिंचाई क्षमता के तुरन्त उपयोग की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
60	24	श्री प्र० के० देव	पूर्वी क्षेत्र में सभी बड़े बिजलीघरों को आपस में मिलाने के लिए इस क्षेत्र में 400 किलोवाट लाइनों के विस्तार की वांछनीयता ।	100 रुपये
60	29	श्री पी० पी० एस्थोस	गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली के उत्पादन में प्रगति ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
60	30	श्री पी० पी० एस्थोस	बिजली के उत्पादन में वृद्धि के लिये समन्वित नीति का अभाव ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
60	31	श्री पी० पी० एस्थोस	चौथी योजना के प्रारूप में सिंचाई के विकास के लिये अपर्याप्त व्यवस्था ।	100 रुपये
60	32	श्री पी० पी० एस्थोस	नर्मदा जल विवाद को सम्बंधित राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण ढंग से न निपटाना ।	100 रुपये
60	33	श्री पी० पी० एस्थोस	महाराष्ट्र मैसूर तथा आंध्र प्रदेश के बीच जल विवाद शान्ति पूर्ण ढंग से हल न करना ।	100 रुपये
60	34	श्री पी० पी० एस्थोस	ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजली के कनेक्शन न देना ।	100 रुपये
60	35	श्री पी० पी० एस्थोस	देश के विभिन्न भागों में बाढ़ नियन्त्रण की राष्ट्रीय योजना न लागू करना ।	100 रुपये
60	36	श्री पी० पी० एस्थोस	सिंचाई विभाग का अधिकारी बोझिल प्रशासन ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
60	37	श्री पी० पी० एस्थोस	भाखड़ा बांध में मिट्टी जमा होना रोकने के लिए कार्य-वाही न करना ।	100 रुपये
60	38	श्री पी० पी० एस्थोस	जनसंख्या की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई क्षमता में वृद्धि न करना ।	100 रुपये
60	39	श्री पी० पी० एस्थोस	दिल्ली में बिजली की सप्लाई में बार-बार बाधा पड़ने से जनता को होने वाली असुविधा ।	100 रुपये
60	40	श्री पी० पी० एस्थोस	देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की सप्लाई में असमानता ।	100 रुपये
60	41	श्री पी० पी० एस्थोस	सिंचाई विभाग में भ्रष्टा-चार रोकने में असफलता ।	100 रुपये
60	42	श्री पी० पी० एस्थोस	गरीब किसानों को सिंचाई हेतु रियायती दरों पर पानी देने के लिये उचित उपाय न करना ।	100 रुपये
61	43	श्री पी० पी० एस्थोस	देश में फालतू जल के प्रयोग के लिये किसी नीति का न होना ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाये
61	44	श्री पी० पी० एस्थोस	बिजली के उत्पादन के मामले में पूर्ण ज्ञान का अभाव एवं उसका विकास न होना ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाये
62	45	श्री पी० पी० एस्थोस	ग्रामीणों को बिजली सस्ती दर पर न देना ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
62	46	श्री पी० पी० एस्थोस	मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर बल न देना ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाये.
60	47	श्री पी० पी० एस्थोस	केरल राज्य में कोचीन में एक तापीय प्लांट के लिए राशि देने में असफलता ।	100 रुपये
61	48	श्री पी० पी० एस्थोस	देश के जल-स्रोतों को बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं के लिए उचित प्रकार उपयोग करने में असफलता ।	100 रुपये
61	49	श्री पी० पी० एस्थोस	बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब ।	100 रुपये
61	50	श्री पी० पी० एस्थोस	विभिन्न परियोजनाओं के दोषपूर्ण निर्माण में ठेकेदारों का कार्य ।	100 रुपये
61	51	श्री पी० पी० एस्थोस	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं में काम कर रहे मजदूरों को दिये जाने वाली कम मजूरी ।	100 रुपये
61	52	श्री पी० पी० एस्थोस	बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं के निर्माण-कार्य में विदेशी सहयोग पर अत्यधिक निर्भरता ।	100 रुपये
61	53	श्री पी० पी० एस्थोस	राजस्थान नहर का निर्माण कार्य पूरा करने में असफलता जिसके कारण राजस्थान में अनाज की गम्भीर कमी उत्पन्न होना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
62	54	श्री पी० पी० एस्थोस	कुट्टानाद, केरल में सिंचाई के लिये स्थायी बांध बनाने के लिये ऋण तथा राज-सहायता दिये जाने में असफलता ।	100 रुपये
62	55	श्री पी० पी० एस्थोस	केरल राज्य में समुद्र से भूमि का कटाव रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करने में असफलता ।	100 रुपये
62	56	श्री पी० पी० एस्थोस	करनाल जिले में तथा देश के अन्य स्थानों में ग्रामीण जनता को बिजली के कनेक्शन देने में घूस खोरी के गम्भीर मामले ।	100 रुपये
62	57	श्री पी० पी० एस्थोस	करनाल जिले में समय पर जल-द्वार खोलने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप हजारों एकड़ भूमि में फसलों को हानि पहुंची है ।	100 रुपये
62	58	श्री पी० पी० एस्थोस	सरकार को कोई राशि न देकर कुछ ग्रामीण कर्मचारियों द्वारा नहर के पानी का अपनी भूमि के लिये प्रयोग ।	100 रुपये
62	59	श्री पी० पी० एस्थोस	केरल में बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए राशि देने में असफलता ।	100 रुपये
121	60	श्री पी० पी० एस्थोस	केरल में माध्यमिक सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिये केरल सरकार को राशि देने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
121	61	श्री पी० पी० एस्थोस	नागार्जुन सागर परियोजना को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि देने में असफलता ।	100 रुपये
121	62	श्री पी० पी० एस्थोस	पश्चिमी बंगाल में फरक्का बांध का निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिए पर्याप्त राशि देने में असफलता ।	100 रुपये
121	63	श्री पी० पी० एस्थोस	पोंग बांध के निर्माण में विलम्ब ।	100 रुपये
121	64	श्री पी० पी० एस्थोस	कागजात की जांच करने में नौकरशाही रवैये के कारण विलम्ब के फलस्वरूप बांधों के निर्माण की अधिक लागत ।	100 रुपये
121	65	श्री पी० पी० एस्थोस	बहु प्रयोजनी परियोजनाओं पर कार्य कर रहे विदेशी इंजीनियरों को दिये जाने वाले भारी वेतन ।	100 रुपये
121	66	श्री पी० पी० एस्थोस	बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं में कार्य कर रहे श्रमिकों के रोजगार की असुरक्षा ।	100 रुपये
122	67	श्री पी० पी० एस्थोस	दिल्ली तापीय प्लांट का इसके चालू होने के एक सप्ताह के भीतर ही टूट जाना ।	100 रुपये
122	68	श्री पी० पी० एस्थोस	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कुप्रबन्ध ।	100 रुपये
122	69	श्री पी० पी० एस्थोस	टी० सी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री और उपकरण की बर्बादी ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
60	139	श्री इरेस्मो डी० सेक्वीरा	बड़ी मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं की सारी जिम्मेदारी एक ही मंत्रालय को सौंपने में असफलता ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाये
60	140	श्री इरेस्मो डी० सेक्वीरा	पम्पिंग सेटों/नलकूपों को बिजली देने के काम में शीघ्रता करने में असफलता ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाए
60	141	श्री इरेस्मो डी० सेक्वीरा	बिजली की अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिए एक मानक नीति निश्चित करने में असफलता ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाये
60	142	श्री इरेस्मो डी० सेक्वीरा	सदा की भांति अच्छे मानसूनों की अनिश्चितता के बावजूद भूपृष्ठ जल पर लगातार जोर दिया जाना ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाये
60	143	श्री इरेस्मो डी० सेक्वीरा	आंकड़े इकट्ठे करने और उन्हें प्रकाशित करने में काफी पीछे रहना ।	100 रुपये
60	144	श्री इरेस्मो डी० सेक्वीरा	केन्द्रीय विद्युत और जल आयोग के क्षेत्रीय दलों का जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण ।	100 रुपये
121	145	श्री इरेस्मो डी० सेक्वीरा	निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं की गति को धीमा करना ।	राशि घटा करके एक रुपया कर दिया जाये

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी): हम सिंचाई और बिजली मंत्रालय की मांगों की चर्चा कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि राजनीति के कारण सिंचाई और बिजली दोनों की क्षति हो रही है । मैं चाहता हूं कि वर्तमान मंत्री महोदय इस राजनीति से दूर रहें और मंत्रालय की मांगों को रखने में उचित दृष्टिकोण अपनायें ।

इस वर्ष अच्छी फसल होने के कारण मंत्रालय की मांगों में इतनी कमी कर दी गयी है कि कोई सिंचाई कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता। मन्दी के इस वर्ष में जबकि इंजीनियर जैसे तकनीकी कर्मचारियों की बेरोजगारी भी बढ़ गयी है हमने यदि मंत्रालय की मांगें कम कर दीं तो बेकारी और बढ़ जायेगी।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन यदि सरकार निगम को कुछ करोड़ रुपये और दे दे तो निगम इंजीनियरों को नौकरी दे सकता है ताकि इंजीनियरों की बेकारी कम हो सके। हम यह भूल रहे हैं कि हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश है जहां कृषि पूर्णरुपेण प्रकृति और सिंचाई पर निर्भर है। यदि हम सिंचाई की ओर ऐसे ही ध्यान दें तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इससे न तो सिंचाई ही बढ़ेगी और न कृषि उत्पादन ही। मोटे तौर पर देश को तीन भागों में बांटा जा सकता है, पहला वे राज्य जहां सिंचाई क्षमता का पूरा विकास कर लिया गया है, दूसरे जहां सिंचाई की क्षमता का स्तर अन्य राज्यों की तरह ही है और तीसरे जहां सिंचाई की क्षमता का विकास ही नहीं किया गया है और जहां सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम है। दुर्भाग्यवश मैं ऐसे राज्य का वासी हूं जहां सिंचाई की सुविधा सबसे कम है और अधिकतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है, किन्तु मंत्री महोदय तथाकथित सिद्धान्त के कारण हमारी सहायता नहीं कर सकते। वह सिद्धान्त यह है कि बड़ी परियोजनाएं शुरू न की जायें। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हमने बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये हैं और अब तक वे पूरे नहीं हुए हैं। अतः यह निर्णय कर लिया गया है कि अब बड़ी योजनाएं न बनाई जायें, इसका परिणाम यह हुआ है कि जिन राज्यों में बड़ी परियोजनाओं के लिए धन दिया गया है वहां सिंचाई का विकास हो चुका है और अब बड़ी परियोजनाओं पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से उन राज्यों की क्षति हुई है जहां सिंचाई का विकास नहीं हुआ था। सिंचाई मंत्रालय का दायित्व केवल उन्हीं राज्यों के लिए है, अतः सिंचाई और बिजली मंत्रालय के मंत्री महोदय को चाहिए कि वे प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श कर इस मांग की रकम को बढ़वायें ताकि कृषि और सिंचाई के प्रति न्याय हो सके।

बड़ी परियोजनाओं की बात करते हुए मुझे यह कहना है कि छोटी सिंचाई पर गलत जोर दिया जा रहा है। मैं छोटी सिंचाई का विरोधी नहीं हूं, इससे किसानों को सहायता मिलती है पर छोटी सिंचाई कोई सिंचाई नहीं है क्योंकि जब सूखा पड़ता है तो इससे कोई लाभ नहीं होता, ऐसी स्थिति में बड़ी सिंचाई से ही किसानों को लाभ होता है। अतः हमें बड़ी सिंचाई पर ही जोर देना चाहिये जो सूखे की भारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकती हैं और जिससे कृषि को भी लाभ हो सकता है।

जहां तक सिंचाई विवादों का सम्बन्ध है लोग सोचते हैं कि इन विवादों को हम ही पैदा करते हैं क्योंकि हम इन परियोजनाओं पर धन नहीं लगाना चाहते। ऐसी बचत की आशा, मैं समझता हूं न तो संसद करती है और न ही देश। अतः मंत्रालय को केवल धन की ही व्यवस्था नहीं करनी चाहिये अपितु

विवाद के कारण धन नामंजूर नहीं किया जाना चाहिये, इसी दृष्टि से महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात और मध्य प्रदेश में सिंचाई का न्यूनतम विकास हो सका है। आंध्र प्रदेश के विषय में मुझे यह कहना है कि उस राज्य ने कृष्णा नदी के मुहाने के भूमिगत जल का सिंचाई के लिए विकास नहीं किया। जहां तक जल-विवादों का सम्बन्ध है, उनका निपटारा राज्य के संकीर्ण हित से नहीं किया जाना चाहिये।

समय आ गया है कि हम केन्द्रीय और विद्युत आयोग के कामों की व्याख्या करें। विशेषज्ञों की यह संस्था तब बनायी गयी थी जब साल में एक परियोजना भी नहीं होती थी, अब हर साल हजारों परियोजनाएं बनायी जाती हैं। अतः हमें आयोग के काम को कम करने का उपाय ढूंढना होगा, तकनीकी योग्यता के बारे में हम उन राज्यों पर निर्भर रह सकते हैं जिन्होंने एक विशेष वित्तीय सीमा तक परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अपने यहां तकनीकी जानकारी का विकास कर लिया है। माल और जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए यह सीमा 25 करोड़ रुपये तक निश्चित की जा सकती है। इससे न केवल आयोग का बोझ कम होगा बल्कि सिंचाई परियोजनाओं का भी कार्यान्वियन शीघ्र हो सकेगा।

बिजली के बारे में मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। पहली यह कि तारापुर में परमाणु बिजलीघर शीघ्र ही चालू हो जायेगा। फिर भी अणु शक्ति के विकास में हम 12 वर्ष पीछे हैं। दूसरे राणा प्रताप सागर और मद्रास अणु शक्ति केन्द्रों के पूरा हो जाने के बाद भी देश के बहुत से क्षेत्रों में बिजली उत्पादन ताप-केन्द्रों द्वारा ही हो सकेगा जिसमें सबसे अधिक खर्च बैठता है।

मराठवाडा और विदर्भ जैसे प्रदेशों में ताप-शक्ति द्वारा बिजली बनाना सबसे अधिक अलाभकारी है। उनकी अपनी जल-बिजली क्षमता नहीं है। किन्तु ये प्रदेश अणु-शक्ति केन्द्रों से ही बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जहां पर जल बिजली क्षमता नहीं है और जहां ताप-केन्द्रों द्वारा बिजली बनाना अलाभकारी है वहां पर अणु-शक्ति केन्द्र खोले जाने चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : It appears from the report of the Ministry of Irrigation and Power that we have so far spent about Rs. 2,000 crores on water and power. It was claimed that we would be able to irrigate 66 lakh acres of land in the country but in fact we have succeeded only in irrigating 11 lakhs acres of land. This shows that the Ministry have completely failed and all the money spent has been wasted.

The Rajasthan Canal work is proceeding very slowly. As a result thereof the cost have gone up from Rs. 64 crores to Rs. 184 crores. Even after spending this amount we had been able to bring only 1¾ lakh acres under irrigation as against the target of 9 lakh acres. If proper attention is not paid, the canal would never be completed.

As regards Gandhi Sagar dam, Rana Pratap Sagar dam and Jawahar Sagar dam, the estimated cost had gone up considerably. During the past few years we have spent Rs. 20 crores more over them and yet these projects have not been completed. It shows the complacency and inefficiency of the Government.

So far as irrigation is concerned, the situation is equally gloomy. None of the targets of irrigation fixed for Kotah barrage, Gandhi Sagar dam and Rana Pratap Sagar dam have been achieved.

In Rajasthan, an amount of Rs. 12 crores have been spent on the control of floods. The Central Government have sanctioned Rs. 20 lakhs as grant and Rs. 40 lakhs as loan to the State Government. But it is regretted that no assistance has been given so far to the flood affected people of Rajasthan.

The floods in Looni, Banas and Ghaggar rivers have caused havoc in Kehtra tehsil, Bharatpur Sanchaur tehsil, Sawai Madhopur, Bali Khandhar, Tonk, Alwar and Jodhpur areas. Hundreds of people have become homeless; many cattle have been lost and there was a considerable loss of property. It would be better of the Government of India appoint an inquiry committee to look into flood situation of Bharatpur. But this work has been entrusted to the State Government who in turn have entrusted to the Chambal Board. The Board has recommended the construction of Goverdhan Nala for draining the water.

Government has totally neglected the problem of soil erosion. The flow of Chambal river is very fast and in 1957 there was so much of water that the ghats constructed by the durbar washed away. The Government and Chambal Board announced that it would give Rs. 5 lakhs for checking the soil erosion but this never materialised.

As regards the supply of power in the State the condition has further deteriorated. The rates have been raised from 19 paise per unit to 28 paise per unit. On the one hand the Government said that they wanted to develop the small scale industries, on the other hand they were increasing power rates. Both the things are incompatible.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : It has been rightly emphasised by Members that electricity had an important role to play in the agricultural, economic and industrial development of the country. The House is aware that we need a huge amount of money to implement our agricultural, irrigation and power schemes. In this connection, we must remember that power generation was the second biggest public undertaking in the country and it has an investment of Rs. 3,200 crores. Even then, we feel that there should be further development of this industry to meet the increasing demand of the country. Adequate arrangements have been made for transmission and distribution of power to the people in villages. Therefore, it is necessary that both generation as well as distribution should be taken up together.

We should make all out efforts to generate more electricity as it will add to our resources. It has been observed that in foreign countries they get more revenues from electricity than Railways whereas position in our country is on the reverse. It is nothing but a sign of backwardness of our economy. We have achieved the target of production of electricity fixed for the year 1967-68. But even if we increased the average per capita production of electricity from 90 K. W. to 180 K. W. by 1973-74, it would be still low as compared to other countries. At present our total generating capacity is 134 lakh K. W. It is double the capacity that we had in the year 1960-61. We want to achieve the target of 275 lakh K. W. by 1973-74. Therefore in case we achieve this target by the said period, we will still be in need of 40 lakh K. W. electricity. We have to take necessary steps to cover this gap of 40 lakh K. W.

The question of transmission and system of distribution is equally important. Unfortunately sufficient attention has not been paid towards this aspect. In the developed countries of the world 90 per cent of the expenditure incurred on the production of electricity is spent on distribution and transmission. But in our country only 30 per cent is spent. The amount of expenditure is to be increased on this account so that complaints of low voltage and failure of electricity are removed.

The question of making Central grants available for inter-state transmission lines and for distribution of Power has also to be considered on the same lines as central assistance is given for the construction of national highways.

It has been stated that the electricity produced at Thermal Power Station is costly whereas hydro electric power is cheaper and Atomic power is still cheaper. This question relates to economic and must be looked into.

Most of the power stations are built by State Governments or State Electricity Boards. But Central Government have also built some power stations at Delhi, Damodar Valley and Naveli. The House is aware that the expenditure incurred on the power stations set up by Atomic Energy Commission is borne by the Central Government. Now only thing required to be done is to make efforts to have complete co-ordination.

It has been pointed out that rural electrification is all the more necessary for agricultural purposes.

It would be incorrect to say that no efforts have been made in this respect. Before independence, there was electricity in only 0.4 per cent villages and this percentage has been increased to 10.10 per cent on 30-9-1967.

It has been suggested by some Hon'ble Members that we should reconsider the question of deposit by farmers. This is an important matter. We have to consider this matter seriously. At present there is great demand of electricity for irrigation purposes and we have to find out resources to meet this requirement. In accordance with the present law, the farmers can get loan only from the mortgage banks. It is therefore being considered as to whether the State Electricity Boards could get loans direct from the LIC or the Reserve Bank or some other agency so that the farmers may not be asked to pay. We have to find a way out.

We agree that the pace of rural electrification is not upto the mark. Government is contemplating measures to be taken to accelerate programme of rural electrification. We have made satisfactory progress in respect of giving electricity connection for tube-wells.

The flood control measures taken during the last 14-15 years have shown satisfactory results. Kosi Project is clear cut proof of our efforts in this direction.

I dare say that we are fully aware of the seriousness of the problem but it is a huge problem and if we think of tackling this problem simultaneously, a sum of Rs. 1,200 crores would be required for this purpose. Keeping in view the critical economic situation we are proceeding in this direction cautiously.

श्री मयाबन (चिदाम्बरम) : तमिलनाड में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। यह कहना ठीक नहीं कि वहां पर सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

वर्तमान केन्द्रीय सरकार तथा पहली सरकारों ने कुछ ऐसी ही धारणा बनायी हुई थी। इसके फलस्वरूप वहां पर सिंचाई की सुविधाओं पर कम ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इतने कम धन की व्यवस्था की है कि उससे कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। यदि सिंचाई की मध्यम दर्जे की तथा छोटी योजनाओं पर उपयुक्त ध्यान दिया जाये तो हम केरल की धान सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुये
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

हमने सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये चौथी योजना के दौरान 100 करोड़ रुपये का जोरदार कार्यक्रम बनाया है। इस वर्ष इस कार्यक्रम पर हमारा विचार 20 से 25 करोड़ रुपये तक खर्च करने का है। हमारे राज्य के सीमित साधन हैं और इसलिये हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह हमारे राज्य के लिये अधिक धन की व्यवस्था करे।

मद्रास राज्य में हजारों की संख्या में तालाब हैं। इन तालाबों में वर्षा का पानी रोका जाता है और उसका प्रयोग सिंचाई के लिये किया जाता है। पिछले 15 वर्षों में 3,500 तालाबों की मरम्मत की गई थी परन्तु अभी 10,000 तालाबों की मरम्मत बाकी है। हमने एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है और मुझे आशा है कि केन्द्र की सहायता से इस कार्य की प्रगति निर्बाध रूप से हो सकेगी।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पलार बेसिन की भूमि के नीचे बहुत कम गहराई पर पानी है। यदि इस पानी के उपयोग के लिये एक वृहद् योजना बनायी जाये तो मद्रास राज्य में चिंगलीपेट जिले में 1000 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस कार्य को तुरन्त आरम्भ कर दें।

बिजली के सम्बन्ध में एक धारणा बनी हुई है कि मद्रास राज्य को बिजली की खपत के मामले में मद्रास को विशेष सुविधाएं दी गयी हैं। यह ठीक है कि देहाती विद्युतीकरण और बिजली की खपत के बारे में मद्रास की स्थिति बहुत अच्छी है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा मद्रास राज्य को अधिक वरीयता दी जाती है। वास्तव में हमारे सामने अब उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बिजली की पर्याप्त सप्लाई करने और प्रगति की रफ्तार बनाये रखने की समस्या है। इसके लिये बिजली का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं तो औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादन की प्रगति धीमी पड़ जायेगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कलपक्कम विद्युत उत्पादन संयंत्र का काम शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करे। फिर ह्यजियोनक्कल पनबिजली परियोजना को अब 11 वर्ष हो गये हैं। अतः इस परियोजना का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। दक्षिण के राज्यों को मिलाने वाली बिजली लाइनों का ग्रिड बन चुका है। यदि किसी एक राज्य में बिजली फालतू होती है तो उसे कमी वाले राज्य को भेजा जा सकता है।

हमने नीवेली की दूसरी खान के बारे में विचार करने के बारे में अनुरोध किया है और यह विषय अभी मंत्री महोदय के विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करें।

गंगा और कावेरी को मिलाने के बारे में बहुत पहले सुझाव दिया गया था। परन्तु सरकार इस विषय की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे सभी सुझावों को स्वीकार करें।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने साहिबी योजना को स्वीकार कर लिया है। हरियाणा सलाहकार समिति की बैठक में यह स्वीकार किया गया है कि सिंचाई के मामले में हरियाणा के साथ भेदभाव किया गया है। इस कमी को यथा-शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों में बिजली सबसे कम है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भाखड़ा और नांगल की परियोजनाएं हरियाणा के लिये ही बनायी गयी थीं। परन्तु अब इसका सारा लाभ दिल्ली को हो रहा है। दिल्ली में जिस बिजली का आराम और ऐश के लिये उपयोग किया जाता है यदि उसका दसवां भाग भी हरियाणा में सिंचाई के लिये दिया जाये तो उत्पादन में दस गुना वृद्धि हो सकती है। जहां कहीं भी सिंचाई के लिये बिजली की व्यवस्था की गयी है, वहां सबसे अधिक उत्पादन हुआ है।

आगरा नहर गुड़गांव से आरम्भ होती है और उत्तर प्रदेश में पहुंचने से पहले 50 या 60 मील तक गुड़गांव जिले में बहती है परन्तु इस पर नियन्त्रण उत्तर प्रदेश सरकार का है। वर्षा की ऋतु में कुछ फालतू पानी आसपास की फसलों में डाल दिया जाता है जिससे वह अच्छी होने के स्थान पर खराब हो जाती हैं। आवश्यकता के समय पानी मांगने पर मना कर दिया जाता है। जहां तक यह नहर गुड़गांव के क्षेत्र में रहती वहां तक इस पर हरियाणा सरकार का नियंत्रण रहना चाहिये जिसमें ठीक प्रकार से पानी की सप्लाई की जा सके।

फिर गुड़गांव जिले के लोगों ने स्वय बांध बनाये हैं, भूमि-कटाव से जमीन की रक्षा की है और सिंचाई की व्यवस्था की है। जब इसका नियंत्रण जिला बोर्डों के अधीन था तो एक ही इंजीनियर उसका कार्यभारी था। वे जनता ने स्वयं बनाये थे और अच्छी हालत में थे। अब 89 बान्धों को एक ओवरसियर को सौंप दिया गया है। अब उन बान्धों की स्थिति खराब हो गयी है और उनकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की जाती है।

जहां तक महेन्द्रगढ़ जिले का सम्बन्ध है, सलाहकार समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि बिजली सप्लाई के मामले में महेन्द्रगढ़ जिले और रिवाड़ी को तरजीह दी जानी चाहिये। महेन्द्रगढ़ जिले तथा रिवाड़ी में नदी के पानी की कोई सिंचाई योजना नहीं बनायी जा सकती, अतः कम से कम नलकूप लगाने के लिये तो बिजली सप्लाई की जानी चाहिये। नलकूप के लिये बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में किसान से 2000-3000 रुपये मांग लिये जाते हैं। यह अनुचित बात है क्योंकि वह तो राष्ट्र सेवा के लिये बिजली चाहता है।

हरियाणा सलाहकार समिति प्रतिवेदन में चार या पांच सिंचाई योजनाओं का सुझाव दिया गया है। अतः उन्हें तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं सरकार का ध्यान निजाम सागर परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। 35 वर्षों तक निरन्तर वहां रेत जमा हो रहा है परन्तु उस रेत को हटाने, या उस जलाशय को फिर से बनाने या कोई और परियोजना बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि भेदक जिले में सिंगूर परियोजना को स्वीकार कर लिया जाये जहां पर हैदराबाद और सिकन्दराबाद को पीने के पानी के सप्लाई करने की एक योजना का प्रस्ताव पहले ही विचाराधीन है। यदि उस परियोजना की क्षमता थोड़ी सी बढ़ाई जाये तो इससे निजाम सागर परियोजना को भी बिजली सप्लाई हो सकेगी और रेत जमा होने की समस्या का समाधान भी हो जायेगा।

नहर को नये सिरे से बनाने अथवा परियोजना के पुनर्निमाण पर 3 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं होंगे। जब सरकार को इस परियोजना से 10 करोड़ रुपये की आय होती है तो 2 या 3 करोड़ रुपये खर्च करना ठीक ही होगा क्योंकि उससे जलाशय में पानी की सप्लाई में वृद्धि हो जायेगी। अतः सरकार को किसी न किसी रूप में इस कार्य के लिये धन की व्यवस्था करनी होगी।

हम बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बना रहे हैं, परन्तु हम रेत जमा होने की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को और विशेषकर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : हमारे देश में ऐसी कई नदियां है जो एक राज्य से निकल कर दूसरे राज्यों में से गुजरती हैं। इन नदियों के पानी के उपयोग के बारे में काफी विवाद है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह इन विवादों को सुलझाने के लिये कौन से उपाय अपनाने पर विचार कर रहे हैं ?

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The inadequate demands of this Ministry betray the fact that Government is not giving as much priority to irrigation and power as it should give. Any increase in the power supply in rural areas will not only augment the irrigation potential, but it will also help the small scale industries in a big way. It is deplorable that the Government's attitude towards villages is one of apathy and indolence and the reason being that Government is pursuing the policies of capitalists and hanging on the P. L. 480 assistance from U. S. A.

The Government should not be complacent because of the fact that we have had a bumper crop this time. It should not be oblivious to the fact that for agricultural production we primarily depend upon the vagaries of mansoons. Gandak Project should be taken up at the national level and sufficient funds given to the Bihar Government to complete this job. As a flood control measure the Baghmati Project should be implemented soon.

It is astonishing to note that the West Kosi Project was inaugurated thrice and yet its work has not progressed. No further delay in regard to this project is warranted. In the areas having perennial rivers floating pumps on the Japani pattern should be provided so that unused water may be made use of.

Shri Ganga Reddy (Adilabad) : Sir, India is primarily an agricultural country with only 39 crore acres of land under the plough while the total cultivable land is about 49 crore acres. Irrigation facilities could be provided in 19 crore acres of land while irrigation facilities have been provided only in 9 crore acres of land. Our population is increasing at an alarmingly high rate and to make provision for the new mouths we will have to provide irragation facilities in 20 lakh acres of land every year so as to produce 125 million tons of foodgrains annually.

Our plans are proving infructuous. We have not been able to acquire self-sufficiency in the matter of food because of the lack of water and power for agricultural purposes. Out of the total of 500 projects undertaken by the Government about 250 have been completed. Work on new projects should not be started unless those already in hand have been completed. Food problem can be solved if all these projects are completed. Interminable inter-state disputes have been continuing for a long time, but so far little thought seems to have been given to settle these disputes. Grave injustice has been done to Andhra in the matter of distribution of river waters. Political and regional considerations have gone to influence these decisions and Andhra Pradesh has been discriminated against.

Food problem is our national problem and as such all the river projects should be dealt as national projects. Since States do not have sufficient funds to finance these projects, the Central Government should provide funds for the implementation of all these national projects. Attention should also be given to the maintenance side of the project. In Andhra Pradesh there are 10 projects out of which work on seven projects is progressing. Finance should be arranged for the successful completion of these projects.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : In the modern times the importance of electricity cannot be overemphasised. It has much to do with our daily life and agriculture, based industries. Now when the entire technique has undergone tremendous change the obsolescent electricity policy should be suitably modified to suit the changing conditions. There should be a central board to manage the generating units of the capacity of 50,000 K. W.

Control of production of electricity is very difficult. It can only be possible when it is done by central agency.

The rates of electricity throughout the country should be uniform.

It is said that the supply of electricity to the villages is not a profitable business. But it is so throughout the world. It is necessary that the supply of electricity should be made at an over increasing scale so that the cost may come down and the villages may get more benefit. A master-plan for the whole country should be prepared for the supply of electricity to all the villages of India.

So far as the question of pumping sets are concerned, where the land is rocky, pumping sets should be set up on a large scale. Where it is sandy, more tube-wells should be constructed.

In our country two hundred crores cubic feet water can be utilised for irrigation purposes. It can irrigate 39 crore land in our country. We are not able to complete the projects started during first three plans.

The Central and the States Budgets are increasing every year. If ten per cent of the State and Central Budgets is earmarked for irrigation and ten percent for power, more than enough funds will be available for the execution of our irrigation and power projects. As a result of it the country will flourish.

Shri Manubhai Patel (Dabhoi): Irrigation and power are like two wheels of the chariot that would lead the country to prosperity. We should see that this chariot may not stop. Both of them are the main basis of our progress.

If we want to fulfil our irrigation need we have to start work on major projects. It is strange that the Government policy is going on different strategy. The more the Government spends on major projects the more it will solve the people's problem. In our country agriculture is mainly depend on nature. After every two or three years there is a famine. So inorder to solve this problem we have to give importance to these projects.

It is rather unfortunate that like language trouble,we have inter-state trouble about the use of river water.

All the river projects should be treated as national projects. The Narmada River valley Project is amongst the projects of importance. Unfortunately, it has been our weakness. Its dispute has not been settled due to politics. The Prime Minister once promised that the scheme to use the Narmada water for reclaming Kutch area will be soon taken up. It appears as if Government is not aware of its promises.

I will request the Hon. Minister to please fix a time limit by which the dispute about Narmada water should be solved, failing which it should be referred to the arbitration. This question has been greatly agitating the minds of the people of Gujarat. There is a great frustration there.

My suggestion is this that a national survey should be made as to which part of the country are suitable for hydel power, thermal power and atomic power development and power generation should be taken up accordingly in the respective areas.

The responsibility to bear the cost of inter-state and national grid system should be taken up by Central Government Works costing upto Rs. 25 lakh, instead of 15 lakh as at present, should be treated as minor irrigation works. The execution of these works should be passed on from the Ministry of Food to the Irrigation Ministry.

Like industries, agricultural should also be given tax-holiday by providing electricity free to the farmers upto a particular limit. Foreign exchange should be released for the purchase of turbines.

There is a shortage of power in Gujarat. Although there are 3000 wells but due to lack of connection they are not working.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

In future atomic power station should be constructed in Saurashtra because coal cannot be carried out there.

श्री एस्थोस (मुवात्तुपुजा) : किसी भी कम-विकसित देश के विकास के लिये सिंचाई तथा बिजली बहुत ही जरूरी है। सरकार ने 1951 से बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं पर 1519 करोड़ रुपये खर्च किये लेकिन अमरीका से अनाज के आयात पर 2400 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये गये। यदि अमरीका गेहूं पर खर्च की गई राशि सिंचाई योजनाओं पर खर्च की जाती तो शायद हमें बाहर से अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

सरकार ने पहली योजना से 500 बड़ी और मध्यम आकार की परियोजनाओं का काम अपने हाथ में लिया है लेकिन उनमें से अभी तक 250 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। कार्यक्रमों को पूरा करने में इस प्रकार की उपेक्षा हमें इतनी मंहगी पड़ी है कि हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात का भुगतान करने के लिये अपने विकास कार्यक्रम रोकने पड़े हैं। सरकार की उपेक्षा इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि पहली योजना के दौरान जो परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

केरल एक कमी वाला क्षेत्र है लेकिन यदि वेन्वानाद बांध जो दूसरी योजना से बन रहा है पूरा हो जाता तो वहां अधिक अनाज पैदा हो सकता है।

इस समय योजनाओं पर किये जाने वाले खर्च की अपेक्षा बाढ़ नियंत्रण और समुद्र कटाव रोकने की योजनाओं सम्बन्धी विज्ञापनों पर अधिक खर्च किया जाता है। बाढ़ों को रोकने के लिये सुव्यवस्थित उपाय की कमी के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाना में हर वर्ष करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है। केरल राज्य में समुद्र के कटाव की समस्या बड़ी गम्भीर समस्या बन गई है। हमने अभ्यावेदन दिये हैं कि सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र की ठीक ढंग से सुरक्षा की जाये लेकिन उनका अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

सरकार अन्तर्राज्य विवाद हल करने में भी असफल रही है। इसके परिणामस्वरूप देश में प्रादेशिक प्रवृत्तियों को उभरने में बल मिला है। यदि इन विवादों को शीघ्र हल नहीं किया गया तो इसके परिणाम देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत ही हानिकारक होंगे। यदि इस समस्या को हल करने का कार्य विशेषज्ञों पर सौंप दिया जायेगा तो समस्या कभी भी हल नहीं होगी।

भारत में बिजली पैदा करने की प्रगति धीमी रही है। सरकार देश में प्रौद्योगिकी और जानकारी का विकास नहीं कर सकी है। सरकार अधिकांश परियोजनाओं के लिये विदेशी शक्तियों पर निर्भर रहती है। इसके परिणामस्वरूप 'जैनरेटरों' के आयात पर बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

देहातों में बिजली लगाई जाना एक धोखा सिद्ध हुआ है। किसानों को कनेक्शन नहीं दिये जाते। उन्हें कनेक्शन के लिये अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है।

केरल में बिजली पैदा करने के काम की उपेक्षा की गई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य

के विकास पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। इस कठिनाई को दूर करने का केवल एक उपाय है और वह यह कि केरल में तापीय बिजली पैदा करने की गति तेज की जाये।

श्री एस० एम० कृष्ण (मांडवी) : कृष्णा-गोदावरी अन्तर्राज्य जल विवाद मैसूर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का कार्यालय वर्तमान मंत्री महोदय के हाथ में रहेगा मैसूर राज्य को न्याय नहीं मिलेगा **(व्यवधान)**

केवल इस विवाद के सम्बन्ध में ही विचार-विमर्श के लिए मैसूर, आन्ध्र तथा महाराष्ट्र राज्यों के मंत्रियों को दिल्ली में कई बार बुलाया गया लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। इसके बावजूद भी इस विवाद को निष्पक्ष न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा गया जिसके निष्कर्ष न केवल मैसूर बल्कि आन्ध्र और महाराष्ट्र के लिए भी बन्धनकारी होंगे। इन परिस्थितियों में उचित यही है कि इस मामले को पंच फैसले के लिए निष्पक्ष न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाए। क्या इस समस्या को सुलझाने में दस वर्ष लगेंगे।

केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग ने भी मैसूर राज्य को बहुत परेशान किया है। अपर कृष्णा परियोजना की स्वीकृति कई बार के अनुरोध के बाद दी गई। बाद में आयोग ने इसके स्थान बदले जाने का निर्देश दिया। अब तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है लेकिन इस परियोजना पर कोई काम अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है।

अमरीका के एक अभिकरण की सहायता से मैसूर सरकार ने शराबती बिजली परियोजना शुरू की थी। मैसूर विधान मंडल के 35 सदस्यों और तीन सदस्यों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें इस परियोजना पर लगाई जाने वाली राशि के दुरुपयोग के कुछ आरोप लगाये गये हैं। निष्पक्ष जांच समिति की स्थापना किये जाने के बजाय राज्य सरकार तथा उन इन्जीनियरों को खुली छूट दे दी गई जो शराबती बिजली परियोजना के लिये जिम्मेदार थे। ऐसे आरोपों को इस तरह नहीं निपटाया जाना चाहिये। हमें आशा है इस मामले में निष्पक्ष जांच की अनुमति दी जायेगी। सरकार को हमें अवसर देना चाहिये ताकि हम अपने आरोपों को सिद्ध कर सकें।

Shri Lakhan Lal Gupta (Raipur) : Unless the irrigation facilities are provided to farmers in each and every village, our country cannot achieve self-sufficiency in matter of food and the economy of the country cannot be strengthened without it. Our Government should learn lessons from last two droughts in 1965-66 and 1966-67 and pay adequate attention towards irrigation. I belong to Madhya Pradesh where means of irrigation are not sufficient. Madhya Pradesh is the biggest State in the country and it has an area of 1089 lakh acres, out of this 404 lakh acres is agricultural land. The average of the availability of irrigation facilities in India is 25% to 27% while in M. P. it is only 7%.

There is Narmada Valley Project in Madhya Pradesh. It is a multipurpose and inter-state project. We should, as a matter of right, get as much water from it as will meet our

requirement. Our need should be met first and rest water should be distributed among Maharashtra, Gujarat and Rajasthan States. If irrigation facilities are made available, it will be possible to irrigate about 128 lakh acres of land in Narmada Kachhar and to produce two wheat crops there. Tawa Project was started in 2nd Five Year Plan. A sum of about 4 crores of rupees has been spent thereon. But according to the prepared phased programme it take 20 to 25 years for its completion. The rate of progress on it is very slow and it should be expedited. Hasdo Project is also incomplete. The M. P. Government have been asked to give a matching grant for this project. But it is not possible for a poor state like Madhya Pradesh to give a matching grant. If Bhakra Nangal Dams can be constructed with the help of Central funds, why Hasdo Project cannot be financed by Central Government. Madhya Pradesh should be given more Central grants in order to improve the economic condition of the state. Chhatisgarh is a rice producing area. If proper and adequate irrigation facilities are made available there, it can alone meet the demand of rice of the whole country. For this purpose Government should undertake the construction of Satimara dam, which is in Raipur district. It will meet the demand of irrigation of Chhatisgarh area. Madhya Pradesh is equally backward in matter of electricity. The power generation capability is lowest in that state. Our state is in great need of power for industrial development. Government should take necessary steps to improve the pitiable condition of Madhya Pradesh. With these words I support the demands of this Ministry.

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिये हमारे पास केवल चार घण्टे थे, जबकि इस पर पांच घण्टे से भी अधिक चर्चा की जा चुकी है। अतः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय को बार-बार बढ़ाना उचित प्रतीत नहीं होता।

श्री काशी नाथ पाण्डेय (पडरौना) : मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। बूढ़ी गंडक नदी की बाढ़ से किसानों को भारी हानि होती है। इससे नई रेलवे लाइन तथा नवनिर्मित नहर को भी खतरा है। इस भयानक बाढ़ को रोकने तथा लोगों को इस विनाश से बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? मेरा दूसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश में विद्यमान बिजली की दो दरों से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश के एक भाग में बिजली की दर 9 पैसे प्रति यूनिट है जबकि पश्चिमी भाग में 19 पैसे प्रति यूनिट है। देश में बिजली की दरों में एकरूपता लाने के लिये मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कुछ सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर मैं पत्र द्वारा भेज दूंगा। लगभग सभी वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया है कि देश में सिंचाई के साधन जुटाये जायें और गांवों में बिजली लगाई जानी चाहिये। सिंचाई के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए हमें देश में होने वाली वर्षा पर भी ध्यान देना होता है। हमारे देश में पर्याप्त वर्षा होती है परन्तु दुर्भाग्य से वह ठीक समय पर नहीं होती या कभी आवश्यकता से अधिक होती है तो कभी आवश्यकता से कम। इस दृष्टि से सिंचाई का प्रबन्ध हमारे देश के अस्तित्व के लिये अनिवार्य हो जाता है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति अन्न का उत्पादन बहुत कम है। सम्पूर्ण विश्व की औसत प्रति व्यक्ति उत्पादन की तुलना में यहां उत्पादन आधा है और अमरीका तथा रूस की

तुलना में चौथाई । अत: अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी सिंचाई के साधनों का जुटाना परमावश्यक है । कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे यहां कृषि व्यवसाय लगभग 14 करोड़ लोग करते हैं । किसी भी अन्य व्यवसाय से इतने अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिलता । इस दृष्टि से भी कृषि का विकास आवश्यक हो जाता है । कृषि की सफलता सिंचाई पर आश्रित है । इसलिये सिंचाई के संसाधनों का जितना अधिक हो सके उपयोग करना चाहिये । इस समय हम यहां पांच एकड़ में से केवल एक एकड़ की सिंचाई कर सकते हैं जबकि देश में 50 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई की क्षमता विद्यमान है । महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सिंचाई की क्षमता केवल 26 प्रतिशत है तथा उत्तर प्रदेश या आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यह 70 प्रतिशत तक है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

हम अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाएं बनाने का प्रयास करेंगे जिससे बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था हो सके । जो परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, पहले उन्हें पूरा करने का हम प्रयास करेंगे । 47 बड़ी और 250 छोटी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनके पूरा हो जाने पर 2 करोड़ 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । इन सब परियोजनाओं पर 830 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा । चौथी योजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है । इन्द्रावती जैसी अनेक अच्छी योजनाएं अधर में लटक रही हैं क्योंकि उन पर लगाने के लिये धन उपलब्ध नहीं है । सरकार के ध्यान में ऐसी सब योजनाएं हैं जो स्वीकृत की जा चुकी हैं परन्तु धनाभाव के कारण जो पूरी नहीं हो सकी हैं या जिन पर निर्माण-कार्य भी शुरू नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकारों से सम्पर्क करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे ऐसी छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिये कदम उठायें । माननीय सदस्यों को भी अपने राज्य की सरकारों को इसके लिये राजी करने का प्रयास करना चाहिये । गंगा का मैदानी क्षेत्र भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्र है और इसमें भारत की 40 से 50 प्रतिशत जनसंख्या रहती है । यहां पानी के संसाधन भी बहुत हैं फिर भी इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । अत: इस क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिये, ताकि इस क्षेत्र में अकाल न पड़ने पाये । इसमें सूखा पड़ने से राष्ट्र को बहुत बड़ी हानि होती है । उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जो ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पानी के संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । बिहार में भी सिंचाई की स्थिति को सुधारना आवश्यक है क्योंकि बिहार में पड़े पिछले अकाल से राष्ट्र को 100 करोड़ रुपये की हानि हुई है । मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि गंडक परियोजना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जानी चाहिये ताकि इससे 36 लाख एकड़ की सिंचाई हो सके । इस परियोजना के निर्माण के लिये अपेक्षित वित्त दिया जा रहा है । रायल सीमा, शोलापुर और बीजापुर आदि क्षेत्र ऐसे हैं, जहां लगातार अकाल पड़ता आ रहा है । ये छाया क्षेत्र (शेडो एरियाज) के स्थल हैं जहां वर्षा के कम या अधिक होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । एक वर्ष वहां 30 इंच वर्षा होती है तो दूसरे वर्ष केवल 2 इंच । ऐसी स्थिति में सिंचाई का क्या प्रबंध किया जाये । अपर कृष्णा परियोजना का काम केन्द्रीय जल तथा विद्युत

आयोग ने नियत समय में पूरा कर दिया है। स्थान बदलने से पहले यह देखना होगा कि दो वैकल्पिक स्थानों में से कौन से स्थान पर अपेक्षाकृत कम या अधिक लागत आयेगी। यह परियोजना 1963 में स्वीकृत की जा चुकी थी परन्तु वित्तीय साधनों के अभाव के कारण राज्य सरकार उस पर काम शुरू न कर सकी। रायलसीमा के राजमपेट क्षेत्र में टोपुरपेट नामक एक छोटी सिंचाई परियोजना है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस अकालग्रस्त क्षेत्र में वह इस परियोजना को पूरी करे। कोटा में सिंचाई के साधनों की कमी का उल्लेख किया गया। दुर्भाग्य से चम्बल के बांध वाले क्षेत्र में पिछले तीन-चार वर्षों से वर्षा अच्छी नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी न उपलब्ध हो सका। पलार बेसिन में भूमिगत जल का वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार से बातचीत की जायेगी। साहिबी नदी परियोजना को मंजूर कर दिया गया है। इसके सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है, जिसका अध्ययन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग कर रहा है। उसके बाद इस पर कार्यवाही की जायेगी। जहां तक आगरा नहर पर नियंत्रण का प्रश्न है यह अच्छा होता यदि उत्तर प्रदेश सरकार इसका नियंत्रण हरियाणा सरकार के हाथ में दे देती। यह मामला बातचीत द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। निजाम सागर में अधिक रेत का जमना भी चिन्ता का विषय है। इसके लिये सरकार एक अतिरिक्त फाटक लगाने और एक और बड़ी योजना चालू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। तन्नीरमुक्कम परियोजना की धीमी प्रगति के लिये केन्द्रीय सरकार को दोष नहीं देना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने सहायता देने के बारे में राज्य सरकार से पूछा था, और उसने सहायता की आवश्यकता नहीं बताई। स्थानीय अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण इस परियोजना की क्रियान्विति में देर हुई है। इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के बारे में आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से केन्द्रीय अधिकारियों का एक दल वहां भेजा जा रहा है। सतीमारा तथा तिलया आदि परियोजनाओं पर काम धनाभाव के कारण शुरू नहीं किया जा सका। हमारा उद्देश्य यह होता है कि उपलब्ध धन का अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाये।

यह कहा गया है कि विदेशों में बहुत से नदी-विवादों को पंच फैसले द्वारा हल किया गया। हर मामले में बातचीत द्वारा ही समझौता किया गया है। वास्तव में विश्व खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बहने वाली नदी संबंधी विवाद को एक अच्छे पड़ोसी की भावना से ही हल किया जा सकता है।

कृष्णा-गोदावरी विवाद के बारे में स्थिति का पर्याप्त अध्ययन करने के बाद हाफिज मुहम्मद इब्राहिम ने 1963 में एक वक्तव्य दिया था। उसके बाद मैसूर सरकार ने कोई आपत्ति नहीं उठायी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस वक्तव्य से काम नहीं चलेगा और इस मामले को पंच निर्णय के लिये सौंप देना चाहिये। जबसे मैं मंत्री बना हूं तबसे महाराष्ट्र की जितनी परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं उनमें से महाराष्ट्र 161 टी० एम० सी०, मैसूर टी० एम० सी० और आंध्र प्रदेश 7टी० एम० सी० पानी प्रयोग कर सकते हैं। महाराष्ट्र और मैसूर के लिये मंजूर की गयी परियोजनाओं पर चौथी योजना का लगभग 20 से 25 प्रतिशत धन खर्च होगा।

कृष्णा-गोदावरी पानी संबंधी विवाद पर प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। बातचीत से कोई हल निकल आये तो बहुत अच्छा होगा। यदि मामला बातचीत द्वारा हल नहीं होगा तो उसे अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अधीन हल करना होगा।

फरक्का बांध पर देश का 130 करोड़ रुपये से 140 करोड़ रुपये तक खर्च हुआ। कलकत्ता बन्दरगाह को सुरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक था। फरक्का बांध दुनिया की सबसे कठिन परियोजना है। सौभाग्य से प्रकृति ने हमारा साथ दिया और हम कठिनाई का सामना करने में सफल रहे। अगले दो वर्षों में कलकत्ता से उत्तरी बंगाल में मालदा तक मोटर मार्ग से जाना संभव हो सकेगा।

हमने बिजली पूर्ति के उपक्रमों पर 3500 करोड़ रुपये खर्च किये। यह रकम रेलवे पर खर्च की गई रकम के लगभग बराबर ही है। अगामी 4 से 5 वर्षों में बिजली के उपक्रमों पर सबसे ज्यादा खर्च किया जायेगा। अतः इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। हमें बिजली द्वारा रेलवे की तुलना में अधिक आमदनी होगी। यह आमदनी का एक अच्छा साधन होगा। मैसूर राज्य इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा काम कर रहा है।

शरावती परियोजना उन परियोजनाओं में से एक है जिनमें इंजीनियरों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी, वहां पर मिट्टी पानी से हल्की थी और सभी लोग कहते थे कि हम इस परियोजना का कार्य नहीं कर पायेंगे फिर भी हमने सोचा कि इस परियोजना को स्वीकार करने से देश को लाभ होगा। इंजीनियरी दृष्टि से यह हमारे लिये गौरव की बात है। शरावती योजना के कारण ही मैसूर इतनी प्रगति कर सका है।

शरावती परियोजना के शानदार कार्य को पूरा करने और परियोजना के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों का बहादुरी के साथ मुकाबला करने के सम्बन्ध में श्री निजलिंगप्पा बधाई के पात्र हैं।

1960-61 में हमारे देश में बिजली की खपत 2 करोड़ किलोवाट घंटे थी, आज 4 करोड़ किलोवाट घंटे की खपत है। बिजली की खपत 6 वर्षों में दुगुनी हो गयी है। मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में यह खपत दुगुनी हो जायेगी और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि हालांकि दस वर्ष पूर्व कृषि के लिये पम्पिंग की 30 करोड़ किलोवाट घंटे खपत थी, आज यही खपत 300 करोड़ किलोवाट घंटे हो गयी है। ऐसी स्थिति में कृषि का भार बढ़ता चला जा रहा है। फिर भी हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस दृष्टि से बिजली का तिगुना उत्पादन करना होगा।

यदि बिजली का उत्पादन दुगुना भी हो जाये तब भी बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 180 किलोवाट घंटे ही बैठेगी जबकि यूरोप के देशों में यह 2000 किलोवाट घंटे बैठती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति भी मंत्रालय को दिये जाने वाले धन पर ही निर्भर है।

यह ठीक है कि ट्रांसमिशन लाइनों के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है। हमारे जैसे विशाल देश में ट्रांसमिशन लाइनों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे यहां ट्रांसमिशन लाइनों की संख्या ब्रिटेन के बराबर ही है जबकि ब्रिटेन हमारे देश के तेरहवें हिस्से के बराबर है। देश में बिजली की समान व्यवस्था करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अतः बिजली की समान दर, उपयुक्त सेवा तथा बिजली सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ट्रांसमिशन लाइनों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये। चौथी पंचवर्षीय योजना में ट्रांसमिशन लाइनों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये। चौथी पंचवर्षीय योजना में ट्रांसमिशन लाइनों को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यीय व्यवस्था से कुछ कठिनाई हो रही है क्योंकि राज्य रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः अन्तर्राज्यीय व्यवस्था को राष्ट्रीय मार्ग बनाने पर विचार किया जा रहा है अर्थात् इन मार्गों का निर्माण राज्य की योजना के अन्तर्गत ही होगा और इसके लिए केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत ऋण देगी।

गांवों में बिजली पहुंचाने की मांग पर एकाएक जोर दिया जाने लगा है। यदि कहीं बिजली नहीं पहुचाई जा सकी तो इसका कारण यह नहीं है कि किसी राज्य विशेष से कोई गलती हुई या भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ किन्तु धन की उपलब्ध रकम के आधार पर ही ऐसा किया गया है। फिर भी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 60 करोड़ रुपया दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में हम इस प्रयोजन के लिये 100 करोड़ रुपया रखना चाहते हैं ताकि बिजली के दुगने कनेक्शन दिये जा सकें।

श्री भा० रा० कावड़े (नासिक) : मैं कोयना भूकम्प के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस भूकम्प के कारणों आदि की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, मैं जानना चाहता हूं कि समिति किस निष्कर्ष पर पहुंची है? ऐसा भूकम्प न आने पाये इसके लिए समिति ने क्या सुझाव दिये हैं और सरकार उनको किस प्रकार क्रियान्वित करने जा रही है?

डा० कु० ल० राव : समिति ने अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है। अन्तिम प्रतिवेदन जून में दिया जायेगा। प्रारम्भिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि भूकम्प जलाशय में भरे जल के कारण नहीं आया अपितु "टैक्टोनिक फेल्यर" के कारण आया है।

बिजली घर को कोई क्षति नहीं पहुंची है। बांध के कुछ बांधों को थोड़ी क्षति पहुंची है और उसके लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। लगभग आठ ब्लाकों में कुछ दरारें आयी हैं। इस सम्बन्ध में हम सीमेन्ट के स्थान पर एक नये पदार्थ एपोक्सी का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सीमेन्ट से अधिक मजबूत होगा। दूसरा कदम हम सुरक्षा की दृष्टि से यह उठा रहे हैं कि हम कुछ ब्लाकों में छेद करेंगे और उनमें 'हाई टेन्सिल वायर्स' लगायेंगे। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों ने यह बताया है कि झटकों के बहुत लम्बी अवधि के बाद आने की सम्भावना है पर हम इस विषय में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते क्योंकि वहां करादं और सांगली जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी हैं

जो कि ऐसे किसी भूकम्प के आने पर प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हम सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं। मजबूती के लिए हम उसके पीछे कंक्रीट की एक परत लगाने का विचार कर रहे हैं। यदि यह इस मौसम में सम्भव न हो पाया तो अगले मौसम में करेंगे। इसलिए बांध के विषय में चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र और राज्य दोनों ही सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं।

Shri Mudrika Singh : In the Report of the Irrigation and Power Ministry for the year 1967-68 it is stated that priority is being given to those schemes which would meet the requirements of drought affected and scarcity areas. In this connection may I know whether Government propose to implement some high-level canal project or any other project for that area of Southern Bihar which is affected by famine almost every year?

डा० कु० ल० राव : मंत्रालय का यह प्रयत्न रहता है कि जो क्षेत्र अकाल ग्रस्त हुआ करते हैं वहां पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध की जायें। इसी दृष्टि से सोन हाई लैवल कैनाल परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। बांध पूरा हो चुका है धन की कुछ कठिनाई आ रही है। इस नहर के दोनों ओर काफी भूमि की सिंचाई हो सकेगी। तिलाया के जल-मार्ग को बदलने के कार्य को भी यथासम्भव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो कुछ भी धन हमें उपलब्ध हो रहा है उसका सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री इरेस्मो डी० सेक्वीरा : चार वर्षों में गोआ की बिजली की आवश्यकताएं चार गुनी हो जायेंगी। क्या गोआ में कोई तापीय बिजली घर स्थापित किया जायेगा? क्या काली नदी परियोजना भी शीघ्र क्रियान्वित करायी जायेगी जिससे कि सारे कोंकण क्षेत्र को बिजली मिल सके?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि गोआ की मांग बढ़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने मैसूर और गोआ के मंत्रियों से बातचीत की है। खुशी की बात है कि दर के बारे में वे किसी समझौते पर पहुंच गये हैं। मैसूर और गोआ के बीच की ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूत किया जा रहा है। एक जल विद्युत परियोजना वहां पूरी की जा रही है जिससे 10 मैगावाट बिजली मिलेगी। काली नदी परियोजना एक बड़ी परियोजना है जिससे हमारे विचारानुसार पूरा किया जाना चाहिए।

श्री लकप्पा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहकर सदन को गुमराह किया है कि मैसूर ने 1961 के हाफिज इब्राहीम पंचाट का विरोध नहीं किया। वास्तव में मैसूर विधान-सभा ने एकमत से संकल्प पारित कर इसे अस्वीकार किया था।

डा० कु० ल० राव : सदस्य महोदय यह गलत कह रहे हैं कि यह 1961 में हुआ था। वास्तव में यह 1963 में हुआ था (**अंतर्बाधा**)। मैं इससे अधिक उत्तर नहीं दे सकता।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह होगेन्कल परियोजना

के बारे में कोई शान्तिपूर्ण समझौता करायेंगे । इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? इस वर्ष इसके लिये रुपया मंजूर क्यों नहीं किया गया ।

डा० कु० ल० राव : होगेन्कल के बारे में मैंने कभी यह नहीं कहा कि हम कोई समझौता करायेंगे । मद्रास सरकार इन बातों पर पुनर्विचार कर रही है कि यह परियोजना कितनी उपयोगी होगी, उससे कितनी बिजली मिलेगी आदि । मद्रास सरकार के विचार पूरा कर लेने के बाद ही केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग उस पर विचार करेगा ।

Shri Beni Shanker Sharma: On Barna river a dam was constructed in Distt. Bhagalpur (Bihar) at the cost of Rs. 6 crores. The Western canal provided there is 20 feet low while the eastern canal is 20 feet high. These two canals should be brought to equal level so that both the eastern and western areas could get water equally. Due to the construction of the said dam the river Barna has almost dried up in 5-6 years. Consequent to which the water is not available to the agricultural lands alongside the river. Such arrangements should be made that adequate water could be continuously available in the river so that this land could be irrigated.

डा० कु० ल० राव : उस स्थान पर पानी की बहुत कमी है और पानी की मांग बहुत अधिक है । हम इसके लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि भागलपुर और मुंगेर जिलों के बीच जल का उचित वितरण हो । नहरों के लेवलों में जो अन्तर है वह इंजीनियरी सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण होगा । फिर भी मैं स्वयं वहां जाकर इसकी जांच करूँगा ।

श्री कुण्डू (बालासोर) : गत सितम्बर में मंत्री महोदय सुवर्णरेखा और बड़ाबलंग परियोजनाओं को देखने गये थे और कुछ स्केच भी उन्होंने बनाये थे । उस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? वहां पर इस समय भुखमरी फैली हुई है और अकाल पड़ा हुआ है ।

डा० कु० ल० राव : राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 के टूट जाने से, जो कि बांध का सा काम दे रहा था, बहुत से मकान नष्ट हो गये थे । मैंने परिवहन मंत्रालय को लिखा था कि वहां पर पुल बनायें और पानी के निकालने के लिये जलमार्ग बनायें । वे तीन पुल बनाने को सहमत हो गये हैं । अन्य दो परियोजनाओं के बारे में हमें अभी परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

Shri Yamuna Prasad Mandal: Hundreds of villages in three Districts are being destructed by the floods in river Ganga. Some 10-20 lakhs of rupees should be sanctioned so that Muzaffarpur, Darbhanga and Monghyr Districts could be saved.

डा० कु० ल० राव : बाढ़ से बचाव के काम के लिये बिहार सरकार को कुछ रुपया दिया गया है । मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि वे भी इसके लिये कुछ रुपया दें । जो कुछ किया जा सकता है किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The Cut Motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिले रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Ministry of Irrigation and Power were put and adopted

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की राशि
		रुपये
60	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	29,57,000
61	बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाएं	1,88,05,000
62	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,15,47,000
121	बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	14,86,46,000
122	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	13,13,45,000

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

वर्ष 1968-69 के लिए खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
30	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	1,35,03,000
31	कृषि	8,63,95,000
32	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की अदायगियां	12,14,38,000
33	वन	1,38,83,000
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	20,79,78,000
114	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	5,62,24,34,000
115	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	22,45,92,000

श्री शिवप्पा (हसन): आजकल खुले बाजार में चीनी रु० 4·50 प्रति किलो बिक रही है। सरकार ने चीनी का भाव रु० 1.75 पै० निर्धारित किया है। लगभग 35 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी विदेशों को निर्यात की जाती है और उसका भाव 50 पैसे प्रति किलो है। क्या इसे खाद्य और कृषि मंत्रालयों की सफलता कहा जा सकता है ? किन्हीं विशेष स्थानों के चीनी उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनायी गई है।

1964, 1965, 1966 और 1967 में क्रमश: 208.13, 221.50, 364.49 और 354.2 अनाज का आयात किया गया था। अब वे यह शेखी बघार रहे हैं कि अबकी बार बड़ी अच्छी फसल है और उसका कारण है कृषि के लिए ट्रैक्टरों का और उर्वरकों आदि का उपयोग। मैं यह बता दूं कि अच्छी फसल का श्रेय इन कारणों को नहीं दिया जा सकता। यदि फसल अच्छी हुई है तो उसका कारण है समय पर आवश्यक वर्षा का होना और कृषकों का अधिक कठोर परिश्रम।

देखना यह है कि केन्द्र ने गत तीन योजनाओं में जो 500 करोड़ रुपया व्यय किया है वह वास्तव में कृषकों के पास पहुंचा है जो कि रात दिन कठोर परिश्रम कर अनाज पैदा करते हैं। केन्द्र तो केवल नीति निर्धारित करता है और तकनीकी या वैज्ञानिक अनुसन्धान कराता है जिसके लिए बीज निगम, खाद्य निगम आदि अनेक संस्थायें बनाई हुई हैं। केन्द्र से सारा धन इन निगमों को या राज्यों को चला जाता है। प्रश्न यह है कि वह धन क्या किसानों के पास पहुंचता है। प्रत्येक कल्याण योजना, सिंचाई योजना, विकास योजना, सहकारी योजना आदि पर जो धन व्यय किया गया है क्या वह वास्तव में किसान के पास पहुंचा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय दृढ़तापूर्वक यह नहीं कह सकेंगे कि वह किसानों के पास पहुंचा है।

राज्य मंत्री श्री गुरुपद स्वामी से मैं कुछ बातों का निश्चित उत्तर चाहता हूं। यह बताया गया था कि मैसूर राज्य में 8,000 सहकारी संस्थायें हैं और उन्हें पानी की तरह रुपया दिया जा रहा है। मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि सहकारी योजना के बाजारों को बड़ा नुकसान हुआ है। सहकारी कृषि योजना भी बिलकुल असफल रही है। पता नहीं ये सारा रुपया कहां गया। हमें तो यह देखने को मिलता है कि कृषि के मामले में भी राजनीतिक हितों को ऊपर रखा जाता है और उसी के लिए रुपया खर्च होता है।

बीज निगम संकर मक्का के नाम से पैकेटों पर लेबल लगा कर बीज बेचता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुझे एक व्यक्ति ने बुलाकर एक सहकारी संस्था से खरीदा हुआ संकर मक्का का एक पैकेट दिखाया जिस पर 'केन्द्रीय बीज निगम की संकर मक्का' का लेबल लगा था। जांच करने पर पता चला कि वह संकर मक्का नहीं है, साधारण मक्का है और सहकारी संस्थाओं द्वारा संकर मक्का के नाम से बची जा रही है।

आज दो विभागों के बीच और केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई समन्वय नहीं है। प्रशासन

किन्हीं ठोस आधारों पर चलाया जाना चाहिए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिए चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों। यदि किसी मामले में कोई घपला पाया जाए तो अपराधी को, चाहे वह कितने भी उच्च स्तर का क्यों न हो दण्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह पैसा जन साधारण का है। निजलिंगप्पा या कामराज का नहीं। मैसूर के लोगों की मांग है निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए। वह क्यों नहीं कराई जा रही, केवल इसीलिए कि उससे सत्तारूढ़ दल के लोगों के घोटाले का पता चलेगा।

मंत्री महोदय ने कहा था कि बिजली के उत्पादन में क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। क्या हम जापान की कृषि से अपने यहां की कृषि की तुलना कर सकते हैं। वहां पर देश में बने बिजली के कृषि उपकरणों को चलाने के लिए बिजली के खम्भों में प्लग और स्विच लगे रहते हैं और कोई भी व्यक्ति उन्हें आसानी से चला सकता है। सिंचाई और बिजली विभागों के बीच ऐसा समन्वय है कि करेंट मुफ्त दिया जाता है। यहां ऐसा क्यों नहीं किया जाता। जब चीनी व्यापार के लिए एक वर्ष में 16 करोड़ रुपए की राज-सहायता दी जा सकती है तो इस कार्य के लिए क्यों नहीं।

जापान में केवल 15 प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है और वह भी 15 प्रतिशत लोगों द्वारा। हमारे यहां 66 प्रतिशत लोग खेती में लगे हैं। अमरीका में एक कृषि श्रमिक को 1 घंटे के लिये 2 डालर अर्थात् 15 रुपये मिलते हैं। हमारे यहां सुबह से शाम तक काम करने के लिये 2 रुपये दिये जाते हैं। देश की 67 प्रतिशत जनता की हालत सुधारने के लिए और कृषि मजदूरों की हालत सुधारने के लिये सरकार ने क्या किया है ? श्री जगजीवन राम जो कि कृषि मंत्री हैं वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई से कृषि की उन्नति और सुधार के लिये पर्याप्त धन लेने में असमर्थ रहे हैं।

हम 66 प्रतिशत लोगों को, जोकि अप्रत्यक्ष कर देते हैं, धोखा नहीं दे सकते। हम यहां शेखी तो बघारते हैं कि हम संविधान में कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकते हैं। किसान बीड़ी, माचिस, ट्रैक्टर आदि खरीदने पर तो कर देता है साथ ही कृषि उत्पाद पर विक्रय कर भी देता है। इस सब रूप में वह अप्रत्यक्ष कर देता है जो वास्तविक उपभोक्ता है। पर यहां तो उन अधिकारियों को ही उपभोक्ता माना जाता है जो कि कानून बनाया करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय अब बैठ जायें और अपना भाषण कल समाप्त करें।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
31	14	श्री सरजू पाण्डेय	देश को खाद्यान्न में आत्म निर्भर बनाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
31	15	श्री सरजू पाण्डेय	अनाज का उत्पादन बढ़ाने की लिये किसानों को सहायता देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
31	16	श्री सरजू पाण्डेय	छोटी सिंचाई योजनाएं पूरी करने में असफलता ।	100 रुपये
31	17	श्री सरजू पाण्डेय	सघन खेती कार्यक्रमों की असफलता ।	100 रुपये
31	18	श्री सरजू पाण्डेय	चारे के उत्पादन में वृद्धि न करना ।	100 रुपये
31	19	श्री सरजू पाण्डेय	अनाज के गोदामों की कमी ।	100 रुपये
31	20	श्री सरजू पाण्डेय	वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिये अपर्याप्त सहायता ।	100 रुपये
31	21	श्री सरजू पाण्डेय	फसलों को टिड्डियों और कीड़ों से बचाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	22	श्री सरजू पाण्डेय	भूमि को अधिक उत्पादक बनाने के प्रयत्न करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	23	श्री सरजू पाण्डेय	तम्बाकू - उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	24	श्री सरजू पाण्डेय	गन्ना-उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	25	श्री सरजू पाण्डेय	मीन क्षेत्रों में वृद्धि न करना ।	100 रुपये
31	26	श्री सरज पाण्डेय	उर्वरकों में मिलावट रोकने में असफलता ।	100 रुपये
33	27	श्री सरजू पाण्डेय	केन्द्रीय वनरोपण योजनाओं की असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
33	28	श्री सरजू पाण्डेय	देश में वनों का कम होना रोकने में असफलता ।	100 रुपये
34	29	श्री सरजू पाण्डेय	पशुओं की अच्छी नस्ल का विकास न करना ।	100 रुपये
34	30	श्री सरजू पाण्डेय	सामुदायिक विकास योजनाओं की असफलता ।	100 रुपये
34	31	श्री सरजू पाण्डेय	सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने और उनका कार्य सुचारु रूप से चलाने में असफलता ।	100 रुपये
30	62	श्री विश्वम्भरन	केरल को पर्याप्त मात्रा में चावल देने में असफलता ।	100 रुपये
30	63	श्री विश्वम्भरन	कमी वाले राज्यों को पिछले वर्षों की तरह खाद्यान्न की सहायता देने में असफलता ।	100 रुपये
30	64	श्री विश्वम्भरन	बाहुल्य वाले राज्यों से चावल तथा गेहूं पर्याप्त मात्रा में वसूल करने में असफलता ।	100 रुपये
30	106	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासन पर व्यय कम करने में असफलता ।	100 रुपये
30	107	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों का अधिकतम वेतन 1000 रुपये प्रति मास निर्धारित करने में असफलता ।	100 रुपये
30	108	श्री रामावतार शास्त्री	अराजपत्रित कर्मचारियों को जीवन-निर्वाह के लिए सुविधायें देने में असफलता ।	100 रुपये
30	109	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों की संख्या कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
30	110	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों की नौकरशाही रवैया समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
31	113	श्री रामावतार शास्त्री	पौधा संरक्षण के नाम पर धन का दुरुपयोग रोकने में असफलता ।	100 रुपये
31	114	श्री रामावतार शास्त्री	गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य देने में असफलता ।	100 रुपये
31	115	श्री रामावतार शास्त्री	गन्ने के उत्पादन में क्रमश: होने वाले ह्रास को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
31	116	श्री रामावतार शास्त्री	गन्ना उत्पादकों को विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	117	श्री रामावतार शास्त्री	गन्ने के उन्नत बीज किसानों को मुहैय्या करने में विफलता ।	100 रुपये
31	118	श्री रामावतार शास्त्री	गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में फीडर सड़कों के निर्माण की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	119	श्री रामावतार शास्त्री	गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नलकूपों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
31	120	श्री रामावतार शास्त्री	टिड्डियों के आक्रमण की रोकथाम में असफलता ।	100 रुपये
31	121	श्री रामावतार शास्त्री	मिट्टी और भूमि के उपयोग सम्बन्धी अखिल भारतीय सर्वेक्षण योजना की सफल क्रियान्वित में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
31	122	श्री रामावतार शास्त्री	परीक्षण फार्मों की अवधि प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	123	श्री रामावतार शास्त्री	मशीनों और उपकरणों की खरीद में धन के अपव्यय को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
31	124	श्री रामावतार शास्त्री	तम्बाकू उत्पादकों को उचित मूल्य देने में असफलता ।	100 रुपये
31	125	श्री रामावतार शास्त्री	गन्ना-उत्पादन को बढ़ावा देने में असफलता ।	100 रुपये
31	126	श्री रामावतार शास्त्री	चुकन्दर से चीनी बनाने सम्बन्धी विधियों के व्यापार प्रचार में असफलता ।	100 रुपये
31	127	श्री रामावतार शास्त्री	चुकन्दर से चीनी बनाने पर बल देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	128	श्री रामावतार शास्त्री	गन्ने की कीटाणुओं से रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये
31	129	श्री रामावतार शास्त्री	फसलों की कीटाणुओं से रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये
31	130	श्री रामावतार शास्त्री	कीटनाशक दवाइयों की चोरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये
31	131	श्री रामावतार शास्त्री	कीटनाशक दवाइयों के उपयोग के लिये किसानों में व्यापक प्रचार की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	132	श्री रामावतार शास्त्री	कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण देने में असफलता ।	100 रुपये
31	133	श्री रामावतार शास्त्री	कीटनाशक दवाइयों के मूल्य कम करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
31	134	श्री रामावतार शास्त्री	कीटनाशक दवाइयों के व्यापक प्रयोग में असफलता।	100 रुपये
31	135	श्री रामावतार शास्त्री	कीटनाशक दवाइयों का अपव्यय एवं चोरी रोकने में असफलता।	100 रुपये
30	146	श्री रामावतार शास्त्री	रासायनिक खाद के मूल्यों में वृद्धि रोकने में असफलता।	100 रुपये
30	147	श्री रामावतार शास्त्री	रासायनिक खाद के वितरण में होने वाली अनियमितताओं को रोकने में असफलता।	100 रुपये
30	148	श्री रामावतार शास्त्री	मीन क्षेत्रों के विकास में असफलता।	100 रुपये
30	149	श्री रामावतार शास्त्री	मछली-उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
30	150	श्री रामावतार शास्त्री	किसानों को मत्स्य पालन के लिए उचित सहायता प्रदान करने में असफलता।	100 रुपये
31	151	श्री रामावतार शास्त्री	सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए भूमिगत जल का उचित उपयोग करने की आवश्यकता।	100 रुपये
31	152	श्री रामावतार शास्त्री	देहातों में कुओं के नाल बिछाने में असफलता।	100 रुपये
31	153	श्री रामावतार शास्त्री	देश के हर गांव में कुओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
31	157	श्री रामावतार शास्त्री	भूमिगत जल का उपयोग करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
31	158	श्री रामावतार शास्त्री	गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में भूमिगत जल को सिंचाई के लिए उपयोग करने में असफलता ।	100 रुपये

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 10 अप्रैल, 1968/21 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 10, 1968/Chaitra 21, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—5-10-68—600.